लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Fumigated On 18-9-92 Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हों
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय सूची CONTENTS

अंक 14, सोमवार, 27 जून, 1977/6 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 14, Monday, June 27, 1977/Asadha 6, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions:—	
तारांकित प्रश्न संख्या 204, 206 और 208 से 211	Starred Questions Nos. 204, 206 and 208 to 211	1—14
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6	Short Notice Question No. 6.	14—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 205, 207 और 212 से 223	Starred Questions Nos. 205, 207 and 212 to 223	16—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 से 1924, 1926 से 1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 से 1940 और 1942 से 1962	Unstarred Questions Nos. 1804 to 1924, 1926 to 1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 to 1940 and 1942 to 1962. .	26—116
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	116—18
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
इंडियन एक्सप्रैस और फाइनेंनशियल एक्सप्रैस, नई दिल्ली में तालाबन्दी	Lock out in the Indian Express and Financial Express, New Delhi	118—24
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	118—120
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	119—24
समितियों के लिए निर्वाचन—	Election to Committees—	
(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण परामर्शदात्री परिषद्	(i) Advisory Council of Delhi Development Authority	124—25

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(दो) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	(ii) Indian Council of Agricultural Research	125
(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	(iii) All India Council for Technical Education	125
(चार) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद्	(iv) Council of the Indian Institute of Sciences, Bangalore . .	126
(पांच) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की महापरिषद्	(v) General Council of Indian School of Mines, Dhanbad	126
अनुदानों की मांगें, 197-78—	Demands for Grants, 1977-78—	
वाणिज्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	Ministry of Commerce and Ministry of Civil Supplies and Cooperation . .	127—56
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan .	127—28
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan	128—29
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	137—38
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . . .	138—40
श्री महीलाल	Shri Mahi Lal .	140—41
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha . .	141—42
श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार	Shri Padmacharan Samantsinhar .	142—43
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	143—44
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati . .	144
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah . . .	144—4
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav .	146
श्री एस० जी० मुरुगय्यम	Shri S.G. Murugaiyan . .	146—48
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	148
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	149—51
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	Shri R.L.P. Verma . . .	151
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia. . .	151—55

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 27 जून, 1977/6 आषाढ़, 1899 (शक)

Monday, June 27, 1977/Asadha 6, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए शोध अनुभव की योग्यता में ढील

***204. श्री डी० डी० देसाई** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शोध अनुभव को योग्यता के मामले में ढील दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका शिक्षा स्तर पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार के क्या विचार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) से (ग) कुछ लोगों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए डाक्ट्रेट की डिग्री अथव उसके समान ही उच्च स्तर के अनुसंधान कार्य की न्यूनतम अर्हता को हटा दिया जाना चाहिए । मामले की जांच की जा रही है ।

श्री डी० डी० देसाई : हाल में हमने विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये यह अर्हता समाप्त कर दी है । विश्व में किया गया अधिकांश शोध कार्य पश्चिमी देशों में विशेषकर अमरीका में किया गया है । हमने गत 30 वर्षों में कोई नोबल पुरस्कार नहीं हासिल किया है । क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे

कि अध्यापन अर्हता तथा शोध सुविधाएं प्रदान किये जाने के बारे में सरकार का विचार क्या है ? प्रतीत होता है कि अध्यापकों के वेतनमान तथा नियुक्ति सम्बन्धी अर्हताएं आपस में मेल नहीं खाती हैं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री एस० एन० सेन की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया था । उस समिति ने सिफारिश की कि कालेजों या विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिये मास्टर डिगरी का होना ही पर्याप्त नहीं है । इसके लिये कुछ शोध अर्हता या अग्रिम अध्ययन अर्हता होनी चाहिये । केवल तभी वे कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं । इसी कारण 2 नवम्बर, 1974 के बाद विश्वविद्यालयों ने यह तय किया कि न केवल डाक्ट्रेट की डिगरी के सम्बन्ध में अपितु बराबर की योग्यता वाले अन्य शोध कार्य के सम्बन्ध में भी विकल्प होना चाहिये ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सिद्धान्त रूप से और व्यावहारिक रूप से विभिन्न विश्वविद्यालयों में विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालयों में अन्तर काफी बढ़ गया है, अर्हता उच्च द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी तक कम कर दी गई है । अब उन्होंने पुनः अर्हता को और कम कर दिया है । अतः आवश्यक अर्हताओं वाले विश्वविद्यालय अध्यापकों के मिलने वाले तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन स्तर के बारे में क्या हुआ ?

श्री डी० डी० देसाई : इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को विश्वास में लें और बतायें कि स्थिति क्या होगी क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में आता है । शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिये वह क्या करने का विचार रखते हैं । मंत्री महोदय यह देखें कि जो निर्णय लिया गया है, विश्वविद्यालय उसे लागू करें ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह सच है कि शिक्षा न केवल एक समवर्ती विषय है बल्कि यह भी कहा गया है कि जब तक संसद् इस सम्बन्ध में कोई विधेयक पास नहीं करती तब तक राज्य अधिमियम लागू होंगे । अतः शिक्षा का अधिकांश भाग राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत है और हमारा इससे सीधा ताल्लुक नहीं है । फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्फत हम कुछ मानक बनाने का प्रयास करते हैं और आयोग समय-समय पर न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजता है । विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता "डाक्टर डिगरी या उसके समान ही उच्च स्तर का शोध कार्य और सम्बन्धित विषय में प्रथम या द्वितीय या उच्च श्रेणी की मास्टर डिगरी के साथ लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की बराबर की डिगरी" है । प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिगरी के मामले में छूट दिये जाने का भी उपबन्ध है । यदि चयन समिति का यह विचार है कि किसी उम्मीदवार का शोध कार्य, जैसा कि उसके शोध-पत्र या उसके प्रकाशित कार्य से पता चलता है, उच्च श्रेणी का है तो दूसरी प्रकार की अर्हता में भी छूट दी जा सकती है ।

श्री डी० डी० देसाई : सेन आयोग का प्रतिवेदन बहुत से राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है । इसके फलस्वरूप अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है । परन्तु सेन आयोग के प्रतिवेदन के दूसरे भाग को लागू नहीं किया जा रहा । सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे चर्चा का विषय न बनायें ।

Shri Sukhendra Singh: The payscales prescribed for the teachers have not been implemented in many universities. What are the re asons for not doing so?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : बहुत से राज्यों में सिद्धान्त रूप से वेतनमान स्वीकार नहीं किये गये हैं । हम सम्बन्धित राज्य सरकारों से यह मामला उठा रहे हैं और जैसे ही ये नई सरकारें बन जाती हैं हम सम्बन्धित शिक्षा मंत्रियों से इस मामले पर चर्चा करेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि हमारे देश में विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है और शोध डिगरियां देने, मूल्यांकन करने तथा अंक देने का स्तर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न-भिन्न है ? इससे कुछ डिगरियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं जबकि कुछ बिल्कुल नहीं पातीं क्योंकि उनका स्तर ऊंचा है । क्या माननीय मंत्री हमें यह भी बतायेंगे कि क्या मूल और अनुपूरक प्रश्नों के जो उत्तर वे दे रहे हैं, वे विश्वविद्यालय शिक्षकों या कालेज शिक्षकों या दोनों से सम्बन्धित हैं ? क्या वह सभा को आश्वासन देंगे कि शोध डिगरी के आवश्यक अर्हता के अलावा सरकार यह भी देखेगी कि विश्वविद्यालय या कालेज प्रोफेसर के पद के लिये किसी अच्छे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अनुभव और अध्यापन अनुभव पर भी विचार किया जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : स्तरों में गिरावट का प्रश्न के बारे में अपनी-अपनी राय हो सकती है और हम इस बात को स्वीकार नहीं करते । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर सुधारने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है । अतः कालेज प्राध्यापकों के लिये निम्न-लिखित अर्हता निर्धारित की गई है : "संबन्धित विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिगरी या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की उसके समान डिगरी या मास्टर डिगरी से ऊपर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एम० फिल० की डिग्री या प्रकाशित कार्य जिससे उम्मीदवार की स्वतंत्र रूप से शोध करने की क्षमता का पता चलता हो ।" इन सबकी व्यवस्था स्तर सुधारने के लिये की गई है ।

श्री ए० इ० टी० बैरो : एक विश्वविद्यालय की डिगरियों को दूसरे विश्वविद्यालय की डिगरियों से तुलना करने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं जबकि यह पता हो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तरों में भारी अन्तर है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह बड़ा नाजुक प्रश्न है । तुलना सदैव अप्रिय होती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने देशों ने हमारी डिगरियों को स्वीकार नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है । मैं पहले ही दूसरे प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

मारुति हैवी वेहीकल्स लिमिटेड द्वारा रोड रोलरों की सप्लाई

*206. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति हैवी वेहीकल्स लिमिटेड ने, जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी का पर्याप्त हित निहित है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली नगरपालिका और केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों को रोड रोलरों की सप्लाई की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए कोई टेंडर मांगे गये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में अनियमितताओं के आरोपों की कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तथा (घ) : भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 1977 की अपनी अधिसूचना सं० एस० ओ० 375 (ई) के अनुसार एक जांच आयोग नियुक्त किया जो निम्नलिखित मारुति संस्थाओं की अन्य बातों के साथ-साथ सामान्यता समझौते, कारनामे तथा ठेकों के निर्णय के मामले पर विचार करेगा :—

(i) मैसर्स मारुति लिमिटेड

(ii) मैसर्स मारुति हैवी वेहीकल्स (प्रा०) लिमिटेड

(iii) मैसर्स मारुति टेक्नीकल सर्विस (प्रा०) लिमिटेड

(iv) कोई अन्य निकाय उसमें सम्मिलित है या कोई फर्म जो उसी ग्रूप में है या उपर्युक्त कम्पनियों के रूप में उसी प्रबन्ध के अधीन है या कथित कम्पनियों में से एक अथवा अधिक के साथ एक दूसरे से सम्बन्धित है।

इस प्रकार आयोग केन्द्रीय सरकारी संगठनों को रोड रोलरों की सप्लाई से संबंधित सौदे सहित मैसर्स मारुति हैवी वेहीकल्स (प्रा०) लिमिटेड के कार्य सम्पादन की जांच करेगा। आयोग को जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1977 को अथवा इससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कह दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न यह है कि मारुति हैवी वेहीकल्स लिमिटेड ने रोड रोलर के मामले में इस देश से लोगों को धोखा दिया है तथा उन्हें ठगा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करें कि क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने 1970 से पूर्व श्री वाही के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोविन्स कर्माशियल कारपोरेशन को $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये

की अग्रिम राशि दी थी और क्या वह राशि वसूल की गई है या नहीं और क्या उसी समय उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, से ओवरड्राफ्ट लिया था । पिछली सरकार ने रोड रोलर खरीदे थे जो श्री संजय गांधी ने पंजाब नेशनल बैंक से प्रति रोड रोलर 25000 रुपये के हिसाब से खरीद लिये थे ? निर्माण और आवास मंत्रालय ने उस समय एक विस्तृत जांच की थी और वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी । इस सम्बन्ध में हां या न में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे खेद है कि मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता । जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय के बारे में उनके प्रश्न के शेष भाग का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें कि क्या इन रोड रोलरों के लिये उनके मंत्रालय ने $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना है या नहीं और क्या यह भी सच है कि ये रोड रोलर पंजाब नेशनल बैंक के पास एक निर्धारित अवधि के लिये गिरवी रखे गये थे और अब तीसरी बार ऐसा किया जा रहा है ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने पहले ही बताया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने में असमर्थ हैं । वह बार-बार कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है ।

Shri Ugra Sen: I know that O.N.G.C. has placed orders on Maruti for supply of Road ollers in spite of high tender and this firm has taken money in advance from the commission. I want to know under what rule the commission has placed orders for supply of road rollers on Maruti and from where they got the money to pay them in advance?

Shiri Sikandar Bakht : Reply has already been given in regard to O.N.G.C. My Ministry does not want to say much about it at present.

Shri Ugrasen : I rise on a point of order. This reply will not do.

अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है तो आप अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ? जानकारी लेने के अन्य तरीके भी हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड में जाये कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि क्या रोड रोलरों की सप्लाई के लिये यू० पी० सी० सी० को $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी । परन्तु उन्होंने कहा कि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को जानकारी एकत्र करने में क्या कठिनाई है और वह कब तक अपेक्षित जानकारी हमें दे पायेंगे ।

श्री सिकन्दर बख्त : सबसे अशोभनीय बात तो यह है कि मैं जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा हूं । मेरा ऐसा करने का इरादा कदापि नहीं है । मैंने माननीय सदस्यों को अपने लिखित उत्तर में कह दिया है कि जितनी जल्दी मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं

आपको दूंगा । दुर्भाग्य से जानकारी विभिन्न विभागों से एकत्रित करनी है । यही मुख्य कठिनाई है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उत्तर नहीं दिया । आप सही जानकारी कब तक एकत्र कर लेंगे ।

श्री सिकन्दर बख्त : यह जानकारी कई विभागों से एकत्र करनी है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बसु जी आप बैठ जाइये । अन्य माननीय सदस्य ने भी विशिष्ट प्रश्न पूछा है । वह आपका ही समर्थन कर रहे हैं । उन्होंने विशिष्ट प्रश्न यह पूछा है कि मंत्री जी यह जानकारी कब तक दे देंगे । इसके लिए उन्हें कितना समय चाहिए ।

श्री सिकन्दर बख्त : कठिनाई यह है कि बहुत से विभागों से जानकारी प्राप्त करनी है । मैं यथासंभव अधिकाधिक विभागों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं । मैं बहुत जल्दी जानकारी पेश कर दूंगा ।

Shri Ugra Sen: A point of order. "Very Soon" has no meaning.

अध्यक्ष महोदय : अनूपूरक प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है । समय बरबाद करने का क्या फायदा है । वही घिसा-पिटा उत्तर मिलेगा कि मैं जानकारी प्राप्त करूंगा । कम से कम अगले प्रश्न का तो हमें उत्तर मिल जायेगा । माननीय सदस्य ने मंत्री जी से पूछा कि उन्हें जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि "बहुत जल्दी" । मैं अब कोई और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय 10 दिन के अन्दर जानकारी सदस्यों में परिचालित कर देंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : हम इसे सदस्यों के सूचनार्थ परिचालित कर देंगे ।

Shri Ugra Sen: It would be discussed only when the Minister has replied to.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । अब प्रश्न संख्या 208 को लीजिए ।

POWER TILLERS

*208. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether communications were sent to the Agriculture Machinery Department and Indian Council of Agricultural Research through his Ministry to examine whether power tillers being manufactured by several companies in India suit the Indian climate but no attention has so far been paid to this matter; and

(b) whether such tillers suffer from overflow of oil, starting trouble, their parts get broken as a result of rust, and get separated from the machinery have less tilling capacity, have to be operated in standing position, are of 14 horse powers instead of 10 spare parts are not easily available, and repairing facilities are also not available?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) माननीय सदस्य की ओर से उन द्वारा खरीदे गये पावर टिलर में कुछ खराबियां होने के बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। यह मामला विनिर्माताओं के पास भेजा गया था। उन्होंने मई, 1977 में बताया था कि खराबियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशिष्ट खराबियों के बारे में सरकार को सामान्य शिकायतें नहीं मिली हैं। भारतीय कृषि के क्षेत्र में पावर टिलरों का प्रयोग नया-नया है, तथा उनका अभी छोटे स्तर पर प्रयोग हो रहा है। अतः इनकी बिक्री के पश्चात् फालतू पुर्जों की कमी होने की समस्या धीरे-धीरे हल होगी। इस समय भारत में 12 अश्व शक्ति तक के पावर टिलरों का निर्माण हो रहा है, न कि 14 अश्व शक्ति के पावर टिलरों का।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I want to know from the Minister whether he has examined the power tillers manufactured by the various companies and whether these power tillers do not suit the Indian climate. Besides this the air coolers manufactured with the collaboration of Japan are also not suitable to Indian climate.

Secondly I want to know whether the price of this power tiller is not higher. Government itself is responsible for its higher price because they have imposed 40 percent import duty, 20 percent excise duty and 3 to 13 percent sales tax on it. This is one reasons that power tiller are not becoming popular. Another difficulty is that the air coolers and other parts of it are not available in any company and they are not repaired at district level. The Minister should furnish all the information in this regard.

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से प्रश्न काल के अन्दर चर्चा होने लगती है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस समय 6 विभिन्न कम्पनियां टिलरों का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने जापान से आयात करके इनका निर्माण आरम्भ किया है क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है, जहां टिलरों का सर्वाधिक उपयोग होता है। जापान में लगभग 25 लाख टिलर हैं। हैदराबाद में एक देशी कम्पनी कृषि (इंडिया) लिमिटेड है और शेष पांच जापान के सहयोग से काम कर रहे हैं। अतः हम ऐसे टिलरों का निर्माण कर रहे हैं जिनमें वातानुकूलित इंजन लगे हुए ह। वातानुकूलित इंजन के बारे में हमें कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कुछ पावर टिलर निर्माता वातानूकूलित इंजनों को बनाना पसंद करते है क्योंकि उनका वजन कम होता है तथा लागत भी कम आती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जलकूलित इंजन सुगठित वातानुकूलित इंजनों की तुलना में अधिक पक्के हों। वास्तव में वातानुकूलित इंजनों का उपयोग कुछ ट्रेक्टर निर्माता भी कर रहे है। जब इन इंजनों का आयात होता था तो इनका मूल्य 4,000 रुपये से 7,000 रुपये तक होता था। बाद में जब हम इनका निर्माण अपने ही देश में करने लगे तो इनके मूल्य में वृद्धि हो गई और इनका मूल्य बढ़कर 12,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये बीच तक हो गया। इसका कारण यह है कि कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया, आयात शुल्क भी बढ़ गया जो कि लगभग 40 प्रतिशत है, केन्द्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत होता हो तथा राज्य बिक्री कर 6 से 9 प्रतिशत तक होता है। इन सब कारणों से इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है।

Shri Jagdambi Parsad Yadav ; Are these power tillers useful for small and marginal farmers for irrigation purposes? Do the Government want to make it more popular among the farmers, if so, the steps being taken by Government to reduce its prices? Have the Government received any complaint about some defects in these power tillers. I wrote a letter to the Machinery Department in which I stated that these are some defects in these power tillers. You have stated that no serious complaint has been received.

Shri Surjit Singh Barnala: So far as complaint is concerned, we received and examined it and thereafter the firm was asked to remove the defects. The company ordered its Local Branch to remove the defects and we have been informed that the machine is being checked up.

Shri Jagdambi Prasad Yadav ; What steps have been taken to make it popular among farmers. In the beginning its price range was Rs. 4,000 to Rs. 5,000. But now its prices have considerably increased and now the price range is the Rs. 12,000 to Rs. 22,000. These power tillers should be of 10 to 14 H.P. capacity so that these may become more useful.

Shri Surjit Singh Barnala; This can not be of 10 to 14 H.P. Now other type of tractors are coming in the market. Farmers would like to have four wheelers tractors. Now power tillers are of 8 to 12 H.P. Research work in this regard is going on and it is being tried to evolve a small machine.

श्री पी० राजगोपालन नायडू : कृषकों के हित में टिलरों के मूल्य में कमी करने के लिए सरकार बिक्री कर कम करने के लिए तैयार है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Shri Bharat Bhushan; Have you not received more complaints about the defects in power tillers? I think you have received more complaints. You should inform the company about the complaints of the farmers. These are small holdings in our country and therefore we should have small power tillers. Their price should also be drastically cut. One of the main reasons of their high price is that there is heavy taxation thereon. Finance Ministry should be approached to reduce the prices of power tillers.

Shri Surjit Singh Barnala ; So far as manufacture of cheap power tillers is concerned, the research work is going on at a number of centres including I.C.A.R. Efforts are being made to reduce its cost and to make it more useful.

श्री ए० सी० जार्ज : अपने पहले के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पावर टिलरों के 6 बड़े-बड़े मुख्य निर्माता हैं। क्या उन्हें ज्ञात है कि केरल कृषि उद्योग निगम जो कि एक सरकारी उपक्रम है, जापान की कुबोटा फर्म के सहयोग से बहुत बढ़िया किस्म के पावर टिलरों का निर्माण कर रहा है। उनका मूल्य भी कम है और काम में अच्छे होने के कारण उनकी मांग भी अच्छी है। किन्तु जब इस निगम ने अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहा तो इसके सामने कई कठिनाइयां पैदा हो गई। कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस फर्म की तो पहले ही अधिक क्षमता है। क्या माननीय मंत्री इसके विस्तार के लिए अपना सहयोग तथा अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पावर टिलरों की मांग घट रही है। हमारे देश में जहां करोड़ों कृषि श्रमिक हैं, केवल 13,000 पावर टिलर हैं।

यह फर्म पावर टिलर का निर्माण कर रही है। उनकी क्षमता उपयोग भी घट रहा है क्योंकि पावर टिलरों की मांग में वृद्धि नहीं हुई है। हम इनकी मांग नहीं बढ़ा पाये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : इसमें वास्तविक गलती है। यह समग्र स्थिति हो सकती है किन्तु इस विशेष कम्पनी ने अपना विस्तार कार्यक्रम बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह उसे दे रहे हैं। यदि कोई ठोस गलती हो तो आप बता सकते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1975–76 में उन्होंने 547 टिलरों और 1976–77 में कुल 455 टिलरों का निर्माण किया। अप्रैल, 1977 तक उन्होंने केवल 34 टिलरों का निर्माण किया। इसी लिए मैंने ऐसा कहा है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं केवल साधारण उत्तर चाहता हूं। क्या आप इस फर्म को विस्तार की सुविधाएं प्रदान करेंगे ?

Shri Hukamdeo Narain Yadav : On the one hand land holding laws are being passed as a result of which our land is being divided into small holdings. On the other hand the Tractors manufactured by the Bihar Agro-industries corporation are of big size which can not be brought in use in the small fields. Besides this their prices are exorbitant. Small power tillers should be manufactured so that they may be used in small holdings. The money should be invested for the production of these power tillers instead of scooters and cars, so that our farmers may increase their production.

Shri Surjit Singh Barnala ; We are trying to manufacture low cost power tillers of even 3.9 H.P. so that every farmer may purchase it. Experiments in this regard are being conducted in Tamilnadu Agriculture University, Coimbatore and other places. Every effort is being made to manufacture low cost power tillers so that these may be available to small farmers.

अध्यक्ष महोदय : मैंने कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकतम समय दिया है। मंत्री जी के पास जो भी जानकारी थी, वह उन्होंने आपको दे दी है। उनके मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय वह आपको अधिक जानकारी दे सकेंगे। इसलिए मैं इस पर अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता। अब हम अगले प्रश्न पर आयेंगे।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

***209. श्री पी० के० कोडियन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जून, 1972 से पूर्व निर्मित सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने और जिनके मकानों को तोड़ दिया गया या बिना मुआवजे के जिनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, उन्हें वैकल्पिक आवास अथवा प्लाट उपलब्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन लोगों के मकान महेन्द्र पार्क, मान एन्कलेव और लखी पार्क में मई, 1976 में डी० डी० ए० द्वारा तोड़ दिये गये थे, उन्हें अब तक कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय किया है। सड़कों के लिए जगह देने तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें मुहैया करने की प्रक्रिया के कारण जिन परिवारों को हटाया गया उन्हें पुनः बसाया जाना है।

(ख) उन 390 व्यक्तियों को जो गिराये गए मकानों में रह रहे थे, फ्लेटों/नियमित प्लाटों/झुग्गी झोंपड़ी प्लाटों के रूप में वैकल्पिक वास दिया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी० के० कोडियन : क्या सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाने में बहुत सी अनियमिततायें हुई है ? पिछले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने 101 अनधिकृत कालोनियों की सूची दी थी, जिससे पता चलता है कि 1962 और 1967 के बीच बनी कालोनियों को छोड़ दिया गया है । क्या सरकार इन छोड़ी हुई कालोनियों को भी नियमित करेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : 1966-67 में नगर निगम ने एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार 204 कालोनियां अनधिकृत थीं । इनमें से 103 को, जो सितम्बर, 1962 से पहले बनी थीं, नियमित कर दिया गया । इस प्रकार सितम्बर, 1962 और जनवरी 1967 के बीच 101 कालोनियां बच गईं । इनमें से 68 कालोनियां रिहायशी क्षेत्रों में थी जिन्हें नियमित कर दिया गया । बाकी 33 कालोनियां 'हरे' क्षेत्र में थीं जिन्हें नियमित नहीं किया गया । दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1972 में एक सर्वेक्षण किया गया जिससे पता चला कि 112 कालोनियां नगर निगम क्षेत्र में हैं और 53 दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हैं । 1974 में एक निर्णय लिया गया जिसके अनुसार बहुत सी तोड़-फोड़ हुई । लेकिन बाद में श्री ए० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी जिसकी सिफारिशों के अनुसार 15 जून, 1972 से पहले बने मकानों को नियमित कर दिया गया । फरवरी, 1977 में एक आदेश जारी किया गया कि सभी अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना होगा । अनधिकृत बस्तियों की स्थिति इस प्रकार है ।

श्री पी० के० कोडियन : मैं जानना चाहता हूं कि आपात-स्थिति के दौरान बिना मुआवजा दिये कितने मकान गिराये गये और कितने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न महेन्द्र पार्क, मान एन्कलेव और लखी पार्क से सम्बन्धित लगता है ? इन कालोनियों के लोगों को वैकल्पिक स्थान दिये गये हैं । लेकिन 700 मकान ऐसे थे जिन पर किसी का भी कब्जा नहीं था । 300 प्लाटों की केवल चारदिवारी बनी हुई थी और 3000 प्लाट खाली पड़े थे जिनके लिये कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon'ble Minister has stated that in 1962, about 30 or 35 colonies were in green areas, which were not regularised. Thereafter 200 more unauthorised colonies came up, bringing their number to about 250. In these colonies, about 10 lakh people live. During this period of 15 years, no colony has been regularised. I want to know why Government is sleeping over the matter? Will he fix any target date by which these colonies will be regularised? There is need for modifying Master Plan. What action has been taken towards that end and how can it be speeded up?

Shri Sikander Bakht : It is a very strange question. I have already replied that all the unauthorised colonies of Delhi have been regularised.

As for the modifications in the Master Plan, they are under contemplation.,

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे विचार में सभी अनधिकृत कालोनियां नियमित नहीं हुई हैं ।

श्री सिकन्दर बख्त : सभी नियमित की जा रही हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभी अनधिकृत कालोनियां कब तक नियमित हो जायेंगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : सभी नियमित हो चुकी हैं ।

श्री वयालार रवि : दिल्ली में हुई तोड़-फोड़ में बहुत से मकान गिरा दिये गये और उनमें रहने वालों को दिल्ली के विभिन्न भागों में मकान बनाने के लिए प्लाट दे दिये गये । लेकिन वे स्वयं मकान नहीं बना सकते । क्या सरकार उनकी कुछ मदद करेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं बता चुका हूं कि जिन लोगों को रिहायशी क्षेत्रों से हटाया गया था उन्हें वापस उन्हीं क्षेत्रों में फिर से बसाया जा रहा है। लेकिन जे० जे० कालोनी के लोगों को विकास बस्तियों में जा रहा है ।

Shri Ram Murti; In Delhi, new colonies are coming up every now and then in an irregular manner. Why does the Government stop these colonies from coming up in the beginning so that they may not have to be demolished later on?

Shri Sikander Bakht ; Now it has been decided not to allow the new colonies to come up.

Shri D. N. Tiwari; How many houses have been demolished so far, how may have been provided alternative accommodation and how many are yet to be provided accommodation?

Shri Sikander Bakht : This does not arise from the main question.

मेरे विचार में मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

पांचवीं योजना के आरम्भ में मकानों की कमी

*210. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के आरम्भ में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों को कुल कितनी कमी थी;

(ख) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने चौथी योजना के दौरान और पांचवीं योजना के दौरान अब तक मकानों को कमी को दूर करने में सहायता की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में पांचवीं योजना के शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में 118 लाख और नगरीय क्षेत्रों में 38 लाख मकानों को अनुमानित कमी थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पांचवीं योजना में जिस कार्यक्रम पर मुख्य रूप से बल दिया गया है वह समाज के पिछड़े वर्ग को आवासीय स्थिति सुधारना है । विभिन्न आवास योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग से सबंधित व्यक्तियों के लिये विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा मकानों का निर्माण कर के और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आरम्भ करके इसे पूरा करने का प्रयास किया जाना है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : चूंकि देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की बहुत कमी है, इसलिये क्या जनता सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने का कोई वृहत कार्यक्रम आरम्भ करेगी क्योंकि

उत्तर में कहा गया है कि विशिष्ट अभिकरण यह कार्य कर रहे हैं ? ये कौनसे अभिकरण हैं और वे क्या-क्या कार्यक्रम चला रहे हैं ' ?

श्री सिकन्दर बख्त : ग्रामों में मकानों की व्यवस्था करने के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है और किया गया है । ये अभिकरण हैं : एन० बी० ओ० और विभिन्न राज्यों के हाउसिंग बोर्ड और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट । राज्य सरकारों ने योजना परिव्यय में कुछ धनराशि की व्यवस्था की है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री से जानकारी प्राप्त करना बड़ा कठिन है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था करने की कोई बृहत योजना है ? शहरी क्षेत्रों के लिये तो राज्यों की योजनायें हैं । क्या सरकार उन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देगी ताकि मकानों की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं आंकड़े दे सकता हूं । 1961 में नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ 13 लाख मकानों की कमी थी । 1971 में यह बढ़ कर 1 करोड़ 61 लाख हो गई । ग्रामीण क्षेत्रों में 1961 में 5 करोड़ 71 लाख मकानों की कमी थी । 1971 में यह 6 करोड़ 64 लाख हो गई । अप्रैल, 1974 में 1 करोड़ 56 लाख मकानों की कमी थी—नगरीय क्षेत्रों में 38 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 18 लाख । इस समय यह कमी 1 करोड़ 67 लाख है—नगरीय क्षेत्रों में 47 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 20 लाख । पांचवीं पंच वर्षीय योजना के योजना परिव्यय में 600.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं जिसमें से 505.56 करोड़ राज्यों के लिये और 5 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में बागान श्रमिकों के लिये आवंटित किये गये हैं

Shri Phirangi Prasad; In our country, there are certain nomads and gypsies, who have no definite place to live in. They live under the trees and some of them engage themselves in anti-social activities. Has the Hon'ble Minister ascertained the number of these people are included them in the figures given by him?

श्री सिकन्दर बख्त : यह भूमिहीनों को आवास स्थल प्रदान करने की एक अलग योजना हैं ।

श्री के० मालन्ना : क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने मकान बनाने के लिये घटिया सामग्री तैयार की जिसके कारण उस सामग्री से बने मकान जल्दी ही गिर गये ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : घटिया सामग्री का कोई प्रश्न नहीं है । हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी 1949 में स्थापित हुई थी और यह पता चला कि पूर्व-निर्मित सामग्री—यह घटिया नहीं थी—निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं पाई गई । फैक्टरी 1952 में बन्द हुई । इसे फिर 1953-54 में एक गैर-सरकारी पार्टी के साथ मिल कर चालू किया गया । किन्तु यह फिर असफल रही और 1955 में सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया । सरकार ने कई प्रचेष्ठा किये लेकिन अभी तक यह फैक्टरी लाभ नहीं दे सकी है ।

Shri Lalji Bhai; May I know whether any target date has been fixed for constructing houses and if so, how many houses are proposed to be constructed by that fixed date?

श्री सिकन्दर बख्त : यह सब ससाधनों पर निर्भर करता है ।

श्री सोनू सिंह पाटिल : नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी दूर करने में कितना खर्च आयेगा ?

श्री सिकन्दर बख्त : आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

डा० हेनरी आस्टिन : मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक बृहत गृह-निर्माण योजना के लिये बढ़इयों, लुहारों, ईंटें बनाने वालों और गांवों के अन्य श्रमिकों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायेगी ?

उदाहरण के लिये केरल राज्य सरकार ने थोड़े से समय के अन्दर स्वैच्छिक श्रम का आयोजन करके एक पंचायत के अन्दर 100 घर बनाये हैं तथा इस प्रकार कुल एक लाख घर बने । क्या सरकार इसका अनुकरण करके ग्रामीण विकास विशेषत: आवास सम्बन्धी योजना चलायेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 609 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से ग्रामीण आवास के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है और विभिन्न योजनाओं में से कितनी को केन्द्रीय सरकार चला रही है और उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री सिकन्दर बख्त : ग्रामीण तथा शहरी आवास के लिये राशि का नियतन करना राज्य सरकार का काम है । 600.92 करोड़ रुपये में से 505.56 करोड़ रुपये उनके लिये रखे गये हैं ।

केन्द्रीय सरकार जानकारी, डिजाईन आदि प्रदान करके राज्य सरकारों का साथ दे रही हैं । प्लांटेशन वर्करज़ को मकान देने का काम केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत आता है और इस राशि में से 5 करोड़ रुपये इस योजना के लिये आरक्षित किये गये हैं ।

Shri Laxmi Narain Nayak: May I know whether the rural housing scheme being executed by the Central Government has been kept in abeyance? I would request the Hon. Minister to direct the State Governments to initiate action under the rural housing scheme?

Shri Sikandar Bakht: It is all right.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे कोई भी प्रश्न नहीं पूछने दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इस बैंच से 4 व्यक्ति पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं । कई अन्य बैंचों के लोग भी हैं और केवल इसी बैंच के लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का अतिरिक्त कोटा रिलीज करना

*211. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने घरेलू खपत के लिये खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का कुछ अतिरिक्त कोटा रिलीज करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, कोटे के वितरण की मात्रा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जून, 1977 के लिए आन्तरिक खपत के लिए शुरू में निर्मुक्त किए गए 0.95 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री के कोटे के अतिरिक्त 10,000 मीटरी टन को 24 मई, 1977 को निर्मुक्त किया गया था और 2–6–1977 को 15,000 मीटरी टन निर्मुक्त किया गया था । यह कोटा बढ़कर 1.20 लाख मीटरी टन हो गया । इसी प्रकार जुलाई, 1977 के लिए भी 1.20 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री का कोटा निर्मुक्त किया गया है ।

(ख) देश के किसी भी स्थान के लाइसेंसशुदा थोक व्यापारियों को बेचने के लिए फैक्ट्रियों को मुक्त बिक्री की चीनी नियुक्त की गई है। मासिक मुक्त बिक्री की निर्मुक्तियों में से कोई राज्य-वार कोटे आंवटित नहीं किए जाते हैं।

श्री के० मालन्ना : क्या प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर सारे देश की चीनी की कुल जरुरत का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या चीनी के कोटे के आवंटन में कोई कमी अथवा कार्यकुशल हीनता है; क्या चीनी का रिलीज कोटा देश के लिए प्रर्याप्त है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : खपत 37 से 38 लाख टन के करीब है जो प्रतिव्यक्ति खपत पर अधारित नहीं है। लैवी शुगर इस गणना पर रिलीज की जाती है कि एक व्यक्ति को एक किलो से अधिक तथा एक परिवार को एक किलो से कम चीनी न मिले।

श्री के० मालन्ना : मैंने पूछा है कि क्या कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं कह चुका हूं कि अनुमान के अनुसार खपत 37 से 38 लाख टन के लगभग है।

श्री के० मालन्ना : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। यदि चीनी बहुत मात्रा में खुले बजार में रिलीज की जाये तो चीनी व्यापार को क्षति पहुचेगी तथा मूल्य गिरेंगे और यदि खुले बाजार के मूल्य गिरते हैं तो उत्पादकों को लाभ से वंचित होना पड़ेगा इसलिये उत्पादन बनावती कमी पैदा करने तथा बहुत लाभ कमाने के लिये चीनी की जमाखोरी कर रहे हैं। क्या उत्पादक खुले बाजार में अधिक चीनी रिलीज करने सम्बन्धी सरकार की नीति का विरोध करते हैं और इस सम्बन्ध में उन्होने सरकार को एक ज्ञापना भी दिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिक चीनी रिलीज की जाती है। अब कीमतें गिर गयी हैं। पिछले वर्ष आजकल दिल्ली में 490 रुपये का भाव था और अब 400 रुपये का है।

Shri Birendra Prasad : Is there any proposal to remove control on sugar in view two rates as control rate of Rs. 2.15 per kg and open market rate of Rs. 4.50 per kg?

Shri Surjit Singh Barnala; The entire question is under consideration but it cannot be said that only the question of decontrolling the sugar is under consideration.

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न लेने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य कुछ मूल प्रश्न पूछें तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुपूरक प्रश्न के स्थान पर मूल प्रश्न पूछने से उन्हें एक अच्छा अवसर मिल सकता है।

:

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question
कर्नेल टी० एस० आनन्द की मृत्यु के बारे में जांच

6. डा० बापू० कालदते :

श्री धन्ना सिंह गुलशन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नेल टी० एस० आनन्द की मृत्यु के कारणों की जाँच आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या मृत्यु की उक्त घटना से जनता में आतंक व्याप्त है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार, नांगलोई थाने में 4–6–1977 की शाम के लगभग 7.30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि लेफ्टिनेन्ट कर्नल टी० एस० आनन्द का शव ग्राम पंजाब खोड के एक खेत में पड़ा है। इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल का कार्यभार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है, जो अभी भी चल रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन।

Dr. Bapu Kaldaty: According to newspapers reports, it was a case of suicide but it is now a case of murder as appears from the case registered by the Government. I want to know whether there is any mystry like Nagarwala case in this matter? The Government needs to be vigilent in this connection. Has the Government received any indication reg. involvement of a close relative in this case registered under section 302?

Shri Charan Singh : At this stage it can not be said for certain that it was a case of suicide or murder.

Dr. Bapu Kaldaty: My second question is whether any enquiry has been got made through C.B.I. and if so, what is the time fixed for the submission of enquiry report.

Shri Charan Singh: No time limit has been fixed but they will try to complete the investigations at the earliest and I hope that they will do it ably and impartially.

Shri Sheo Narain: Who are the three persons against whom this case has been registered?

Shri Charan Singh: It will be a clear murder if the names are known.

Shri Anant Ram Jaiswal; I want to know whether the *post-mortem* examination has revealed that this was a case of murder? What is the opinion of the Doctors about the reasons of murders?

Shri Charan Singh: *Post mortem* examination has revealed that it is not a case of poisoning. So many circumstances are involved out of which some indicate suicide whereas some indicate that it is not a case of suicide? I can say it without difficulty that the revolver used for suicide or murder has not so far been traced and when it is traced it will facilitate investigations.

An Hon. Member: May I know whether this probe is being made by the C.B.I. itself or under its supervision?

Shri Charan Singh: C.B.I. is doing it itself.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत से हालात हैं, कुछ हालात ऐसे हैं जिन से मालूम होता है कि यह आत्म हत्या है और कुछ से मालूम होता है कि यह हत्या का मामला है। यदि ऐसा है तो आई० जी० पुलिस ने जल्दबाजी में प्रेस में यह घोषणा क्यों की कि यह आत्महत्या का मामला था। और चूंकि सरकार उसके निष्कर्ष को नहीं मानती तो सरकार ने ऐसी गैर-जिम्मावाराना स्टेटमैन्ट देने के लिये उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

श्री चरण सिंह : सरकार आई० जी० के विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझती क्योंकि यह एक राय का मामला है। मैं कह चुका हूं कि आत्महत्या के कई हालात होते हैं। इसलिये यदि कोई अधिकारी इनमें से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह जानबूझकर किया गया है।

श्री आर० के० महालगी : मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। क्या पुलिस ने किसी पर सन्देह प्रकट किया है ?

श्री चरण सिंह : जी नहीं।

Shri Gauri Shankar Rai: May I know whether a copy of newspaper indicating election charges against some body was found near the dead body. Has the Government received any indication about involvement of one of his partner in the murder?

Shri Charan Singh: The head of the dead body was kept over a newspaper and blood had coagulated over it. I have not tried to find out as to what was published in the newspaper.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTION

सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक आवास योजना

*205. **श्री डी० पी० चन्द्रगौडा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के समय स्वयं को निस्सहा पाते हैं क्योंकि वित्तीय परिस्थितियों के कारण वे अपने लिए मकान नहीं बना सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या समाजिक अवास को सरकार रूप देने के लिए कोई उपयुक्त योजना और डिजाइन तैयार किया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति से पूर्व अपने लिए मकान बना सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) सरकार, सरकारी कर्मचारियों को उन्हे अपना निजी मकान बनाने या किसी सरकारी अवास अभिकरण से जिस में सहकारी समिति शामिल हैं, फ्लैट, मकान खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम देती है। यह अग्रिम स्थायी सरकारी कर्मचारी, जिसने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सेवा निवत्त होने से पूर्व किसी भी समय उपलब्ध है। इस के अलावा सरकारी कर्मचारी अपनी सहकारी समितियों बना सकते हैं और देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। गृह निर्माण अग्रिम सामान्यतया कर्मचारी के 75 गुणा वेतन के हिसाब से दिया जाता है बशर्ते कि वह 70 हजार से अधिक न हो। तथापि यदि शेष सेवा का भाग ऐसा हैं कि ब्याज समेत समस्त राशि पुन: भुगतान का बहुत अधिक बोझ डाले बिना वसूल करनी संभव नहीं होगी तो राशि उपयुक्त रूप से घटा दी जाती है। सामन्यतया पुन: भुगतान की क्षमता किसी कर्मचारी के मूल वेतन का 33 1/3 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है लेकिन उस में 50 प्रतिशत तक ढील दी जा सकती है और उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिन का शेष सेवा काल 10 वर्ष से कम है 60 प्रतिशत तक। ऋण केवल उस दशा में अनुदेय है यदि मकान की लागत वेतन के 75 गुणा से या 1.25 लाख रुपये से, इस में जो भी कम हो, बढ़ती नहीं है।

सरकारी कर्मचारी, अन्य व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित दो योजनाओं से भी लाभ उठा सकते हैं जिस के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या उन की सहकारी समितियों को ऋण दिया जाता है :—

(i) निम्न आय ग्रुप आवास योजना ; और

(ii) मध्यम आय ग्रुप आवास योजना ।

उपर्युक्त (i) योजना में उन व्यक्तियों को जिनकी आय 27,00 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं हैं मकान की लागत के 80 प्रतिशत की सीमा तक ऋण सहायता देने की व्यवस्था है बशर्ते कि वह 14,500 रुपये से अधिक न हो ।

उपर्युक्त (ii) में दी गई मध्यम आय ग्रुप आवास योजना में निजी मकान बनाने वाले उन व्यक्तियों को ऋण देने की व्यवस्था है जिनकी वार्षिक आय 7,201 रुपये से 16,000 रुपये तक है और ऋण सहायता मकान की लागत का 80 प्रतिशत तक सीमित है बशर्ते कि वह 27,500 से अधिक न हो ।

निम्न आय ग्रुप आवास योजना और मध्यम आय ग्रुप आवास योजना के अलावा, एक ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम है, जिसमें व्यक्तियों को जिनमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, ग्रामों में मकानों के निर्माण और सुधार के लिए ऋण देने की व्यवस्था हैं । ऋण की राशि निर्माण की लागत के 80 प्रतिशत तक सीमित हैं बशर्ते कि वह 5,000 रुपये प्रति मकान से अधिक न हो । मकान की कुल लागत 8,000 रु० से बढ़नी नहीं चाहिए ।

तमिलनाडु में पेरियर बांध के अधिकांश पानी का उपयोग

*207. **श्री पी० थ्याग राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मदुरा और रामनद जिलों में पानी की नितान्त अपर्याप्त सप्लाई की सरकार को जानकारी है जिससे कृषि उत्पादन में बाधा आती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेरियर बांध से वैगई 'चैनल' के माध्यम से मदुरा और रामनद जिलों को पर्याप्त मात्रा में पानी देने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पेरियर बांध के अधिकांश पानी का लाभप्रद उपयोग आरम्भ करने का है जो कि अब बेकार समुद्र में चला जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) मदुराई और रामनद जिले के कुछ तालुके सूखा-प्रवण हैं, लेकिन मदुराई और रामनद जिले में सकल फसली क्षेत्र के क्रमशः 43% और 41% क्षेत्र की सिंचाई हो रही है । तमिलनाडु राज्य में यह प्रतिशतता 48% है और सारे देश की लगभग 24% है ।

(ख) से (घ) जल सप्लाई की पेरियर वैगई स्कीम को पेरियर बांध में उपलब्ध लगभग सारा पानी प्राप्त हो रहा है और इस प्रणाली से अब सप्लाई बढ़ाने की और गुंजाइश नहीं है । यह सूचित किया गया है कि पहले के वर्षों में, पिछले वर्ष (1976—77) को छोड़कर, जब गम्भीर सूखा पड़ा था,

इस स्कीम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड अयाकट की पूर्ण रूप से सिंचाई होती रही है। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने पेरियर, वैगई स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया है जिसमें चैनलों की लाइनिंग कराना, टैंकों को भरना तथा नियंत्रण संरचनाओं की व्यवस्था करना शामिल है, ताकि 25 एकड़ ब्लाकों को पानी सप्लाई किया जा सके। इस बात की संभावना है कि इस प्रणाली के आधुनिकीकरण के बाद 25,000 अतिरिक्त हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल-सप्लाई होने लगेगी। तमिलनाडु सरकार का पांचवी योजना में इन दोनों जिलों में और लघु सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में उठाऊ-सिंचाई योजना

*212. **श्री बालक राम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बर्फ से ढके हुए पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे किसानों के लाभ के लिए, विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जहां निश्चित सिंचाई योजनाओं के न होने के कारण प्रतिवर्ष भारी हानि होती है, उठाऊ-सिंचाई योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु कोई योजना/परियोजना/एजेंसी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई वैकल्पिक कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। देश के पर्वतीय क्षेत्रों की (जिनमें हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला भी शामिल है) लघु कृषक विकास एजेन्सियां और पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाएं, देश के बर्फ से ढके रहने वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लाभ के लिए उठाऊ-सिंचाई योजनाओं (अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त) के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता देती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लघु कृषक विकास एजेन्सियों / पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना की प्रमुख विशिष्टताएं नीचे दी गई हैं :—

एजेंसी / परियोजना का नाम	लिया गया क्षेत्र	प्रमुख विशिष्टताएं
1. देश के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु कृषक विकास एजेंसियां	**1. हिमाचल प्रदेश** (1) शिमला जिला (2) सिरमूर जिला (3) सोलन जिला **2. जम्मू और कश्मीर** (1) अनंतनाग जिला (2) बारामूला जिला (3) पूंछ-राजौरी जिला	ये एजेंसियां कुओं, नल कूपों, पम्प सैटों, पुराने कुओं के पुनरुद्धार इत्यादि की पूंजी लागत का 25% और $33\frac{1}{3}\%$ क्रमशः छोटे और सीमांत किसानों को सहाय्य प्रदान करती हैं। सामुदायिक योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋण पर लाभानुभोगियों को 50% सहाय्य दिया जाता है।

एजेंसी/परियोजना का नाम	लिया गया क्षेत्र	प्रमुख विशिष्टताएं
	3. उत्तर प्रदेश (1) गढ़वाल जिला **4. सिक्किम** **5. पश्चिम बंगाल** (1) दार्जिलिंग जिला	शिमला जिले में लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम को 150 लाख रुपए की लागत से 1975–76 में पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में सामुदायिक आधार पर उठाऊ-सिंचाई योजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 17 लाख रु० है। छोटे किसानों और सीमांत किसानों के पंजीकृत संगठनों के लिए सहाय्य की दर 50% है।
2. पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना	**1. उत्तर प्रदेश** (1) पौड़ी गढ़वाल परियोजना (2) टेहरी गढ़वाल	पांचवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए 270 लाख रु० की व्यवस्था है।
	2. मणिपुर (1) पश्चिम मणिपुर जिला	परियोजना के प्रारम्भ से लेकर 133.34 लाख रु० की राशि निर्मुक्त की गई है। उपर्युक्त योजना में कृषि प्रदर्शन, बहुफसली कार्यक्रम, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का प्रारंभ, पशुपालन योजनाएं, मुद्रा संरक्षण, भूमि विकास, लघु सिंचाई, इत्यादि का समावेश है। इन विभिन्न परियोजनाओं के प्रारंभ से अब तक इसकी अनेक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 13,000 पर्वतीय परिवार लाभान्वित हुए हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में ज्ञापन

***213. श्री भगतराम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में व्याप्त शोचनीय स्थिति के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में व्याप्त स्थिति के बारे में सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न आरोप लगाए गये हैं। ज्ञापन में शामिल मुख्य आरोप हैं :

(i) कुलपति की पहल पर, सीनेट तथा सिडीकेट ने आपात स्थिति घोषित किए जाने की सराहना की और विभिन्न अवसरों पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री को बधाई दी।

(ii) कुलपति ने विश्वविद्यालय भवन को, दिसम्बर, 1975 में चंडीगढ़ सम्मेलन के लिए कांग्रेस पार्टी के हवाले कर दिया। विश्वविद्यालय भवन, राष्ट्रीय शिक्षक मंच तथा राष्ट्रीय भारतीय छात्र संघ को उनके समारोहों के लिए उपलब्ध किया गया।

(iii) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिनिधियों की चिकित्सा उपचार के लिए विश्वविद्यालय के बजट में 20,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी; एक प्रकाशन में, 20 सूत्री कार्यक्रम पर सेमिनार के संबंध में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया गया।

(iv) कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति ने, उन अध्यापकों के विरुद्ध जिन्होंने अपनी नसबन्दी नहीं करवाई, कुछ दण्डों की सिफारिश की।

(v) जब कि युवा कांग्रेस नेताओं को विश्वविद्यालय में दाखिल किया गया, अन्य दलों के छात्रों को दाखिल नहीं किया गया; सीनेट में नामजदगी राजनीतिक आधारों पर की गई; तथा आपात काल के दौरान छात्रों तथा अध्यापकों की गिरफ्तारी के विरुद्ध कुलपति ने हस्तक्षेप नहीं किया।

(vi) कुलपति ने अपने निजी मकान को विश्वविद्यालय द्वारा अपने सरकारी अवास के रूप में नियत करा लिया और ऊंची दर पर इसके किराये का मूल्याकन कराया; किराये का मूल्यांकन ऊंची दर पर कराने के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकारी इंजीनियर के कार्यकाल को बार बार बढ़ाया गया;

(vii) कुलपति के घर में रसोइया के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को पुस्तकालय परिचर के रूप में नियुक्त किया गया;

(viii) कुलपति ने एक अन्य अध्यापक द्वारा लिखे गये लेख को अपना बताकर, विश्वविद्यालय से उसका भुगतान प्राप्त किया; कुलपति अपना नाम अपने जूनियर के अनुसन्धान प्रकाशनों में शामिल करा लेते हैं और काफी संख्या में अनुसन्धान पेपरों का श्रेय स्वयं ले लेते हैं।

(ix) गृह निर्माण ऋण मजूंर करने, विश्वविद्यालय के मकानों के आवंटन / उन्हें अपने पास रखने, सेवा में वृद्धि करने आदि में पक्षपात किया गया था।

(x) कुछ पदों पर की गई नियुक्तियां अनियमित हैं, अधिकांश नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की जाती हैं।

विश्वविद्यालय से आरोपों के सम्बन्ध टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और मामले की जांच की जा रही है।

Assessment of Loss to Rabi Crop by F.C.I.

*214. **Shri G. S. Tohra:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have asked the Food Corporation of India to make assessment of the loss caused to rabi crops due to the recent untimely rain in several areas of Punjab, Haryana and other States; and

(b) if so, the Corporation's report in this regard?

The Minister of Agriculture and Irrigation (**Shri Surjit Singh Barnala**): (a) No, Sir. Such assessment is normally made by the State Governments concerned.

(b) Does not arise.

Construction of Embankment in Katihar

†*215. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether about 150 kilometre long embankment has been constructed in Katihar district in Bihar to control floods;

(b) whe her the embankment on its completion, will protect crops on lakhs of acres and the common man from the loss being suffered by them for centuries;

(c) whether a counter embankment has been constructed in Maldah district in West Bengal on the border of Bihar;

(d) whether construction of service-road is necessary for the safety of the embankment so that the embankment may be strengthened and watch may be kept on it; and

(e) if so, whether Government propose to construct service road on the embankment in Bihar State as in the case of Bengal and arrange for black-topping?

The Minister of Agriculture and Irrigation (**Shri Surjit Singh Barnala**) (a) and (b) To protect the areas affected by flood from Phulahar and Barsoi branches of Mahananda River, the States of Bihar and West Bengal formulated coordinated schemes in their respective areas. The Bihar scheme envisaged *inter-alia* construction of embankments in a length of 249 km in Purnea and Katihar Districts; and the West Bengal construction of 39.5 km. of embankment on the left bank of Phulahar and for a length of 48 km. on the right bank of Barsoi branches. The schemes are expected to afford protection to about one lakh ha. in Bihar and 81,920 ha. in West Bengal against river spills and submergence by flood waters and consequent loss to crops.

(c) The West Bengal Government has constructed embankment in its territory in Malda district on the left bank of the Phulahar branch in continuation of the embankment constructed by Bihar; and opposite to the embankment on the other bank in Bihar.

(d) and (e) Kacha service roads are generally provided on all major embankments but not hard and fast rules can be laid for construction of metalled service roads and embankments. Their provision, no doubt desirable, would depend on a number of factors including the accessibility of the embankments from the existing network of roads, the quality of the soil at the surface, importance of area protected, and most important of all, availability of resources for the purpose. So far on account of very heavy costs involved, it has not been the practice to construct metalled service roads on tops of embankments although the embankments are normally made wide enough to serve as inspection cum service roads for vehicular traffic. The State Government of Bihar have informed that there is no separate provision for metalling service road in the embankments as the embankment crest itself serve as a service road. The Mahananda embankment crest width varies from 4.8 metres to 7.6 metres, which is adequate for the purpose of a service road. The State Government have no programme for the present for the construction of a regular road with black-topping, on the embankment.

नलकूपों तथा कुओं के लिए राज सहायता

*216. **पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुओं और नलकूपों दोनों को ही छोटी सिंचाई के अन्तर्गत सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कुओं के लिये राज सहायता दे रही है जैसे खुले कुएँ खोदने के मामले में की जाती है; और

(ग) इस वर्ष इस कार्य के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग)

(क) जी हां, कुएँ और नलकूप दोनों ही लघु सिंचाई कार्यक्रम की महत्वपूर्ण मदें हैं ।

(ख) बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुओं और नलकूपों के लिये (जिसमें पम्प सैट भी शामिल हैं) राज्य की योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है । इसके अलावा इन कार्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों (अर्थात लघु कृषक विकास एजेंसी, निरन्तर रूप से सूखे से पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास (कार्यक्रम) के अन्तर्गत भी राजसहायता उपलब्ध की जाती है ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कुओं के लिये (जिसमें नलकूप और पम्प सैट भी शामिल हैं) राज्य की योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली राजसहायता की कुल राशि 2 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है । इसके अलावा, लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त होने की आशा है । इसमें कुल राशि का 30 अथवा 40 प्रतिशत कुओं (जिसमें पम्प सैट भी शामिल है) के लिए राजसहायता के तौर पर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त निरन्तर रूप से सूखे से पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम और कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी कुछ राजसहायता उपलब्ध की जाएगी ।

Locust Eradication Post in Rajasthan

*217. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of locust eradication posts set up in Rajasthan on Pakistan Border; and

(b) the functions of these posts and the material used for the eradication of locusts?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a) Government of India maintains 34 Locust out pots in the Scheduled Desert area of India for watching the activities of desert locust. Of these, 9 are situated along the Indo-Pakistan border in Rajasthan.

(b) The staff of the outpost constantly survey the desert areas of their jurisdiction throughout the year to estimate the population density of the pest insect and take, appropriate control action as soon as it becomes necessary. Insecticides BHC and Dieldrin or Malathion are dusted or sprayed to kill the insect.

विदेशों में जाने वाले अनुसंधान कर्ताओं (रिसर्च फेलों) के लिए स्वीकृति प्रमाण-पत्र की जरूरत

***218. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारत आने वाले और भारत से विदेशों में जाने वाले छात्रों, शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं के लिये कानून के अनुसार भारत सरकार से अनुमति तथा स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है; यदि हां, तो ऐसा नियम कब से लागू किया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान ऐसे दौरों के लिये कितने भारतीय तथा विदेशी शिक्षाविदों को अनुमति दी गई तथा कितनों को अनुमति नहीं दी गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समूचे नीति तथा प्रक्रिया पर आमल रूप से विचार करने का है, और यदि हां, तो कब और कैसे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षाविदों, अध्ययनकर्ताओं और अनुसन्धानकर्ताओं सहित भारत आने वाले सभी विदेशी राष्ट्रिकों पर पार-पत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के उपबन्ध और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम लागू होते हैं । इसी तरह, भारत से जाने वाले व्यक्तियों को, पार-पत्र अधिनियम 1967 के सम्बद्ध उपबन्धों का अनुपालन करना होता है । इसके अतिरिक्त, विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 से सम्बद्ध उपबन्ध उनकी विदेश यात्रा पर उस सीमा तक लागू होते हैं, जहां वे विदेशी स्रोतों से अंशदान और आतिथ्य स्वीकार करते हैं ।

2. इसके अलावा, 1955 से समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों और मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सैमिनारों आदि में भाग लेने के लिए विदेश दौरों के वास्ते ऐसे मामलों में जहां निमन्त्रण पत्रों में स्थानीय आतिथ्य के साथ अथवा उसके वगैर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्था हो भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां निमन्त्रण, संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेष शाखाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों अथवा सेमिनारों में भाग लेने के लिए होते हैं, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि ऐसे निमन्त्रण सरकारी माध्यमों द्वारा भेजे जायें । इसके अलावा जहां शिक्षक को किसी सम्मेलन/सेमिनार में भाग लेने के लिए निमन्त्रण प्राप्त होता है और उसकी सारा खर्च विश्वविद्यालय मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था अथवा सरकार अथवा वैधानिक प्राधिकारी अथवा शिक्षक द्वारा स्वयं वहन किया जाना है, उस मामले में सम्बन्धित कुलपति अथवा संस्था के प्रमुख द्वारा, केन्द्र सरकार को सूचित करते हुए, आवश्यक अनुमति दी जा सकती है । ये निर्देश निम्नलिखित कारणों से जारी किए गए थे :—

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश का दौरा वास्तविक है;
2. इस देश में शिक्षा के हितों के लिए यह आवश्यक है;

3. विदेशी मुद्रा की बचत के लिये; तथा

4. निमन्त्रण चाहने के लिए व्यक्तियों द्वारा विदेशों से सीधे सम्पर्क को हतोत्साहित करने के लिए, जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अवांछनीय प्रभाव हो सकता है।

3. यह भी निर्धारित किया गया है कि अनुसन्धान कार्य अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा निर्धारित नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए । यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई थी कि ऐसे दौरे ऐसे कार्यक्रमों से सम्बन्धित हों जो शैक्षिक रूप में व्यवहार्य है तथा इनमें कोई सुरक्षात्मक अथवा भावनापूर्ण पहलू निहित नहीं है ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में आवास सुविधा प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता

*219. **श्री गंगाधर अप्पा बुरंडे :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है जिन्हें आवास सुविधायें प्राप्त हैं; और

(ख) इस समस्या को किस प्रकार हल करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिये 41.2 प्रतिशत पात्र सरकारी कर्मचारियों को वास सुविधाएं दी गई ।

(ख) सरकार का यह प्रस्ताव है कि कम वेतन वाले वर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए बनने वाले क्वार्टरों के साइज को कम करके और अधिक क्वाटरों के निर्माण के लिए उपलब्ध साधनों का भविष्य में उपयोग किया जाये । इस प्रकार स्टाफ क्वार्टरों के लिए व्यय होने वाले प्रत्येक लाख रुपये में मानकों के अन्तर्गत वर्तमान क्वार्टरों की अपेक्षा अधिक क्वार्टर बनेंगे ।

बाढ़, सूखा आदि के बचाव के लिए योजना

*220. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह घोषणा की थी कि सरकार पानी के समुचित उपयोग के लिये पक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करेगी और बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिपे भी एक समन्वित नीति बनाई जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस बारे में कोई ठोस उपाय करने का है ;

(ग) यदि हां, तो बिहार जैसे राज्यों के लिये जहां बाढ़ और सूखा दोनों का प्रकोप बना रहता है, किस तरह की योजना बनाने का विचार है ; और

(घ) ऐसी योजनाओं पर जो खर्च होगा उसका कितना भार केन्द्रीय सरकार द्वारा और कितना राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये प्रशासनिक स्वरूप क्या होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में बाढ़ों और कटाव से सुरक्षा प्रदान करने और उपलब्ध जल साधनों का उपयोग बहुद्देश्यीय लाभों के लिये करने के लिये राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने और जल धाराओं के समेकित विकास की आवश्यकता पर बल दिया है ।

(ख) और (ग) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय हैं और परियोजनाओं के आयोजन अन्वेशषण और उन्हें तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन और प्रचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । देश के जल साधनों के आयोजन और उपयोग में केन्द्रीय सरकार अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके, इस उद्देश्य से एक उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न का सरकार द्वारा गहन अध्ययन किया जा रहा है ।

चूंकि देश में भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न समय होने वाली वर्षा में भारी अन्तर होता है और सिंचाई के विकास में प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान है इसलिय सिंचाई की समेकित प्रणाली का होना जरूरी समझा जाता है । ऐसी स्कीमों का अन्वेषण कार्य हाथ में लेने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमी की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जाए और सूखा प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल के अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांस्फर की संभावनाओं का पता लगाया जाये । केन्द्रीय जल आयोग में इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है ।

(घ) स्कीम की लागत और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र का ब्यौरा, उक्त अध्ययनों के पूरा होने और विशिष्ट स्कीमें तैयार किये जाने के बाद ही तय किया जा सकता है ।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के दारे में अंतर्मंत्रालय ग्रुप

***221. श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अधिक उपज देने वाली किस्मों को अपनाने और ऐसी किस्मों के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि करने के बारे में जांच के लिये अधिकारियों का एक अंर्तमंत्रालय ग्रुप गठित किया है;

(ख) क्या इस ग्रुप ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं और इनके कार्यान्वियन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Bikaner and Ganga Nagar (Rajasthan) under Delhi Milk Scheme

*222. **Chaudhary Hari Ram Makkasar Godara :** Will the **Minister of Agriculture and irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring again Bikaner and Ganga Nagar (Rajasthan) under the Delhi Milk Scheme and if so, the time by which it is likely to be done; and

(b) whether cattle owners would get reasonable prices for their milk as a result thereof?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No, Sir. Milk from districts Bikaner and Ganga Nagar in Rajasthan is being supplied to Delhi Milk Scheme through the North Rajasthan Dugdh Utpadak Sahakari Sangh.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रतिबंध का हटाया जाना

*223. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों के प्रयोग के लिए लाभप्रद और मितव्ययी प्रणाली

1804. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की मांग तथा उपलब्धता के अंतर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उर्वरकों के प्रयोग के लिये कोई अत्यधिक लाभप्रद तथा मितव्ययी प्रणाली निश्चित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रयोक्ताओं तथा एसोसियेशनों के बीच प्रणाली का प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि सही प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी हो सके; और

(घ) क्या उर्वरकों के प्रभावी प्रयोग के बारे में उपभोक्ताओं से प्रतिपुष्ट के विश्लेषण की कोई प्रणाली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । फिर भी, किसान प्रयोग किये गये उर्वरकों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, इस के लिये उर्वरकों का कारगर और किफायती ढंग से प्रयोग करने के बारे में राज्य सरकारों को समय-समय पर हिदायतें दी जाती हैं ।

(ख) उर्वरक के कारगर और किफायती प्रयोग के लिये किसानों को निम्नलिखित पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जाती है :—

(1) मृदा और फसल प्रतिमान के किसी विशेष मिश्रण के लिये अपेक्षित पोषक की मात्रा का निर्धारण करने हेतु मृदा परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करना ;

(2) उर्वरकों, पोषकों का संतुलित प्रयोग करना ताकि किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण अधिकतम उपज प्राप्त करने में रुकावट पैदा न हो।

(3) अलग अलग फसलों के लिए उनके अनुसार सही किस्म के उर्वरकों का प्रयोग।

(4) उर्वरक डालने का ठीक समय और तरीका।

(5) नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों का विखण्डित प्रयोग।

(6) मिट्टी की प्रतिक्रिया को ठीक करने के लिए उपयुक्त मिट्टी सुधारकों का प्रयोग।

(7) खेती की अच्छी और जल-निकास की बेहतर पद्धतियां अपनाना।

(8) घास-पात का समय पर उन्मूलन करना।

(9) वनस्पति रक्षण के लिए बेहतर और ठीक समय पर उपाय करना।

(10) ठीक प्रकार की किस्मों, रोपाई की उपयुक्त तारीखों और पौधों की गहराई का निर्धारण करना।

(ग) इन प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गये कदमों में ये शामिल हैं :— किसानों को प्रशिक्षित करना, प्रदर्शनों का आयोजन करना, विस्तार एजेन्सियों तथा उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा प्रचार के लिए पत्रिकाओं, पैम्फलैटों और अन्य सामग्री का प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के खेतों में राष्ट्रीय प्रदर्शनों का आयोजन, कृषि विश्वविद्यालयों और विस्तार संस्थाओं द्वारा कृषक मेलों और क्षेत्र दिवसों का आयोजन करना।

(घ) प्रतिपुष्ट (फीड बैक) प्रणाली में मुख्य तौर पर निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और राज्य सरकारों के तत्वावधान में उर्वरक की जांच, अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम।

(2) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, स्थानीय एजेन्सियों और राज्य कृषि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित अनुसन्धान परियोजनाएं।

(3) कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विस्तार संस्थाओं आदि के सहयोग से क्षेत्र परीक्षणों, क्षेत्र दिवसों, कृषक मेलों तथा अनुसन्धान कर्मशालाओं का आयोजन करना।

(4) कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषक प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रम इस प्रणाली का अनुसन्धान स्टेशनों और कृषि विश्वविद्यालयों में क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार अनुसन्धान कार्यक्रमों का पुनर्नवीकरण किया जाता है।

Social Insurance Scheme for Destitutes and Old

1805. Shri Ugra Sen: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is a large number of destitutes and old people in the country who remain totally neglected; and

(b) whether Government are contemplating to introduce a social insurance scheme for them and if so, the salient features thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) There were a total number of 261.41 lakhs persons of the age of 60 and above, according to the Census of India 1971.

Statistics on the number of destitute persons are not available. The collectin of such figures at national level involves formidable problems of definiticn, operational feasibility, costs, manpower, etc.

(b) There is no such proposal.

उर्वरकों की कमी

1806. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की कुछ किस्मों की कमी है और इनका बाजार-मूल्य अन्य किस्मों की तुलना में काफी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सभी प्रमुख उर्वरकों, अर्थात् नाइट्रोजन, फासफेट और पोटाश के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है । कृषि सम्बन्धी सामग्री, उत्पादन की लागत और किसान की प्राथमिकताओं में भिन्नता होने के कारण, उर्वरकों की विभिन्न किस्मों के मूल्यों की तुलना करना संभव नहीं है । तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी किसान को किसी विशेष उत्पाद की प्राथमिकता के कारण अधिक मूल्य न देना पड़े, विशेष ध्यान दिया जाता है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 20 वर्ष से भी अधिक अवधि से स्थानापन्न एक्जीक्यूटिव इंजीनियर

1807. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक विभाग में प्रथम श्रेणी के सी० ई० एस० तथा सी० ई० ई० एस० के कितने-कितने सिविल तथा इलैक्ट्रीकल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 अप्रैल, 1977 को अपने ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक से तथा 20 वर्ष से कम की अवधि से और कितने 10 वर्ष की अवधि से अधिक तथा 15 वर्ष से कम अवधि से स्थानापन्न थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : कार्य-पालक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है अर्थात् सहायक कार्यपालक इंजीनियर्स तथा सहायक इंजीनियर्स । इन दो तरीकों से भर्ती के लिए एक कोटा कानूनी तौर से निर्धारित किया गया है फिर भी एक स्रोत से व्यक्ति न मिलने पर यह पद लोक सेवा की अनिवार्यता को देखते हुए अन्य ग्रुप से व्यक्तियों को नियुक्त करके भरे गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उनके कोटे के आधिक्य में नियुक्त कर लिया गया है हटाना होगा और उन्हें इस वर्ष में समाविष्ट करना होगा

जिसमें उन्हें इस से उनके अपने कोटे के रिक्त पदों के एवज में समायोजित किया जा सकता है। अतः नियमित आधार पर उनको स्थानापन्न नियुक्ति उनके कोटे के एवज में केवल उनके समाविष्ट की तारीख से ही लागू किया गया समझा जायेगा। इस वजह से उनके कोटे के आधिक्य में लोक सेवा की अनिवार्यता को देखते हुए, नियुक्त को तिथि तथा नियमित आधार पर स्थानापन्न नियुक्ति के बीच अन्तर होगा। इन दोनों की सूचना निम्नांकित है :

	सिविल इंजीनियर		इलैक्ट्रीकल्स इंजीनियर	
	नियमित आधार पर	योग (इसमें निमित तथा तदर्थ शामिल है)	नियमित	योग (इसमें नियमित तथा तदर्थ शामिल है)
20 वर्षों से अधिक स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे पालक इंजीनियरों की संख्या	—	7	—	—
15 तथा 20 वर्षों के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या	3	52	—	4
10 तथा 15 वर्षों के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे कार्यपालक इंजीनियरों की संख्या	17	57	4	16

Time limit for Payments for Levy Procurement of Agricultural Products

1808. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the **Minister of Agriculture and irrigation** be pleased to state:

(a) whether any time limit has been fixed for payment of dues on account of procurement of rice and other products by way of levy in Rajasthan;

(b) whether Government proposes to pay interest also on the delayed payments; and

(c) if not, the reasons therefor and the policy adopted in this regard in other levy procuring States?

The Minister of Agriculture and irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a), (b) and (c) Since payments are made promptly there is no proposal for paying interest charges. To make immediate and timely payments for levy rice in Rajasthan, 90% payment is made on the production of warehouse receipt/weight check memo and balance 10% is paid within a week on receipt of quality certificate from the district laboratory after imposing quality cuts, if any. In case of other States also there is no provision for payment of interest where rice is being procured by the Food Corporation of India directly from the millers for the Central Pool.

Selection Grade in Aided Schools in Delhi

1809. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is defective system of 'selection grade' in the aided schools in Delhi;

(b) whether many senior teachers are not getting selection grade, whereas teachers junior to them in other schools are getting the selection grade;

(c) the steps being taken to reform this defective system;

(d) whether Teachers Association in Delhi have demanded that each teacher should be given selection grade after 15 years of service; and

(e) if so, the steps being taken in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) Each aided school forms a unit by itself. Selection Grade is granted on the basis of seniority-*cum*-fitness and since the seniority lists are maintained separately for each aided school, there can be no comparison with another aided school.

(c) Does not arise.

(d) Yes, Sir.

(e) Does not arise. Since the present quota of Selection Grade posts of 20% based on the recommendations of the Third Pay Commission.

सैन्ट्रल स्कूलों की स्थापना के लिए मानदण्ड

1810. श्री आर० कोलनथाईवेलु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में सेन्ट्रल स्कूल स्थापित करने का क्या मानदण्ड है ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैन्ट्रल स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई योजना है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र), (ख) और (ग) : केन्द्रीय स्कूलों की स्थापना के लिए मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केवल निम्नलिखित स्थिति में ही विचार किया जाता है :

(i) जब प्रार्थना निम्नलिखितों में से किसी एक से प्राप्त होती है :

(क) भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग ।

(ख) राज्य सरकारें ।

(ग) संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन ।

(घ) पात्र वर्गों से संबंधित कर्मचारी संगठन (जैसा iii में कहा गया है) ।

(ii) जब केन्द्रीय विद्यालय संगठन को लगभग 15 एकड़ भूमि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा मुफ्त उपलब्ध करायी जाए ;

(iii) जब वहां रक्षा सेवाओं के अथवा केन्द्रीय सरकार के अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कम से कम 500 कर्मचारी अलग-अलग या संयुक्त रूप से रहते हों और जब वहां प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में शुरू में कम से कम 200 बच्चे दाखिल होने के इच्छुक हों ।

"तथापि अपवाद रूप में, उन स्थानों पर जहां अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां उत्तम प्रतिभा को आकर्षित कर सेवा करने अथवा उस स्थान पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और सेवा करने वाले अन्य पात्र कार्मिकों के लिए कल्याणकारी कार्य के रूप में विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं ।" और

(iv) जब प्रायोजक प्राधिकारी विद्यालय के लिए बिना किराए के अथवा नाम-मात्र के किराए पर अस्थायी आवास उस समय तक के लिए उपलब्ध कराता है, जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने सीमित साधनों से, दी गई भूमि पर अपने निजी विद्यालय भवन का निर्माण करा सके ।

2. एक नया केन्द्रीय विद्यालय तब भी खोला जा सकता है यदि भारत सरकार का कोई उपक्रम, प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय पर, आवर्ती और अनावर्ती सभी प्रकार के व्यय का भुगतान करने पर सहमत हो जिसमें स्थान, भूमि और भविष्य में होने वाला विकास खर्च भी सम्मिलित हैं ।

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं इत्यादि जैसी उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं के अहातों में नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरी को भवन और उपकरण आदि पर अनावर्ती व्यय की लागत व्यय की व्यवस्था करनी चाहिए और उसे वहन करना चाहिए, तथापि I (iii) की शर्त लागू रहेगी ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वन विभाग का 'सामिल डिवीजन'

1811. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग के 'सामिल डिवीजन' के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) एफ० आर० तथा एस० आर० के और औद्योगिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत उनमें से कितने कर्मचारी लाये गये हैं ; और

(ग) एफ० आर० तथा एस० आर० के अन्तर्गत बाकी कर्मचारियों को न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रियों को बंगलों का आवंटन

1812. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों को कितने बंगले और मकान आवंटित किए गए हैं और ऐसे बंगलों और मकानों से सम्बद्ध ऐसा कितना क्षेत्रफल है जिसमें मकान बने हुए हैं अथवा वैसे ही इनसे सम्बद्ध है ;

(ख) किन-किन मंत्रियों ने फ्लैटों अथवा छोटे मकानों के लिए मांग की है ; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से मंत्री हैं जिनके दिल्ली में मकान और जमीन है तथा ऐसे मकानों का क्षेत्रफल कितना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री एल० के० अडवाणी ने पंडारा पार्क के सी-1 6 के टाइप vi के फ्लैटों में ही रहने का निर्णय किया है जो पहले से ही उनके दखल में हैं जब वे संसद सदस्य थे। तथापि उन्हें पंडारा पार्क में उनके साथ वाले फ्लैट संख्या सी-1/5 को उनके कार्यालय के लिए दे दिया गया है। इस्पात तथा खान मंत्री श्री बीजू पटनायक ने महादेव रोड पर (टाइप vi) के बंगला नं० 26 के आवंटन के लिए कहा गया था जो उन्हें आवंटित कर दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"विवरण"

मंत्रियों को आवंटित बंगलों तथा आवासों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

मंत्री का नाम	बंगले का नम्बर	निर्माण किए गए क्षेत्र सहित भूमि का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मुख्य भवन	निर्माण किया गया क्षेत्र (वर्गमीटर में) गेराज और सर्वेंट क्वार्टर	कार्यालय खण्ड	गार्ड	स्वागती हाउस कार्यालय	जोड़
सर्वश्री :								
1. मोरार जी देसाई	1 सफदरजंग रोड	11736	860	202	45	—	66	1173
2. एच० एम० पटेल	2 अकबर रोड	11331	478	215	—	—	—	693
3. रबिन्द्र वर्मा	12 अकबर रोड	9046	472	195	94	62	—	823
4. मोहन धारिया	17 अकबर रोड	11291	648	229	70	—	—	947
5. सिकन्दर बख्त	5 सफदरजंग रोड	11736	734	198	68	55	—	1055
6. पुरूषोत्तम कौशिक	1 तुगलक रोड	6070	592	195	77	—	—	864
7. शान्ति भूषण	1 सुनहरी बाग रोड	5261	553	241	—	55	—	849
8. एच० एन० बहुगुणा	5 सुनहरी बाग रोड	13112	681	266	46	55	—	1048
9. जगजीवन राम	6 कृष्ण मैनन मार्ग	12464	1045	406	222	—	—	1673
10. चरण सिंह	5 रेसकोर्स रोड	6880	774	265	102	55	—	1096

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. डा० पी० सी० चुन्दर	7 कृष्ण मैनन मार्ग . .	12464	774	363	—	—	—	1137
12. मधु दण्डवते	8 कृष्ण मैनन मार्ग . .	12464	789	361	—	—	—	1150
13. पी० रामचन्द्रन	12 जन पथ . .	14650	644	315	—	—	—	959
14. बृजलाल वर्मा	10 रायसीना रोड . .	5949	532	147	61	55	—	795
15. अटल बिहारी वाजपेयी	2 जन्तर मन्तर रोड .	8689	483	152	103	55	—	793
16. एल० के० अडवानी	सी 1 5 और 6, पंडारा रोड	1634	547	132	—	—	—	679
17. बीजू पटनायक	26 महादेव रोड . .	1659	191	50	50	—	—	291
18. जार्ज फर्नान्डीज	9 मोतीलाल नेहरू मार्ग .	9308	754	266	54	—	—	1074
19. राज नारायण	8 डा० विशम्भर दास मार्ग	2810.50	258.54	73.95	—	—	—	332.49

मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये बहु-मंजिले भवन

1813. **श्री रेणु पद दास : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में मकान की समस्या का समाधान करने के लिये मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये बहु-मंजिले भवन बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). डी० डी० ए० 3 से 4 मंजिले मकानों का निर्माण कर रहा है। और अधिक मंजिले मकानों का निर्माण करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

शिक्षा के बारे में भारत-अमेरिका उप-आयोग

1814. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी उप-आयोग की तीसरी बैठक 25 मई, 1977 को नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) इस प्रस्तावित बैठक का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इसमें विद्वानों और बुद्धिजीवियों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग के बारे में कोई समझौता हुआ था; और

(घ) अमरीकी सरकार शिक्षा तथा संस्कृति का संवर्धन करने के लिए भारत को कहां तक सहायता देने पर सहमत हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमेरिका उप-आयोग की तीसरी बैठक 25 और 26 मई, 1977 को हुई थी ।

(ख) और (ग). सहयोग के कार्यक्रम को जारी रखा जायेगा जिसमें फेलोशिप तथा विजीटरशिप के आदान-प्रदान, द्वि-राष्ट्रीय सेमिनारों, प्रदर्शनियों के विनिमय आदि की व्यवस्था है ।

(घ) यह द्वि-राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा पारस्परिक सहयोग का एक कार्यक्रम है, न कि सहायता का ।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा तदर्थ पैनल के शिक्षकों को नियमित सेवा में लिया जाना

1815. **डा० आर० रोथुअम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के तदर्थ पैनल (1973-74) के सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया था कि पैनल के सभी व्यक्तियों को नियमित रिक्त स्थानों पर रख लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल से अब तक कितने शिक्षकों को नियमित पदों पर लिया गया है; और

(ग) पैनल के बाकी शिक्षकों को नियमित रिक्त स्थानों में कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि 721 शिक्षकों के एक पैनल में से 571 शिक्षकों को नियमित रिक्त स्थानों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था।

(ग) पैनल की अवधि 1975 में समाप्त हो गई थी। पैनल के बाकी शिक्षकों को खपाने का प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

1816. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को उचित मूल्य दिलाने और किसानों की सुधरे हुए बीज, कृषि उपकरण, उर्वरक तथा कीट-नाशी पदार्थों संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किस सीमा तक पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार कृषि मूल्यों और कृषि सामग्री के बीच पारस्परिक संबंध बैठाने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई ब्यौरा तैयार किया गया है, तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) सरकार की नीति यह है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। सरकार ने गेहूं की अधिप्राप्ति के मूल्य जो वर्ष 1976–77 में 105 रु० प्रति क्विंटल था, चालू विपणन वर्ष 1977-78 में 110 रु० प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार आदानों की सप्लाई बढ़ाने और वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू करके किसानों की विभिन्न आदानों की मांगों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

(ख) और (ग). खाद्यान्नों के लिए अधिप्राप्ति मूल्य तथा महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम सहाय्य मूल्य सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग की सलाह के आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं। मूल्यों के स्तर पर सिफारिश करते समय आयोग अन्य बातों अर्थात कृषि आदानों के मूल्यों में परिवर्तन और फसलों के उत्पादन की लागत पर पड़ने वाले उनके प्रभाव आदि को ध्यान में रखता है।

भागीरथी नदी के पश्चिमी तटों का भारी कटाव

1817. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरक्का, धुलियान, औरंगाबाद, नीमतीता से लेकर नीचे तक के भागीरथी नदी के पश्चिमी तटों का प्रति वर्ष भारी कटाव होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). भागीरथी के दक्षिण तट पर कटाव की समस्या बहुत पुरानी है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार 1969-70 से, जब कटाव की समस्या गम्भीर हो गई थी, असुरक्षित पहुंचों में कटाव से सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है। इन उपायों में लगभग 1.79 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 80 जलमग्न हो सकने वाली बौल्डर ठोकरों का निर्माण शामिल है। राज्य तकनीकी समिति ने धुनियान में अन्तरिम उपायों के लिए 43.3 लाख रुपये की लागत वाली एक स्कीम स्वीकृत की है और इस बीच इस स्कीम के कुछ कार्यों को हाथ में ले लिया गया है। राज्य सरकार ने भागीरथी के दक्षिण तट के साथ समग्र प्रभावित पहुंच में इस समस्या से निपटने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत आंकड़े एकत्रित करने, अनुसंधान एवं द्रविक माडल अध्ययन करने के कार्य किए जा रहे हैं।

डी० डी० ए० लोनी रोड रिहायशी योजना

1818. **श्री शिव सम्पत** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में कम आय वर्ग के लोगों को लोनी रोड रिहायशी योजना के अन्तर्गत विशेषतया पश्चिमी क्षेत्र में डी० डी० ए० ने कितने रिहायशी प्लाट आवंटित किये हैं;

(ख) क्या इन लोगों ने प्लाट का पूरा भगतान पहले ही कर दिया है और बिक्री से संबंधित पटटानामा भी रजिस्टर्ड हो गया है और अलाटियों को सौंप दिया गया है;

(ग) क्या डी० डी० ए० का इस समय क्षेत्र के किसानों के साथ विशेषतया पश्चिमी क्षेत्र में कुछ विवाद छिड़ गया है और इस कारण वहां पर कोई विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और ऐसी घोर उपेक्षा के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(घ) क्या अलाटियों को, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक पूर्व भुगतान कर दिया है ब्याज दिया जायेगा और क्या उन्हें वैकल्पिक जगह आवंटित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लोनी रोड रिहायशी योजना में आवंटित प्लाटों की कुल संख्या 2175 है जिनमें से 1975-76 में 1,111 प्लाट निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को लोनी रोड (पश्चिम) पर आवंटित किए गए थे।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में।

(ग) विकास कार्य रोक दिया गया है क्योंकि गोकलपुर के ग्राम-वासियों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी है और उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिए हैं। मुकदमे का निर्णय होने के बाद पूर्ण तथ्य जानने के बाद ही केवल जिम्मेदारी निश्चित की जा सकती है।

(घ) मामले पर गौर किया जा रहा है।

Draining out of Stinking Water in Trans Yamuna Area of Delhi

1819. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the action taken or propo sed to be taken by Government to drain out the stinking water stagnant for 28 years in an area of several square miles alongwith a railway line near old Seelampur and Raghubarpura from Kailash Nagar in Trans Yamuna area of Delhi?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): The drainage of accumulated water in these areas forms part of Shahdara Storm Water Drainage project which is under execution. The water will be drained off as soon as trunk drain No. 1 under the Project is completed.

Supply of Drinking Water in J.J. Colony, Sultanpuri

1820. **Shri R. K. Amin:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the sources through which drinking water was being supplied in the resettlement J. J. Colony, Sultanpuri, Nangloi from May, 1976, as saline water is found there;

(b) whether Government are aware that water drawn by hand pumps in this colony is also saline and if so, the sources through which and blocks in which drinking water was/is being supplied there; and

(c) the time by which regular supply of drinking water is likely to made there?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) and (b) Drinking water in the Resettlement colony of Sultanpuri is being supplied through handpumps and five tube-wells, and in Nangloi through hydrants (deep tube-wells) and hand pumps. Water obtained from some of the hydrants and handpumps in these Colonies is saline and from some others is sweet and good in taste.

Water is since being supplied to blocks B & C Sultanpuri from an open well in Block C. Arrangements have been completed to supply sweet water in block A also from an open well in block A. Possibility of supplying drinking water from shallow tubewells in Block D to F of Sultanpuri is also being explored as these tubewells are expected to yield sweet water.

(c) There is a general shortage of water in Delhi. Projects to augment the water supply are under execution and it will be possible to extend regular water supply to these colonies only after completion of those projects. The projects are likely to be completed by the year 1981.

गोश्रा में कृषि कालेज

1821. **श्री एडुग्रार्डो फैलीरो** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में अभी तक कोई कृषि कालेज स्थापित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहां अब ऐसा कालेज खोलने का है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अभी तक, इस प्रदेश में एक भी कृषि कालेज स्थापित नहीं किया गया है । पांचवीं योजना में, गोवा में एक कृषि कालिज स्थापित करने का प्रस्ताव था । तथापि, योजना आयोग सहमत नहीं हुआ और इसके बजाय सुझाव दिया कि गोवा के छात्रों को वजीफे (स्टाइपेंड) देकर पड़ौसी राज्यों में भेज दिया जाये । पांचवीं योजना अवधि के पहले वर्ष से ही गोवा सरकार द्वारा छात्रों को नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा जा रहा है ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

उर्वरक का एक समान मूल्य

1822. **डा० बापू कालदते.** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों/यूरिया की भारी कमी है ;

(ख) क्या उर्वरकों के उत्पादन में कोई कमी हुई है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप यूरिया और उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो पूरे देश में उर्वरकों का समान मूल्य सम्बन्धी नीति और उनकी पर्याप्त सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । नाइट्रोजन फास्फेट तथा पोटाश आदि सभी प्रमुख उर्वरक की मांगों को पूरा करने के लिए देश में यूरिया सहित उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(ख) जी हां । 1976-77 के दौरान नाइट्रोजन के उत्पादन में 2.4 प्रतिशत की थोड़ी सी कमी हुई है ।

(ग) जी नहीं । वास्तव में गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में पाच बार कमी की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Take over of Sugar Mills in U.P.

1823. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Governor of Uttar Pradesh has recommended to the Central Government that some sugar mills of Uttar Pradesh should be taken over; and

(b) if so, the number thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दक्षिण में मेटालिफेरस माइनिंग एण्ड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट

1824. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्कूल की तरह राष्ट्रीय संस्था के रूप में दक्षिण में मेटालिफेरस एण्ड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या इस समय धनबाद स्कूल ही ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जो केवल कोयला खनन की आवश्यकताओं को पूरा करता है जबकि दक्षिण में संस्थान उत्तर और दक्षिण के बीच खनन इंजीनियरों के आने जाने की वर्तमान कमी पर काबू पा लेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खनन स्कूल, धनबाद के अतिरिक्त दक्षिण में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद सहित छः संस्थान, इस क्षेत्र में प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। देश के एक भाग से दूसरे भाग में खनन इंजीनियरों के आने-जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के नोटिस में कोई कठिनाई नहीं आई है।

Setting up of Sugar Mill in Bahraich, U.P.

1825. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that district Bahraich is one of the most backward districts of Uttar Pradesh but sugarcane grow in abundance there;

(b) if so, whether Government would consider setting up of sugar mill there for the development of the district; and

(c) if so, the date by which Government propose to start work in this direction?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (c) Bahraich District is one of the notified backward areas in Uttar Pradesh. There is already one sugar factory with an installed capacity of 1118 tonnes cane per day. An industrial licence for a 1250 tonnes cane per day capacity has been granted to Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Nanpara, District Bahraich on 26-3-1974, which is yet to be implemented. It has been reported by the State Government that the present production of sugarcane in the District of Bahraich is not in abudance and that the availability of cane in the district may not be enough to justify the setting up of another sugar factory.

Text Recorded in Time Capsule

†1826. **Shri Mritunjay Prasad Varma:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the dates together with the names of the places where time capsules have been recorded by Government of India during the last 10 years and whether true copies of the text recorded in the time capsules, the names of the writers, editors and the officers as well as Ministers who finally approved the text are available and if so, whether complete information would be laid on the Table of the House; and

(b) whether those records present true picture of current history or are only praises of contemporary and the previous Prime Miniters or are a mixture of true facts and praises and whether Government propose to constitute a committee of impartial scholars to enquire into it?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) (i) *Nehru Capsule:* Date of embedding 27-5-1972.

Place—Shanti Vana.

Remarks: Contains a text on important national and international events since 1964 and upto 8th death anniversary of Shri Jawaharlal Nehru both in Hindi and English. Text and other details are not available. Information when available will be laid on the Table of the House.

(ii) *Gandhi Capsule:* Date of embedding 30-1-1973.

Place of Burial—Gandhi Samriti.

Remarks: Contains no text.

(iii) *Silver Jubilee Time Capsule:* Date of Burial—15th August, 1973.

Place of Burial—Red Fort.

Remarks: The text buried is 10,000 word account on important aspects of history of India from August 1947 to August, 1972. The preparation of this historical account was entrusted to the Indian Council of Historical Research. An Illustrated calendar of important developments since Independence was prepared by National Institute of Design.

(b) The Government have decided that the Silver Jubilee Time Capsule and Nehru Capsule may be taken out and the contents made public.

Benefit to Small Farmers from Irrigation Facilities

1827. **Shri Kanwar Lal Gupta**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether big farmers have been benefited mainly by the irrigational facilities provided by the Government;

(b) steps Government propose to provide irrigation and other facilities for more production to the small farmers;

(c) whether the benefit of 80 per cent of the expenses incurred in all plans was received by the big land-lords which constitutes only 20 per cent of the farmers; and

(d) if so, whether Government propose to change the priority and if so, when?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No. Sir. According to all India report on Agricultural Census 1970-71 about 54 per cent of the total irrigated benefit in the country is provided to farmers having holdings upto 4 hectares.

(b) The Government have already taken steps to provide irrigation and other facilities for more production to the small farmers. These include :—

(i) Provision of special subsidies to the small farmers under Small Farmers Development Agencies, Drought Prone Areas Programme, Integrated Tribal Development Projects and Command Area Development Programme.

(ii) Extending concessional terms and conditions for bank loans to the small farmers.

(iii) Extending higher subsidy to group works to be owned by the small farmers.

(iv) Undertaking public tubewells in such areas which have predominence of small farmers.

(c) No, Sir. The available information suggests that the benefits accounted for by the big land-lords from the plan expenditure has been of a much lesser order.

(d) Does not arise in view of 'c' above.

लेवी वसूली की आवश्यकता

1828. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज की लेवी वसूली अभी भी जारी है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या पर्याप्त रक्षित भंडार सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये लेवी वसूली आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्यों में लेवी के अधीन वसूली अधिकांशतः धान/चावल के मामले में की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र को छोड़कर गेहूं और मोटे अनाजों की वसूली के लिए कोई लेवी नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने अपने भू-राजस्व के आधार पर किसानों पर लेवी लगाने की प्रणाली अपनायी है। ऐसी लेवी धान, चावल, ज्वार, बाजरा अथवा गेहूं के हिसाब से दी जा सकती है। कर्नाटक के बारे में, मोटे अनाजों पर लेवी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने पहले ही राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि रबी के अनाजों के बारे में न तो उत्पादकों पर और न ही व्यापारियों पर अनिवार्य लेवी लगायें।

(ख) गेहूं की स्टाक स्थिति सुगम होने की दृष्टि से, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि उत्पादकों अथवा व्यापारियों पर लेवी लगाकार रबी के अनाजों की वसूली न करे। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और बफर स्टाक तैयार करने के लिए धान चावल की लेवी वसूली करना आवश्यक समझा जाता है। विपणन मौसम 1977–78 के लिए खरीफ की नीति तैयार करते समय इस मामले की और समीक्षा की जाएगी।

(ग) वसूली के तरीके और लेवी की मात्रा के बारे में राज्य सरकारें निर्णय लेती हैं। राज्यों में लागू लेवी की सीमा को बढ़ाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

धान चावल पर लेवी लगाकर राज्यवार वसूली को दिखाने वाला विवरण

(1) आन्ध्र प्रदेश	मिल मालिकों पर 50 प्रतिशत लेवी।
(2) बिहार	कोई लेवी नहीं।
(3) गुजरात	उत्पादकों पर क्रमिक लेवी।
(4) हरियाणा	मिल मालिकों/व्यापारियों पर चावल की 90 प्रतिशत लेवी।
(5) हिमाचल प्रदेश	कोई लेवी नहीं।
(6) कर्नाटक	धान, ज्वार और रागी के उत्पादकों पर क्रमिक लेवी।
(7) जम्मू और कश्मीर	कोई लेवी नहीं।
(8) केरल	उत्पादकों पर क्रमिक लेवी।
(9) मध्य प्रदेश	मिल मालिकों/व्यापारियों पर चावल की 60 प्रतिशत लेवी।
(10) महाराष्ट्र	धान/चावल/ज्वार/बाजरा/गेहूं जैसे खाद्यान्नों में से किसी एक के हिसाब से भूमिधारकों द्वारा देय भू-राजस्व के संदर्भ में विशिष्ट मात्रा में लेवी।
(11) नागालैंड	कोई लेवी नहीं।
(12) उड़ीसा	कोई लेवी नहीं।
(13) पंजाब	मिल मालिकों/व्यापारियों पर चावल की 90 प्रतिशत लेवी।

(14) राजस्थान	. .	मिल मालिकों पर चावल की 60 प्रतिशत लेवी।
(15) सिक्किम	. .	कोई लेवी नहीं।
(16) तमिलनाडु	. .	विशिष्ट क्षेत्रों में 40 प्रतिशत की दर पर धान चावल की खरीदारी पर मिल मालिकों सहित थोक व्यापारियों पर लेवी।
(17) उत्तर प्रदेश	.	मिल मालिकों/लाइसेंसशुदा व्यापारियों पर लेवी के अधीन चावल। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 75 प्रतिशत के हिसाब से लेवी की प्रतिशतता निर्धारित की गई है और गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों में 40 प्रतिशत के हिसाब से। कुछेक पहाड़ी जिलों/क्षेत्रों को लेवी आदेश से छूट है।
(18) पश्चिमी बंगाल		मिलों पर 50 प्रतिशत के हिसाब से लेवी के अधीन चावल। उत्पादक लेवी के अधीन भी।

सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिये अग्रिम राशि का दिया जाना

1829. **श्री आर० के० महालगी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के वित्त और विधि मंत्रालयों ने वर्ष 1973 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1971 के महाराष्ट्र अधिनियम, सं० XV के उपबन्धों के अन्तर्गत फ्लैटों की खरीद के लिए मकान निर्माण की अग्रिम राशि दिये जाने की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या भारत सरकार के मकान निर्माण अग्रिम राशि देने सम्बन्धी नियमों को युक्ति-युक्त बनाने और उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और सम्बद्ध व्यक्तियों ने इस बारे में काफी मांग भी की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1972 में न कि 1973 में, विधि तथा वित्त मंत्रालयों के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया था कि महाराष्ट्र अधिनियम XV पर बल नहीं दिया जाना चाहिये जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सहकारी सोसायटी द्वारा बनाए गए, बहुत से अपार्टमेंट वाले भवन इसे पैत्रिक तथा स्थानान्तरण द्वारा पूर्ण अधिकार सहित किसी भवन के किसी अपार्टमेंट का मालिकाना अधिकार, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा भूमि रहन रखी जा सकती है, बशर्ते कि समिति एक संकल्प द्वारा समस्त भूमि को राष्ट्रपति के नाम रहन रख दे। किन्तु यदि किन्हीं कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो तो सरकारी कर्मचारी का एक निजी बांड के साथ दो स्थायी कर्मचारियों द्वारा निष्पादित जमानत नामे इस शर्त पर स्वीकार किये जा सकते हैं कि निजी बांड के स्थान पर सरकारी कर्मचारी से समानान्तर जमानत स्वीकार की

जाये । किन्तु सोसायटी की भूमि विवाद रहित होनी चाहिये और यह सोसायटी केवल सरकारी कर्मचारियों की ही होनी चाहिये भवन फ्लैट अपार्टमेंट के रहन के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही रहेंगी जो पहले थी ।

उपर्युक्त निर्णय के आधार पर फरवरी, 1969 में आदेश जारी किये गये थे और इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ।

(ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इन निर्देशनों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है अथवा इन निर्देशनों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Post Lying Vacant in Delhi Milk Scheme

1830. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of posts lying vacant in Delhi Milk Scheme at present indicating the names of these posts; and

(b) the time since when these posts are lying vacant and when these posts are likely to be filled up?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) A statement giving the information is laid on the table of the Sabha.

[Placed in Library. See No. L.T. 521/77].

पुनर्वास विभाग गृह निर्माण समिति को भूमि का आबंटन

1831. **श्री एल० एल० कपूर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास गृह निर्माण समिति विभाग द्वारा मालवीय नगर में 60 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और 10 लाख रुपये की राशि भी स्वीकार की गई है ;

(ख) क्या गत लोक सभा में इस बारे में कोई आश्वासन दिया गया था और इसके बावजूद समिति के विकास में डी० डी० ए० के तत्कालीन वाइस चेयरमैन निर्माण, आवास मंत्रालय द्वारा बाधा डाली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो मामले को हल करने के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां । पुनर्वास विभाग द्वारा सोसाइटी को भूमि आवंटित की गई थी तथा सोसाइटी ने 10 लाख रुपये भुगतान के रूप में जमा किए थे ;

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि पिछली लोक सभा में दिया गया आश्वासन किस के संदर्भ में दिया जा रहा है ।

(ग) मूल्यों आदि को अन्तिम रूप देने के बारे में पुनर्वास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सरकारी आवास में रह रहे पत्रकार

1832. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी आवास में रह रहे पत्रकारों को मई 1977 में पैनल्टी किराया अदा करने के लिए नोटिस जारी किये गये थे जबकि सरकार ने गत सत्र में सदन में यह कहा था कि सरकार की मंशा सामान्य किराये पर आवास उपलब्ध कराने की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) (ख) तथा (ग) : सरकार ने प्रैस पूल को पुनः शुरु करने का निर्णय किया है। इस बारे में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। औपचारिक आदेशों के जारी होने से पूर्व, अप्रैल, 1977 मास के लिए मार्किट दर पर कतिपय बिल जारी किए गए थे लेकिन उन दरों पर अब तक अदायगी वसूल नहीं हुई है। बिल में शामिल की गई कोई भी अधिक राशि, अन्तिम आदेश जारी होने के बाद समायोज्य होगी।

U.G.C. Scales for Teachers of Recognised Private Colleges

1833. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Lecturers of the recognised private colleges have been demanding that they should also be given the pay scales recommended by U.G.C.; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The pay scales recommended by the University Grants Commission and as approved by the Central Government are applicable to teachers of private colleges also and where they are not implemented there is a demand by those affected.

(b) It would be a matter for the State Governments to decide.

दण्डकारण्य में विस्थापितों का पुनर्वास

1834. **श्री के० एन० दासगुप्ता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में लोगों की समस्याओं का पता लगाने के लिए तीन वर्षों में वहां विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था ; यदि हां, तो इस सर्वेक्षण से क्या संकेत मिलता है ;

(ख) इस समय वहां की जनसंख्या कितनी है और यह दस वर्ष पूर्व की जनसंख्या की तुलना में कम है अथवा अधिक ; और

(ग) वहां सड़कें, जल सप्लाई, अस्पताल, स्कूल, बाजार आदि की सुविधायें देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम के समय-समय पर पुनरीक्षण के अलाव, दण्डकारण्य में बसाए गए गैर-कृषक परिवारों का 1971 में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। सर्वेक्षण से यह पता चला कि उनका पुनर्वास इतना सफल नहीं हुआ था जितना कि कृषकों का और इसलिए कुछ अधिक वित्तीय सहायता के अलावा, उनकी और अधिक ध्यान देने और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस संबंध में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की गई।

(ख) 30–4–77 को बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की जनसंख्या 19,976 परिवार थी और 5,671 परिवार कर्मी शिविरों में राहत सहायता पर थे जबकि इसके विपरीत 30-4–67 को बसाए गए परिवारों की संख्या 10,222 थी और 889 परिवार आवाजाही केन्द्रों में राहत सहायता प्राप्त कर रहे थे।

(ग) एक विवरण, जिसमें ये ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न है।

'विवरण

दण्डकारण्य परियोजना में सड़कों, जल सप्लाई, अस्पताल, स्कूल, बाजार आदि जसी प्रदान की जा रही सुविधाएं

(1) सड़कें :

(क) मुख्य सड़कें	474 कि० मी०
(ख) आदिवासी सड़कें	281 कि० मी०
(ग) सम्पर्क सड़कें	750 कि० मी०

(2) जल सप्लाई :

(क) सिंचाई परियोजनाएं :—	
(i) पूरी की गई	2
(ii) निर्माणाधीन	3
(ख) लघु सिंचाई योजनाएं	33
(ग) गांव टैंक	271
(घ) ऊपरी पानी की टंकियां	315
(ङ) चिनाई वाले कुएं	441
(च) नल-कूप	1454

(3) अस्पताल तथा अन्य चिकित्सा संस्थान :

(क) अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
(ख) औषधालय	3

(ग) स्वास्थ्य उप-केन्द्र	13
(घ) प्राथमिक आपात सहायता केन्द्र	51
(4) **स्कूल** :	
(क) प्राथमिक	287
(ख) माध्यमिक	28
(ग) उच्च	4
(5) **बाजार** :	
साप्ताहिक हाट	पहले से चल रहे 30 के अलावा 20 और।

Production cost and procurement price of wheat

1835. **Shri Rudra Sen Chaudhary:** Will the Minister of **Agricultue and Irrigation** be pleased to state:

(a) the production cost of wheat according to Agricultural Prices Commission and the rate at which the farmers has to sell it to Government; and

(b) the profit earned or loss suffered by the farmers thereby?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Agricultural Prices Commission have not given data on cost of production of wheat in their report on price policy for wheat for the 1977-78 season. However, the latest available estimates of cost for the States of Punjab, Haryana and U.F., according to the comprehensive scheme for studying the cost of cultivation of principal crops, are as follosws:—

State	*Year*	*Rate per quintal*
		Rs.
Punjab	1975-76	99·45
Haryana . .	1975-76	83·65
U.P.	1975-76	89 69

These are the average figures of all the farms studied in these States. The Government have fixed the procurement price of Rs. 110/- per quintal for Fair Average Quality Wheat for the 1977-78 marketing season for all the States.

(b) Since the cost of cultivation varies from farm to farm, and since with the removal of the zonal restrictions, it is also possible for the producer to get higher prices from the trade, it is difficult to quantify and give the exact return to the producers.

खाद्य में आत्म-निर्भरता

1836. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस खरीफ फसल के लिए निर्धारित खाद्यान्न के लक्ष्य संबंधी कार्यक्रम को सरकार ने पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सभी एजेन्सियों द्वारा अब तक कुल कितने खाद्यान्न की वसूली की गई है; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1976–77 के लिए सरकार ने चावल के लिए 44·00 लाख मीटरी टन का वसूली लक्ष्य निर्धारित किया है । खरीफ के मोटे अनाजों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

25–6–1977 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 42.80 लाख मीटरी टन चावल समेत खरीफ अनाजों की कुल 44·98 लाख मीटरी टन की मात्रा की वसूली की गई है ।

(ग) स्टाक की स्थिति सुगम होने के संदर्भ में सरकार ने जून, 1976 से विदेशों से खाद्यान्नों की वाणिज्यिक खरीदारी बन्द कर दी है और निकट भविष्य में खाद्यान्नों के आयात करने की सूचना नहीं है ।

योग मूल्यांकन समिति

1837. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में सरकार ने 'योग मूल्यांकन समिति' नामक एक समिति को गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) इस समिति के गठन का प्रयोजन क्या था : और

(घ) समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान की सोसाइटी (रा० श० शि० खे०सं०सो०) ने भारत सरकार के महानिदेशक (युवक सेवाएं) तथा सोसाइटी के एक सदस्य लैफ० जन० के० पी० कंडेथ की अध्यक्षता में 1976 में एक योग मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की है ।

(ख) और (ग) उक्त समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय इस विवरण के साथ नत्थी अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(घ) समिति ने अक्तूबर, 1976 को आयोजित अपनी प्रथम बैठक में अपने विचारार्थ विषयों के प्रसंग में कुछ सामान्य विचार-विमर्श किया तथा उस बैठक में हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :—

(i) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से नियमित अनुदानों को प्राप्त करने वाली दो योग संस्थाओं, अर्थात कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति, लोनावला (पुणे) और विश्वायतम योग आश्रम, नई दिल्ली के कार्यकरण का, उनसे उनके कामका के बारे में सही आंकड़े एकत्र करने के बाद, मौके पर मूल्यांकन करना;

(ii) पहले से एकत्र किए जाने वाले वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चुनी गई योग संस्थाओं के कार्यकलापों और कार्यक्रमों का मौके पर ही मूल्यांकन करना, ताकि योग की प्रोन्नति के लिए सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के औचित्य पर विचार किया जा सके ;

(iii) स्कूलों तथा कालेजों में अध्ययन के एक विषय के रूप में योग के लागू करने के बारे में सुझाव की जांच करने के लिए एक पाठ्यचर्या उप-समिति की नियुक्ति । क्योंकि समिति द्वारा मौके पर मूल्यांकन अभी शुरू किया जाना है, इसलिए पाठ्यचर्या उप-समिति की (मार्च–1977) में बैठक हुई । इसने भारतीय औषध तथा समचिकित्सा की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार की गई "स्कूलों तथा कालेजों के लिए योग शिक्षा पाठ्यचर्या" पर विचार किया । उप-समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि देश में शिक्षा की औपचारिक पद्धति में इस 'पाठ्यचर्या' को लागू करने की सिफारिश करने का परिपक्व समय नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश किए जाने से पूर्व योगासनों और शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों का उचित सम्मिश्रण स्कूलों के पर्याप्त मात्रा से प्रतिनिधित्व ग्रुप में प्रयोग करना आवश्यक होगा । तदनुसार, यह सिफारिश की गई थी, कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के 20 चुने गए स्कूलों में एक नियन्त्रित प्रयोग का, शारीरिक शिक्षा तथा योग सम्बधी कार्यकलापों के उचित सम्मिश्रण के आधार पर विशेषज्ञों के पर्यवज्ञण तथा मार्गदर्शन में संचालन किया जाए ।

रा० शा० शि० खे० सं० सो० शासी मंडल ने 28 मई, 1977 को हुई अपनी बठक में अन्य बातों के साथ-साथ उप-समिति की सिफारिश पर विचार किया और मुख्य समिति को उसकी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए दूसरी बैठक आयोजित करने हेतु निदेश दिया । समिति के सदस्य-सचिव से समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

"विवरण"

समिति का गठन तथा उसके विचाराधीन विषय

(क) गठन :

1. ले० जनरल के० पी० केन्डेथ, पी० वी० एस० एम०, — **अध्यक्ष**
   महानिदेशक (युवक सेवाएं)
   मन्त्रिमंडल सचिवालय,
   भारत सरकार,
   नई दिल्ली ।

2. श्री ए० एस० तलवार,
उप-सचिव
(शारीरिक शिक्षा तथा खेल),
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
(शिक्षा विभाग),
नई दिल्ली।

3. डा० एम० रोबसन,
प्रिंसिपल,
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज,
ग्वालियर—474002. (मध्य प्रदेश)।

4. डा० पी० एन० वी० कुरुप,
सलाहकार (देशी चिकित्सा पद्धति),
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग),
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

5. निदेशक,
केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान,
गोल डाकखाने के निकट,
नई दिल्ली।

6. स्वामी आनन्दानन्द,
योग आचार्य,
योगिक उपचार एवं अनुसन्धान केन्द्र,
जयपुर (राजस्थान)।

7. डा० जी० एस० चिन्ना,
शरीर विज्ञान के
प्रोफेसर,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।

8. श्री डी० जी० बखारकर,
खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा पर
महाराष्ट्र राज्य सरकार के सलाहकार
द्वारा निदेशक खेलकूद तथा युवक कल्याण,
महाराष्ट्र राज्य, पूना (महाराष्ट्र)।

9. श्री आर० एल० आनन्द, सदस्य-सचिव]
निदेशक,
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान,
पटियाला (पंजाब)।

(ख) विचाराधीन विषय :

(1) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की, योग की प्रोन्नति की योजना के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ उन की वर्तमान सुविधाओं कार्यक्रमों के सुधार और या विकास के लिये प्रस्तावों सहित दो नियमित अनुदानग्राहियों की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण।

(2) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से उपरोक्त दो तथा अन्य योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के क्षेत्र को बढ़ाने की संभावना पर विचार करना तथा ऐसी सहायता के लिये मानदंडों की सिफारिश करना।

(3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज / नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की भांति स्कूल तथा कालेज अध्यापकों को योग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये किसी उपयुक्त वर्तमान योग संस्था को बदलकर अथवा अन्यथा एक राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर विचार करना।

(4) स्कूलों / कालेजों में योग को एक अध्ययन विषय के रूप में आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करना।

(5) दूसरे देशों से विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन भारत में योग में प्रशिक्षण / अनुसंधान के लिये विदेशों से व्यक्तियों को आमन्त्रित करना और / या योग विशेषज्ञों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में सामान्य नीति की सिफारिश करना।

(6) विदेशों में योग संस्थाओं की स्थापना और / या इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के लिये विदेशी सरकारों को सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार करना।

(7) विदेशों में योग की ख्याति और / या प्रचार करने के लिये इस के प्रामाणिक परिप्रेक्ष्य में उपायों को सुझाना।

(8) योग के विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रोन्नति से संबंधित मामलों में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच संपर्क स्थापित करने के लिये उपाय सुझाना ताकि दो मंत्रालयों के कार्यक्रमों में संभावित दोहरेपन या परस्पर व्यापन को दूर किया जा सके और योग की प्रोन्नति के लिये निर्धारित केन्द्रीय सरकार के संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना ; और

(9) अन्य कोई संबद्ध मामला जिस पर समिति अपनी सिफारिशें करना चाहे।

इसके विचाराधीन विषयों के संबंध में समिति के अध्ययन का क्षेत्र योग के गैर चिकित्सीय दृष्टिकोण तक सीमित रहेगा।

देवली में रह रहे विस्थापितों को नकद धनराशि आदि का भुगतान बन्द करना

1838. **डा० सरदीश राय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवली कैम्प में रह रहे विस्थापितों के 43 परिवारों ने सख्त शिकायत की है कि इस कैम्प के कमाण्डेंट ने 21 जून, 1977 से नकद बेकारी अनुदान का भुगतान, राशन सप्लाई, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का देना पूर्णतया बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शिकायत के बारे में कोई जांच है ; और

(ग) कमाण्डेट के विरुद्ध जिसके खिलाफ विस्थापितों से बहुत सी शिकायतें मिल रही है, कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जांच करने से पता चला है कि इन 43 परिवारों को देवली शिविर (राजस्थान) से 21–6–76 (न कि 21–6–77 जैसा कि प्रश्न में दिया गया है) को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने पुनर्वास स्थान पर जाने से इन्कार कर दिया था, यद्यपि उन्हें दो अवसर दिये गये थे। फिर भी सहानुभूतिपूर्ण आधार पर उन्हें केवल पुनर्वास लाभ दिये गये थे और यह सूचित किया गया है कि ये परिवार पुनर्वास स्थान पर चले गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दर्शन सम्बन्धी अनुसंधान परिषद् के सभापति के रूप में श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय की नियुक्ति

1839. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मंत्री श्री डी० पी० चटटोपाध्याय ने दर्शन संबंधी अनुसंधान परिषद् के सभापति का कार्यभार संभाल लिया है ;

(ख) क्या आपातस्थिति के दौरान गैर शैक्षिणक कारणों से शैक्षणिक संस्थाओं में की गई नियुक्तियों पर पुर्नविचार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) दर्शन संबंधी अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्यों का और अधिकारों तथा सदस्यों के नामों का व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ग) भारतीय दर्शानिशास्त्र परिषद् की स्थापना, दार्शनिकों द्वारा अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक जांच प्रदान करने तथा दर्शनशास्त्र में अध्यापन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने तथा पुनरीक्षण के लिये, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11–3–77 के संकल्प द्वारा की गई थी। उसी संकल्प द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री

प्रो० डी० पी० चटटोपाध्याय को परिषद का अध्ययक्ष नियुक्ति किया गया था । प्रो० चट्टोपाध्याय ने अध्यक्ष का कार्यभार नहीं संभाला बल्कि अस्वीकार कर दिया था ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय से सीधा संबंध रखने वाले शैक्षिक निकायों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जब कभी भी शिक्षा मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उन की जांच पड़ताल की जाती है और गुण दोषों के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं ।

Working of Kashi Nagari Pracharini Sabha

1840. Shri Ishwar Choudhary: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have received some representations for inquiry into the working of Kashi Nagari Pracharni Sabha; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Yes, Sir.

(b) Nagari Pracharini Sabha, Varanasi, is an autonomous voluntary Organisation and the representations are under consideration.

प्रौढ़ शिक्षा के लिए अपर्याप्त सहायता

1841. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा का वर्तमान कार्यक्रम और इस के लिये दी गई सहायता काफी अपर्याप्त पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता में वृद्धि करने और प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार में लगे व्यक्तियों को परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रौढ़ निरक्षता की समस्या को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंच वर्षीययोजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिये व्यवस्था अपर्याप्त है ।

(ख) केन्द्रीय योजना में प्रौढ शिक्षा की दो मुख्य योजनायें है : (i) किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजना; (ii) 15-25 आयु वर्ग के लिये गैर औपचारिक शिक्षा । इन दोनों योजनाओं में प्रत्येक के अंतर्गत, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों को 50 रुपये प्रति मास का मानदेय दिया जाता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरक्षता की समस्या को हल करने के लिये एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ करना आवश्यक होगा, मासिक मानदेय में वृद्धि करना संभव नहीं होगा ।

चीनी उद्योग के लिये मूल्य नीति का पुनरीक्षण

1842. श्री चित्त बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी उद्योग के बारे में मूल्य नीति का पुनरीक्षण करने का विचार है;

(ख) क्या उपरोक्त पुनरीक्षण हाल ही में दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुनरीक्षण के क्या परिणाम निकले ; और सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) प्रत्येक चीनी मौसम में चीनी उद्योग संबंधी मूल्य नीति की सामान्यता दो बार समीक्षा की जाती है । 1976 77 मौसम की मूल्य नीति सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) निर्णय लेने पर, सदन को इस से अवगत किया जायेगा ।

पगलडिया बचाव बांध संबंधी योजना

1843. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कामरूप जिले में पगलडिया बचाव बाँध संबंधी योजना को छोड़ दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को छोड़ने के क्या कारण हैं ; और]

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन नहीं होता ।

(ग) योजना आयोग ने फरवरी 1973 में 12.6 करोड़ रुपये की पागलाडिया अवरोधक बांध परियोजना को केवल बाढ़ सुरक्षा स्कीम के रूप में स्वीकृत किया था । 8 अप्रैल, 1975 को हुई ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सातवीं बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि संचित जल का उपयोग सिंचाई के लिये किये जाने की संभावना का भी पता लगाया जाय जिससे यह परियोजना अधिक आकर्षक एवं लाभदायक बन सके । असम सरकार ने दिसम्बर, 1976 में 8.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सिंचाई घटक को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी चूंकि यह परियोजना रिपोर्ट पर्याप्त तकनीकी आंकड़ों आदि पर आधारित नहीं थी इस लिये राज्य सरकार को व्यापक बहुदेश्यीय परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये लिखा गया था जिसमें बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के पहलू भी शामिल हों । यह रिर्पोट अब राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से होने वाली हानि

1844. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा होने से मई-जून 1977 में ब्रहमपुत्र और उस की सहायक नदियों में बाढ़ आई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या लोवर आसाम के बाडपेट उपखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ था; क्या बाढ़ से आसाम के बहुत से भागों में फसल नष्ट हो गई थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री सप्लाई की है, यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपवाह क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण ब्रह्मपुत्र और उस की सहायक नदियों में हल्के और मध्यम दर्जे की बाढ़ें क्रमशः मई के अन्त में और जून के मध्य में आईं ।

(ख) असम की राज्य सरकार से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार, बारपेटा के बागबोर सर्किल में और जोरहाट, उत्तरी लखीमपुर, शिवसागर, मंगलदोई, तेजपुर तथा करीमगंज जिलों के कुछ भागों में फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई थीं । बारपेटा सब डिवीजन में कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इस की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार से आनी है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बाढ़-पीड़ितों को राहत प्रदान की जा रही है । राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में उचित दर दुकानों से सप्लाई करने के अलावा मुफ्त सहायता भी दी है । भारत सरकार ने इस आपात स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार को 5000 टन चावल दिया है ।

10—20 वर्ष की सेवावधि वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें

1845. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : **क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को जिनकी 10 से लेकर 20 वर्ष तक की सेवावधि हो जाती है आवास सुविधायें नहीं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आवास देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) बड़ी संख्या में कर्मचारी, जिन्होंने 10-20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो सामान्य पूल वास के पात्र हैं, आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) सरकार, उपलब्ध साधनों के भीतर यथासम्भव अधिक से अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रयास कर रही है ।

UNESCO's Support for India's Projects

1846. **Shri Kalyan Jain:**
Shri G. Y. Krishnan:
Shri Krishan Kumar Goyal:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) assured support for India's projects designed to protect the environment and utilised the solar energy; and

(b) If so, the details of the assistance to be given by the United Nations agency?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b). During his visit to India, the Director-General of Unesco had promised

to support the participation of scientists from the developing countries in the International Solar Energy Congress and activities in the field of environmental education. Unesco have already agreed to provide $ 19000 towards support for foreign participants in the International Solar Energy Congress to be held in Delhi in December 1977. Details of Unesco's assistance for environmental education have not yet been worked out.

'रतून' की खेती

1847. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 'रतून' नामक चीनी के एक नये सस्ते स्रोत की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक प्रयोजन से चीनी का उत्पादन करने हेतु रतून की खेती के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गन्ने की खेती में, मूढ़ी उपजाना अर्थात् पौध से उगाई गई फसल को काटने के बाद उसकी खूटियों से दूसरी फसल लेने का प्रचलन देश व्यापी है। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने चीनी के एक सस्ते स्रोत के रूप में रतून की खोज की है ; तथापि, उन्होंने गन्ने की मूढ़ी से अधिक पैदावार लेने की सस्य-तकनीकी विकसित की है।

(ख) भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ में, विशिष्ट रूप से विकसित की गई गन्ने की मूढ़ी के प्रबन्ध की सस्य-तकनीक का विस्तार राज्य गन्ना विकास विभागों, चीनी की फैक्ट्रियों तथा कृषकों तक किया जा रहा है।

Area Under Irrigation

+

1848. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Hukamdeo Narain Yadav :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the total area of land brought under irrigation during the last three years; and

(b) the area proposed to be brought under irrigation during the next three years?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The total area under irrigation through major, medium and minor schemes at the end of the Fourth Plan i.e. 1973-74 was 42·2 million hectares. This has now increased to 47.4 million hectares by 1976-77 i.e. an addition of 5·2 million hectares in the first three years of the Fifth Plan.

(b) Not less than 8 million hectares of additional area is expected to be provided with irrigation facilities during the next three years.

खाद्य निगम कर्मचारियों के राष्ट्रीय एसोसियेशन द्वारा दी गई मांगें

1849. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के सुधार के बारे में खाद्य निगम कर्मचारियों के राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा की गई मांगों की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि लेखों के लिए कर्मचारियों को पास बुक जारी करने ; टाइम स्केल के बजाय तात्कालिक मूल वेतन पर 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देने और जिन-जिन स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के अपने डिपो हैं, वहां सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के कर्माचारियों को प्राथमिकता देते हुये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने सम्बन्धी मांगों पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). निगम ने सूचित किया है कि अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पास-बुकें शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारियों को मासिक वेतन पर्चियां जारी की जाएं। इन वेतन पर्चियों में वेतन और उसमें से की गई कटौतियों का विवरण देना एक अच्छा वैकल्प समझा गया। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अं०भ० नि०/सामान्य भविष्य निधि के वार्षिक विवरण भी जारी किए जा रहे हैं।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, कर्मचारियों को देय आवास किराया भत्तों की संशोधित दरों को अप्रैल, 1976 में निर्धारित किया गया था। इन दरों में पुनः संशोधन करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहां तक ऐसे स्थानों पर जहां भारतीय खाद्य निगम के अपने डिपो हैं, वहां पर सभी कर्मचारियों के लिए, लेकिन कम आय के कर्मचारियों को तरजीह दी जाएगी, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि निगम के स्रोतों से अन्य अधिक प्राथमिकता देने वाली मांगें होने के कारण ऐसा करना अभी व्यवहार्य नहीं है।

वात चक्रबल से प्रभावित आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

1850. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 के अन्त में आंध्र प्रदेश में चक्रवात से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; : और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) चक्रवात से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार को 3.53 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता योजना की मंजूरी दी गई थी। उर्वरकों, बीजों और कीट नाशी औषधियां जैसे कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए 8 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण की भी मंजूरी दी गई थी। 1976-77 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार के पास 4.31 करोड़ रुपये की सीमान्त राशि भी मौजूद थी।

प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था

1851. **श्री बशीर अहमद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राइमरी स्कूलों में उन छात्रों को उर्दू पढ़ाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो अपनी मातृ भाषा, उर्दू में पढ़ाई करना चाहते हैं ;

(ख) क्या ऐसे स्कूलों में न तो उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापक हैं और न उर्दू की पुस्तकें ही उपलब्ध हैं ;

(ग) उर्दू भाषा के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख): शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है और शिक्षा मन्त्रालय में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोआ, दमन और दीव तथा दिल्ली में प्राथमिक स्तर पर उर्दू अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन स्कूलों में उर्दू के अध्यापन के लिए उर्दू अध्यापक तथा पुस्तकें भी उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार की नीति, उर्दू सहित सभी भाषाओं का प्रसार करना है।

(घ) सरकार ने तरक्की-ए- उर्दू बोर्ड, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, साहित्य अकादमी जैसे संगठनों के माध्यम से उर्दू के प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वैच्छिक उर्दू संगठनों को भी सहायता दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा सोलन और पटियाला में स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का विकास

1852. **श्री वी० के० नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मछली उद्योग की मांगें पूरी करने की दृष्टि से मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इसके लिए विश्व बैंक से कोई सहायता ली गई है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) विश्व बैंक सहायता के लिये केरल की कौन सी परियोजनाओं को लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) 15 स्थलों पर मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का निर्माण करने के लिये स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा लगभग 70 केन्द्रों पर जहाजों के ठहरने व घाट की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ग) विश्व बैंक ने वेरावल तथा मंगरोल में 12.60 करोड़ रुपए की लागत पर मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का निर्माण करने की अनुमति दे दी है।

(घ) मछली पकड़ने की नीदाकार बन्दरगाह पर एक राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत किया जाएगा। परन्तु विझिजोम में मछली पकड़ने की बन्दरगाह का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा जा रहा है।

रामगंगा नदी द्वारा भू-कटाव

1853. **श्री मही लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा नदी द्वारा किए गए भू-कटाव से मुरादाबाद शहर की सुरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि रामगंगा नदी द्वारा कटाव से मुरादाबाद शहर की रक्षा करने के लिए 30 लाख रुपये की लागत की एक स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम पर मुख्य इंजीनियरों की समिति द्वारा अप्रैल 1974 में हुई बैठक में विचार किया गया था। इस समिति का विचार था कि कालागढ़ में रामगंगा नदी पर बांध के निर्माण से पानी संचित होने के कारण यह उम्मीद है कि बाढ़ के मौसम में मुरादाबाद के पास इस नदी में बाढ़ का जोर काफी कम हो जाएगा।

नौकरी पेशा वाले पुरुषों और महलिाओं के लिये होस्टल

1854. **श्री बलदेव सिंह जासरोथा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौकरी पेशा वाले पुरुषों और महिलाओं को रिहायशी आवास की व्यवस्था करने के लिये देश में राज्य वार कितने होस्टल हैं ;

(ख) यदि उत्तर नकारात्मक है तो क्या इस वर्ष ऐसे होस्टलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या वर्ष 1977–78 के दौरान राज्य वार अधिक संख्या में ऐसे होस्टलों का निर्माण करने के लिए धन या अनुदान की व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्य पूल में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों के लिए होस्टलों की संख्या राज्यवार इस प्रकार है :—

राज्य	कार्यरत पुरुषों/ महिलाओं के लिए सम्मिलित होस्टलों की संख्या	केवल कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टलों की संख्या
दिल्ली (दिल्ली)	5	1
बम्बई (महाराष्ट्र) . . .	1	कुछ नहीं
शिमला (हिमाचल प्रदेश) . . .	1	कुछ नहीं
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) . . .	1	कुछ नहीं
	8	1

(ख) और (ग). कलकत्ता में 84 सूट वाला एक होस्टल निर्माणाधीन है । चालू वर्ष के दौरान, बम्बई में 74 सूटों वाला एक होस्टल और नई दिल्ली में 176 सूटों वाला एक होस्टल बनाने का प्रस्ताव था जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के चेयरमैन

1855. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मद्रास में एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के चेयरमैन को त्यागपत्र देने को कहा था ;

(ख) क्या सरकार के पास उस चेयरमैन के विरुद्ध प्रत्यक्षतः एक मामला है ;

(ग) यदि हां, तो चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों का स्वरूप क्या है ; और

(घ) चेयरमैन का नाम क्या है अथवा उस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम क्या है जिसका वह चेयरमैन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ). इस समय कोई जानकारी देना जन हित में नहीं होगा ।

Scheme for houses to homeless persons

1856. **Shri Hukamdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the number of homeless persons in the country and whether Government are considering any scheme for providing houses to them ?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): According to an estimate made by the National Buildings Organisation, the housing shortage in the country at the beginning of the Fifth Plan, i.e. on the 1st April, 1974 was 15.6 million units—11·8 million units in rural areas and 3·8 million units in urban areas.

The main thrust of the programme in the Fifth Plan is directed towards ameliorating the conditions of the backward sections of the society. This is sought to be achieved by taking up construction of houses by the various executing agencies, for persons belonging to economically weaker sections and low income group under various housing schemes and programme and by taking up on a large scale a programme for the provision of house-sites to landless workers in rural areas. Out of about 11·2 million families eligible for allotment of house sites, house sites had been allotted to 7·16 million families upto 31st March, 1977.

Development of Thar Desert In Rajasthan

1857. **Shri Krishna Kumar Goyal:**

Will the Minister of **Agriculture And Irrigation** be pleased to state:

(a) The amount of the financial assistance given by the Centre for the development of Thar desert in Rajasthan; and

(b) The details of the work done so far in this area as also the production of food-grains expected in the area ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Under the existing procedure, Central assistance is not tied with specific projects/programmes and is allocated to states for their respective annual plans as a lump sum amount which is released in the shape of 70% loan and 30% grant. As such, it may not be possible to relate the central assistance specifically given by the centre for the development of Thar desert in Rajasthan.

(b) The hard core area of the desert extends to eleven districts of Rajasthan, namely, Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Nagaur, Churu, Jodhpur, Jalore, Pali, Jhunjhunu (Chirawa and Jhunjhunu tehsils), Ganganagar and Sikar. During the Fourth Five Year Plan, pilot projects for the development of desert areas in Rajasthan consisting of the schemes of afforestation, soil conservation, grassland development, pasture development were undertaken at an estimated cost of Rs. 117·25 lakhs in Barmer and Jaisalmer districts. Besides, an expenditure of Rs. 14·43 crores approximately was incurred under the D.P.A.P. programme during the Fourth Five Year Plan or labour intensive works like medium and minor irrigation, soil conservation, afforestation, rural communication etc. in the drought prone and desert districts in Rajasthan.

Of the 11 districts mentioned in the preceding para, the first districts are covered under the Drought Prone Areas Programme. A total allocation of Rs. 39·90 crores is expected to be provided during the Fifth Five Year Plan under D.P.A.P. by the centre and state on the principle of matching contribution for those districts. The programme has been re-oriented and through investment in sectors like agriculture, cattle and dairy development, afforestation, irrigation and ground water explatation, rural electrification and drinking water supply, it seeks to optimise the use of the resources of the droughth prone areas to increase and stabilise incomes and employment opportunities and to restore ecological balance as far as possible. This programme will help in mitigating the scarcity conditions in the long run. The D.P.A.P. although in operation in these districts, it only deals with a part of the development needs of the desert areas. No scheme for desert development was included in the Fifth Plan. The Planning Commission are, however, reviewing the entire strategy of overall development of desert areas not only in Rajathan but also in the adjoining states of Haryana and Gujarat and the present Government have made a provision of Rs.6.10 crores for desert development in the budget for the current year presented in the Lok Sabha on 17th June, 1977.

Other important measures having a bearing on Thar desert development include:—

(i) Afforestation programme being undertaken as a part of world bank assisted project in the Rajasthan Canal area. The main items of this programme are sand-dunes stabilisation, shelter belp plantations along canal, road-side plantations and pasture development. For the Firth Five Year Plan a scheme for Afforestation of Rajasthan canal area was approved. During the year 1974-75, a sum of Rs. 28·71 lakhs was spent for carrying out afforestation work over 950 jectares and Pasture Development work over 3000 hectares. During the year 1975-76, a sum of Rs. 64·42 lakhs was approved to carry out Afforestation work over 2000 hectares and Pasture Development over 7000 hectares. For the year 1976-77, a sum of Rs. 105·30 lakhs was proposed to undertake the work of planting over 2006 hectares and Pasture Development over 9000 hectares.

For 1977-78, the amount approved for the programme is Rs. 164·50 lakhs. These are as per physical targets approved by World Bank. It is reported that the State has raised and planted about 87 lakhs of trees in 1976-77 and they propose to undertake planting of 115 lakhs in 1977-78.

(ii) Construction of Rajasthan Canal in Western Rajasthan. The Rajasthan Canal Project contemplates to provide irrigation supplies to a culturable command area of 13 lac hectares in the desert districts of Shri Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur and Churu of Rajasthan State. This inludes 3·1 lac hectares by lift irrigation (upto 60 metre lift). An Area of 288,380 hectares had been irrigated during the year 1975-76 and the area irrigated during 1976-77 (upto February, 1977) is 261,831 hectares. The estimated cost of the Rajasthan Canal Project is Rs. 396 crores i.e. stage I Rs. 176 crores and stage II Rs. 220 crores. An expenditure of Rs. 161·37 crores has been incurred upto the end of February, 1977.

(iii) *Rajasthan Canal Command Area Development Project* Agreement with IDA for Rajasthan Canal Command Area Development Project was signed in July, 1974 and the agreement became effective in December, 1974. Under this project, IDA would land 83 million dollars towards the total estimated cost of 174 million dollars to be executed over a period of 6 years. The project Implementation was taken up from July, 1974 itself.

The programme includes lining of branch, distributory and minor canals, construction of roads, afforestation, village water supplies and on-farm development. Grants loans sanctioned by the Government of India for the Command Area Development Project in Rajasthan Canal are given below:—

(Rs. in lakhs)

	Grants	Loans
1974-75	76·55	—
1975-76	—	—
1976-77	55·00	75·00
	131·55*	75·00

(iv) *Dairy in the Thar Desert Area*: There are two dairy schemes within or in proximity of the Thar desert. These two schemes are located in Jodhpur and Bikaner, each of which, has a daily through-put capacity of 1 lakh litres of milk. Under these projects, which are included in Operation Flood Programme, loans are given to the milk producers for purchase of milch animals. In addition, various input programmes are being provided to increase milk production.

The total production of food grains in the eleven desert districts of Rajasthan State was put at 11·590 lakh tones during 1974-75 and 29·605 lakh tonnes for 1975-76. Similar information for 1976-77 has not yet become available.

*This does not inlude the sums sanctioned towards equity capital of the Rajasthan Land Development Corporation.

राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये गये अनाजों की किस्म

1858. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राशन की दुकानों से सप्लाई किए जाने वाले अनाज घटिया किस्म के होते हैं और आमतौर पर उनमें कंकड़ तथा रेत मिले होते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त शिकायतों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को उचित रूप से अच्छी किस्म के अनाज सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला):(क) और (ख) : राशन की दुकान द्वारा दिए गए अनाजों को किस्म के बारे में समय-समय पर कुछेक शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। सभी शिकायतों की आवश्यक रूप से जांच की जाती है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए राशन की दुकानों पर खाद्यान्नों के नमने रखे जाते हैं ; जो भी खाद्यान्न घटिया किस्म के पाए जाते हैं, उनको बदल दिया जाता है ; राशन की दुकानों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि उनके पास उपभोक्ताओं को देने के लिए रखे अनाजों के स्टाक की जांच की जा सके।

अकार्बानिक उर्वरकों और कार्बनिक खाद के उत्पादन संबंधी योजनाएं

1859. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकार्बनिक उर्वरकों और कार्बनिक खाद के उत्पादन की कोई ठोस योजनाएं हैं ;

(ख) कार्बनिक खाद के उपयोग पर अधिक जोर देने के लिए अगर कोई योजना बनाई गई है, तो उसके क्रियान्वयन का क्या तरीका होगा ;

(ग) मशीनी कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई ; और

(घ) मल निस्रावों के साथ रासायनिक क्रिया करने में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए 16.54 करोड़ रुपये की लागत की एक समेकित योजना शुरू की गई है। इसके निम्न अंग हैं :—

1. यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना।
2. मल-जल/कूड़े करकट का उपयोग।
3. गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना।
4. प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कैम्प।
5. खाद तैयार करने के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को इनाम देना।
6. भूमिहीन मजदूरों द्वारा कम्पोस्ट बनाने की पायलट योजना।

राज्य सरकारें उपरिलिखित सभी उपायों को क्रियान्वित कर रही हैं। किसानों को सस्ते दामों पर कार्बनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों तथा मल-जल वा कूडा-करकट

परियोजनाओं की स्थापना के लिये पूंजीगत लागत पर 33 प्रतिशत केन्द्रीय साहाय्य प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार किसानों को गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिये छोटे संयंत्रों पर 25 प्रतिशत, बड़े संयंत्रों पर 20 प्रतिशत, कम्यूनिटी संयंत्रों पर 33 प्रतिशत तथा पर्वतीय व जन जातीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष आर्थिक साहाय्य प्रदान की जा रही है।

(ग) योजना अवधि के दौरान बड़े शहरों में 35 यान्त्रिक कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इन में से दो संयंत्रों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। 17 अन्य संयंत्रों के लिये स्वीकृति दे दी गई है और विभिन्न स्तरों पर प्रगति जारी है।

(घ) योजना अवधि के दौरान सिंचाई तथा खाद के लिए विभिन्न शहरों तथा कस्बों में मल जल। कूड़ा करकट को काम में लाने की 250 परियोजनाओं को कार्यरूप देने का प्रस्ताव है। इनमें से 210 योजनाओं के सम्बन्ध में क्रियान्विति का कार्य जारी है।

आसाम की राजधानी

1860. **श्रीमति रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लिए स्थायी राजधानी चुनने के लिये बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राजधानी के स्थल के बारे में समिति की क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) क्या आसाम में (अस्थायी अथवा स्थायी) राजधानी के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा कोई सहायता की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को प्रकाशित करना जनहित में नही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार को 25 करोड़ रुपये तक, नई राजधानी के निर्माण हेतु 50 प्रति शत ऋण के रूप में, वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया था।

जुलाई, 1972 में, दिस्पुर में अस्थायी राजधानी के निर्माण के बारे में राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए मांग की थी। राज्य सरकार की प्रार्थना इस आधार पर स्वीकार की गई थी कि यह राशि 25 करोड़ रुपये की कुल सहायता का भाग होगी तथा यह भी अनुबन्ध किया गया था कि दिस्पुर में निर्माण किए जाने वाले भवनों आदि का जो थान राज्य की राजधानी में आवश्यक नहीं था, राज्य सरकार के कार्यालयों को स्थायी रूप से स्थान देने के लिए डिजाईन बनाना चाहिए।

3.5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को पहले ही दी गई है। 1.5 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए राज्य सरकार की प्रार्थना वास्तविक व्यय की लेखा परीक्षा विवरण पर ही निर्भर करती है।

वायु प्रदूषण विधेयक

1861. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और अहमदाबाद में वायु प्रदूषण मानिटरिंग एकक स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है;

(ख) क्या नेशनल ऐनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट के वायु प्रदूषण 'मानिटरिंग' एकक स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) सरकार का विचार वायु प्रदूषण विधेयक कब तक प्रस्तुत करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और अहमदाबाद में वायु प्रदूषण प्रबोधन एककों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है यद्यपि नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के पास इन नगरों के लिए एक राष्ट्रीय वायु लक्षण कार्यक्रम है यहां दो पैरामोटर्स अर्थात सल्फर डाईअक्साईड तथा पोर्टकुलेट मैटल का अनुसंधान के तौर पर चुने हुए स्थलों पर साप्ताहिक अध्ययन किया जाता है ।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है ।

(ग) सरकार को शीघ्र ही वायु प्रदूषण विधेयक प्रस्तुत करने की आशा है ।

बाढ़ राहत के लिये आपात्तिक योजनाएं

1862. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़-राहत के लिए कोई आपात्तिक योजनाएं बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) पहली अप्रैल, 1974 से प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ से राहत और अन्य कार्यों के लिये राज्य सरकारें अपने ससाधनों और छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उनके पास उपलब्ध वार्षिक सीमांत धनराशि का प्रयोग करके वित्तीय व्यवस्था स्वयं करती है । प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए यदि किसी राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो वह एक ज्ञापन के आधार पर अग्रिम सहायता योजना के लिए केन्द्रीय सरकार मे सम्पर्क स्थापित करती है जिस पर केन्द्रीय दल और एक उच्च-स्तरीय समिति में विचार किया जाता है । बाढ़ से सुरक्षा, जल निकास आदि की योजनाएं, यथासंभव राज्य सरकार के योजना प्रावधान के अन्तर्गत ही पूरी की जाती हैं । प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने हेतु आकस्मिक योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार ने मई, 1976 में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे । इनके अनुसार राज्य के मुख्यालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति होगी जिसमें अन्य संबंधित सचिव व स्थानीय सब-एरिया-कमांडर

इसके सदस्य होंगे। यह समिति बाढ़ों, तुफानों, भूकम्पों आदि से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करती है। बाढ़ नियंत्रण के सभी कार्यों का सर्वेक्षण करने और यदि किसी वर्तमान कार्य के असफल होने की संभावना हो तो उच्चस्तरीय स्थायी समिति व संबद्ध जिला-स्तरीय समिति को चेतावनी देने के कार्य भी इंजीनियरी प्राधिकरण करते हैं। बचाव व राहत कार्यों के लिए कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अग्रिम वितरण और नौकाओं, शुष्क राशन, ईंधन, आवश्यक संचार संबंधी उपकरण, ब्लीचिंग पाउडर, प्राथमिक सहायता वाली किटें, दवाइयां, रेत के बोरे, लालटैनों, पम्पों, क्रेनों, बर्तनों आदि आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों के अग्रिम भंडार रखने के बारे में सलाह देने का कार्य भी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शामिल हैं। सरकारी व गैर-सरकारी ट्रकों से काम लेना, वास्तव में संकट की स्थिति पैदा होने पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, उच्च-स्तरीय स्थायी समिति की दैनिक बैठक का आयोजन करना, बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी करना तथा बाढ़ की चेतावनी देने की प्रणालियां शुरू करना एवं स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि को भी इन योजनाओं में शामिल किया जाना है।

Seetting up of Heavy Lime-Stone Plants

1863. **Shri Meetha Lal Patel**: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up heavy lime-stone plants in Jaipur and Kota divisions; and

(b) whether Government are aware that adequate facilities are available there for developing the variety of lime (Maryar) and reds and (Surkhi) used for building of houses?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (**Shri Sikander Bakht**) **:** (a) No. Sir.

(b) : The Rajasthan Housing Board have approached the National Buildings Organisation for preparation of a project proposal for setting up a lime plant near Jaipur. The National Buildings Organisation has taken up preliminary investigation, regarding the availability of suitable land, raw material fuel etc.

स्थानापन्न सहायक इंजीनियर्स, श्रेणी-II

1864. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऐसे कितने सहायक इंजीनियर्स सिविल और सहायक इंजीनियर्स इलैक्ट्रिकल्स, सी०ई०एस० श्रेणी-I और सी०ई०ई०एस० श्रेणी-II हैं जो 1 अप्रैल 1977 को उसी ग्रेड में 15 वर्षों से अधिक परन्तु 20 वर्षों से कम समय से और 10 वर्षों से अधिक परन्तु 15 वर्षों से कम समय से काम कर रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : 1 अप्रैल, 1977 को 22 सहायक इंजीनियर सी०ई०एस०, श्रेणी-II तथा एक सहायक इंजीनियर सी०ई०ई० एस० श्रेणी-II अपने ग्रेडों में 20 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे। 138 सिविल इंजीनियर तथा 12 इलैक्ट्रीकल इंजीनियर अपने ग्रेडों में 15 वर्षों से अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे तथा 379 सिविल इंजीनियर और 56 इलैक्ट्रीकल इंजीनियर सहायक इंजीनयरों के ग्रेड में 10 वर्षों से अधिक लेकिन 15 वर्षों से कम समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे।

केन्द्रीय लोक निर्माण में अधिकारियों की संख्या

1865. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 अप्रैल, 1977 को सिविल और इलैक्ट्रीकल्स के 15 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्षों से कम सेवा करने वाले और 10 वर्षों से अधिक परन्तु 15 वर्षों से कम सेवा वाले अधिकारियों की पृथक पृथक कुल संख्या कितनी है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 अप्रैल, 1977 को 15 वर्षों से अधिक परन्तु 20 वर्षों से कम सेवा करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

सिविल	इलैक्ट्रीकल्स	स्थापत्यकला	बागबानी
762	37	33	11

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 अप्रैल, 1977 को 10 वर्षों से अधिक परन्तु 15 वर्षोंसे कम सेवा करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

सिविल	इलैक्ट्रीकल्ज़	स्थापत्यकला	बागबानी
1934	460	90	26

New Variety of Wheat and Paddy

1866. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the new varities of wheat and paddy released during 1976-77 and the varieties which are in pre-release stage; and

(b) the procedure following in releasing these varieties?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Although no variety of Wheat has been released during 1976-77, 9 varieties of wheat UP 368, HD 2177, WL 711, WH 157, WL 410, UP 115, UP 1209, HD 2189 & CC 464 have been recommended for pre-release testing by the All India Wheat Research Workshop in 1976.

In case of paddy, two varieties IET 2914, designated as 'AKASHI' and IET 1444 designated as "RABI" have been released in June, 1977. Nine varieties of Paddy IET 2222, IET 2662, IET 2924, IET, 2815, IET 3362, IET 2795, IET 3356 IET 4109 and IET 4700 V, have been recommended for pre-released testing by the All India Rice Workshop in 1976-77.

(b) Based on several seasons' testing on experimental plots, promising varieties are identified at the workshops of the concerned crops. If the workshop reccmmends a variety it is given out for testing at a number of places at the farms of the State Departments of Agriculture and in the farmer's fields. The results of such trials alongwith the data from the workshop are then placed before the Central Sub-Committee for Release of varieties of the Ministry of Agriculture for decision regarding their release.

New Variety of Water Melon and Musk Melon

1867. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the varieties of water melon and musk-melon developed by the Indian Council of Agricultural Research ; and

(b) their position with regard to production and taste vis-a-vis the prevalent varieties ?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Water melon varieties 'Sugar Baby' and 'Ashahi Yamato' have been selected from exotic material under Indian conditions by the Indian Agricultural Research Institute. Another variety 'Durgapur Meetha' has been developed at the Coordinating Centre at Durgapur (Jaipur).

In case of musk melon, the varieties 'Pusa Sharbati' and 'Pusa Madhuras' have been developed at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi and 'Arka Jeet,' and 'Arka Rajhans' at Indian Institute of Horticultural Research, Hessarghatta (Karnataka).

(b) The varieties have been found much superior to the prevalent varieties with regard to yield and quality including sweetness, taste and flavour.

The prevalent varieties are of uneven size and undependable quality. The varieties developed now excel in all above respects i.e. they are better yielders, possess uniform fruit size, are excellent in sweetness, taste and flavour with dependable quality.

नलकूप और फिल्टर पाइन्ट्स लगान के लिये स्थान की खोज

1868. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरन:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में किसान और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के अधिकारी केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय और राज्य के अधिकारी किस उद्देश्य से आपस में विचार-विमर्श के बिना अलग-अलग काम करते हैं; और

(ग) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि स्थान के लिए उनकी खोज से किसानों को उन सभी स्थलों का पता लगाने में सहायता मिलेगी जहां नलकूप और फिल्टर पाइन्ट्स लगाने से उन्हें लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल के अन्वेषण का कार्यक्रम तमिलनाडु के लोक निर्माण विभाग के भूमिगत जल खण्ड के अधिकारियों से सलाह करके तैयार किया जाता है। राज्य सरकार को भूमिगत जल विकास योजनाएं तैयार करने में मदद देने के लिये उस कार्यालय को सभी अन्वेषण रिपोर्टें उपलब्ध की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी हां।

मद्रास नगर को कृष्णा नदी के पानी की सप्लाई

1869. **श्री एस० डी० सोमसुन्रन:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर को कृष्णा नदी के पानी की सप्लाई करने के तरीके के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के बीच गतिरोध विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस बारे में समझौता शीघ्र करायेगी तथा बिना विलम्ब के इस कार्य को अपने हाथ में लेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) कृष्णा नदी का 15 हज़ार मिलियन धन फुट जल मद्रास को ट्रांस्फर करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किए गए वैकल्पिक प्रस्तावों की इस समय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा जांच की जा रही है। उपयुक्त स्कीम का चुनाव करने के लिए इन प्रस्तावों की जांच अन्तर्राज्यीय बैठक में की जाएगी, जो उक्त तीनों राज्यों की टिप्पणियों के प्राप्त होते ही आयोजित की जायेगी।

इन्द्रनगर, मद्रास में निर्मित मकानों के लिये स्कूटर गैराज

1870. **श्री एस०डी० सोमसुन्दरन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्र नगर, मद्रास में निर्मित केन्द्रीय सरकार के मकानों के लिए अभी तक स्कूटर गैराज की व्यवस्था नहीं की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार वर्षा ऋतु से पूर्व इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन देगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब इन क्वार्टरों की स्वीकृति दी गई थी और उन का निर्माण आरम्भ किया गया था तो उस समय स्कूटर गैराज बनाने का कोई निर्णय नहीं था; अतः स्कूटर गैराज उपलब्ध नहीं किए गए हैं। अतः किसी प्रकार की कोई देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि ऊपर के मंजिल के क्वार्टर के निवासी जिनके पास क्वार्टर हैं और उनकी संख्या काफी है, स्कूटर गैराज की व्यवस्था के बारे में अनुरोध करते हैं तो गुणावगुण के आधार पर सरकार उन पर विचार करेगी। वर्षा ऋतु से पूर्व स्कूटर गैराजों की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सकता।

सामिल डिवीजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समह के कर्मचारियों के वेतनमान

1971. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामिल डिवीजन, चेथम (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) के औद्योगिक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के पदनाम तथा वेतनमान में असंगतियां हैं, यदि हां, तो क्या अंडमान वन विभाग ने एक समिति गठित की थी और समिति की सिफारिशों को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त असंगतियों को दूर करने के लिए क्या निर्णय लिये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसको अंतिम रूप कब दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चेथम सा मिल डिवीजन के औद्योगिक कर्मचारियों के पदनामों तथा वेतनमानों में असंगतियों (यदि कोई हों) का अध्यन करने के लिए अंडमान वन विभाग ने नवम्बर, 1974 में एक समिति गठित की थी। समिति ने कुछ वर्तमान पदों के पदनामों में परिवर्तन करने, अतिरिक्त पदों का सृजन करने तथा ऐसे नए पदों का सृजन करने के लिए जो अंडमान वन विभाग में नहीं है, सिफारिश की है।

(ख) और (ग) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक ढंग से विस्तृत जांच करना आवश्यक है।

गन्ना तथा गुड़ के लिए लाभप्रद मूल्य

1972. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गन्ना तथा गुड़ के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण गन्ना उत्पादकों को ऐसे व्यापारियों की दया पर रहना पड़ता है जो गन्ने को बहुत कम मूल्य पर खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से गन्ना और इसके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य की व्यवस्था लागू करने का है; और

(ग) यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला): (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन प्रत्येक चीनी मौसम के लिए प्रत्येक चीनी फैक्ट्री द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । इसके अतिरिक्त, उपयुक्त आदेश की धारा 5-ए के अधीन गन्ना उत्पादक उनके द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने के लिए लेवी मुक्त चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि के 50 प्रतिशत के भी हकदार होते हैं । तथापि, व्यवहार में, राज्य सरकारें मौसम के लिए राज्य की चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय मूल्य के बारे में हस्तक्षेप करती है और उन्हें परामर्श देती है । राज्य द्वारा सुझाए गए ये मूल्य सांविधिक न्यूनतम मूल्य और ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त धनराशि के 50 प्रतिशत के हिस्से से बहुत अधिक होते हैं । अतः उपर्युक्त आदेश की धारा 5-ए के उपबन्धों को लागू करना सामान्यतया आवश्यक नहीं होता है ।

गुड़ निर्माताओं को सप्लाई किए गए गुड़ अथवा गन्ने पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है । गुड़ एक कुटीर उद्योग है और इसलिए इस पर किसी प्रकार की मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करना वांछनीय नहीं है । गुड़ निर्माता क्योंकि आम तौर पर चोनी मिलों के क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं, उन्हें चीनी मिलों द्वारा दिए गए मूल्यों के बराबर प्रतियोगी मूल्य ही देने पड़ते हैं ताकि गुड़ बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना प्राप्त किया जा सके ।

शालीमार बाग और प्रीतमपुरा रिहायशी योजनाएं

1873. **श्री शिव सम्पत** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 के प्रारम्भ में शालीमार बाग और प्रीतमपुरा रिहायशी योजनाओं के अन्तर्गत वहां निम्न आय वर्ग समूह के लोगों को जमीन के प्लाट दिए गए थे और उनकी कुल लागत भी वसूल कर ली थी;

(ख) क्या 84 वर्गमीटर का प्लाट 96 रुपये प्रति वर्गमीटर बेचा गया था;

(ग) क्या निम्न आय वर्ग की आय को देखते हुए यह मूल्य अधिक नहीं है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है तथा सरकार का विचार उन अलाटियों को जिनसे एक वर्ष से अधिक समय पूर्व इनकी पूरी राशि वसूल कर ली गई थी, विकास कार्य समाप्त होने से पूर्व की अवधि तक का ब्याज देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां जिन्होंने प्लाटों का दखल ले लिया है उनसे प्रीमियम की पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है।

(ख) जी हां।

(ग) भूमि पूर्व निर्धारित दरों पर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित की जानी है. और सरकार इस बात पर सहमत है कि विकास की दर पर नियन्त्रण रखकर भूमि की लागत कम करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(घ) इन क्षेत्रों का विकास प्रगति पर है और इसके लगभग 2 वर्ष के अन्दर पूर्ण हो जाने की संभावना है ब्याज के भुगतान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

काम करने वाली लड़कियों के लिये यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन में आवास की व्यवस्था

1874. **श्री शिव सम्पत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम करने वाली लड़कियों के लिए यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाई० डब्ल्यू० सी० ए) में रहने के स्थान की व्यवस्था की जाती है;

(ख) यदि हां, तो काम करने वाली लड़कियों को यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन में आवास स्थान आवंटित करने की क्या शर्तें हैं;

(ग) सरकार वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को प्रतिवर्ष कितना अनुदान देती है और उसके प्रबन्ध पर किस प्रकार का नियंत्रण रखती है;

(घ) क्या मंत्री महोदय को पता है कि काम करने वाली कुछ लड़कियों को वाई० डब्ल्यू० सी० ए० के प्रबन्धकों ने आवास स्थान खाली करने के लिए अवैध रूप से नोटिस दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वाई० डब्ल्यू० सी० ए० के प्रबन्धकों द्वारा ऐसा अवैध काम किये जाने के क्या कारण हैं; और सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वाई० डब्ल्यू० सी० ए० में विभिन्न होस्टलों के नियमानुसार विशिष्ट अवधि के लिये काम करने वाली युवा लड़कियों को अस्थायी आवास प्रदान किया जाता है।

(ग) तथा (घ) वाई० डब्ल्यू सी० ए० एक स्वयंसेवी संगठन है। समाज कल्याण विभाग इसे अपने होस्टलों के संचालन हेतु वार्षिक अनुदान नहीं देता और उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता।

(ङ) सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री के लिये प्रस्तावित प्लाटों को खरीदने के लिये मूल्य

1875. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 26(1) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रिक्त भूमि को खरीदने का सर्वप्रथम अधिकार हैं जो अधिकतम सीमा के अन्तर्गत आती है और जिसे बेचने का प्रस्ताव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाजार मूल्य और पन्द्रह प्रतिशत की धनराशि की स्वीकृति देगी जोकि अन्य खरीदार देने के लिए तैयार है; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली (पंजाबी बाग) में खाली पड़े प्लाटों के लिए कोई मानक खरीद मूल्य निर्धारित किया है अथवा विक्रेता को जमीन की बिक्री के लिए लिखित नोटिस देने से पूर्व कीमत का पता नहीं चलता और उसे वही कीमत स्वीकार करनी पड़ती है, जो कलक्टर अपने अन्तिम निर्णय के रूप में निर्धारित करता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । नगर-भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 26(2) के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मूल्य, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या उसी के समान कोई अन्य कानून जो उस समय लागू हो, के उपबन्धों के अनुसार तय किया जाता है जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के लागू होने के मामले में मार्किट मूल्य होगी जिसमें उस भूमि के मार्किट मूल्य के 15% का मुआवजा भी शामिल होगा ।

(ग) सरकार ने दिल्ली (पंजाबी बाग) में खाली प्लाटों के लिए कोई मानक खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया है ।

क्योंकि सक्षम प्राधिकारी को भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबन्धों के अनुसार अथवा उस समय लागू ऐसे ही किसी अन्य कानून के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है, इसलिए अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में निर्धारित सक्षम प्राधिकरी को नोटिस देने के बाद और पूर्वक्रय के अधिकारों का उपयोग कर लेने के बाद भूमि की बिक्री का विक्रेता के द्वारा लिखित नोटिस देने से मूल्य की जानकारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Supply of Fertilizers to State

1876. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether some States have requested the Central Government for augmenting e supply of fertilizers to them in order to meet the requirements of agriculture; and

(b) if so, the names of the States which have made such requests the quantity asked for and the action taken by Government in this regard ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) Details have been indicated in the enclosed Statement.

STATEMENT

Statement showing additional quantities of fertilisers asked for and allotted from indigenous manufacturers and from the Pool during Khraif" 77 by different State Governments in terms of nutrients.

(Figures in tonnes)

Sl.No.	Name of state	Quantity asked for						Allotment made					
		Indigenous manufacturers		Pool		Total		Indigenous manufaturers		Pool		Total	
		N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P
1	Andhra Pradesh	—	—	135	345	135	345	—	—	135	345	135	345
2	Karnataka	—	—	2945	1977	2945	1977	—	—	2945	2977	2945	1977
3	Kerala	—	—	260	—	260	—	—	—	260	—	260	—
4	Maharashtra	1735	—	534	—	2269	—	—	—	534	—	534	—
5	Gujarat	1050	—	848	—	1893	—	336	—	848	—	1184	—
6	Madhya Pradesh	—	—	177	—	177	—	—	—	177	—	177	—
7	Rajasthan	—	—	375	460	375	460	—	—	375	460	375	460
8	Punjab	—	—	10315	4637	10315	4637	—	—	10315	4637	10315	4637
9	U.P.	—	—	3810	9200	3810	9200	—	—	3810	9200	3810	9100
10	Himachal Pradesh	520	—	521	184	1041	184	—	—	521	184	521	184
11	Jammu & Kashmir	—	—	1840	—	1840	—	—	—	1840	—	1840	—
12	Delhi	—	—	732	367	732	367	—	—	732	367	732	367
13	Assam	1096	—	604	368	1700	368	1156	—	604	368	1760	368
14	Orissa	387	—	—	—	387	—	105	—	—	—	105	—
15	Tripura	92	—	—	—	92	—	92	—	—	—	92	—
16	Meghalaya	66	—	—	—	66	—	66	—	—	—	66	—
17	West Bengal	661	—	—	—	661	—	231	—	—	—	231	—
18	Mizoram	6	—	—	—	6	—	6	—	—	—	6	—

Note: The short fall in allotment from indigenous sources is mainly in the form of Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate. As these fertilisers are in short supply, concrened allottees have been informed that is not possible to supply these fertilisers; other nitrogenous fertilizers are available in adequate quantity.

चीनी मिलों के अंशधारियों के लिये चीनी का कोटा

1877. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य को गत एक वर्ष के दौरान कितनी चीनी सप्लाई की गई है; और

(ख) क्या चीनी मिलों के अधिकारियों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी का कोई कोटा दिया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य को 14,145 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

किसानों को अन्न रोक लेने की क्षमता

1878. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसानों में अन्न रोक लेने की क्षमता को बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा उनके विचाराधीन है ताकि उनको अपना अनाज बहुत कम मूल्य पर बेचना न पड़े ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के अधीन केन्द्रीय और रा[illegible]ों द्वारा स्थापित भाण्डागार अन्य बातों के साथ साथ उत्पादकों के हित के लिए वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण करने की सुविधा सुलभ करना सुनिश्चित करते हैं और भाण्डागार रसीदों के अधीन कृषि जिनसों आदि के स्टाक के बंधक पर ऋण देकर उन्हें लाचारी में बेचने से बचाते हैं ।

2. भारत सरकार द्वारा चलाई गई अन्न सुरक्षा अभियान योजना के अधीन प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार आदि के ज़रिए किसानों को खाद्यान्न का आसान लेकिन कारगर तकनीक अपनाकर परिक्षण और भण्डारण करने की जानकारी दी जाती है । किसानों को आसान ऋण के आधार पर सुलभ करने के लिए छोटे आकार के धात्विक बिन बनाने हेतु राज्य सरकारों को ऋण भी दिए जाते हैं, इससे किसानों की स्टाक रखने की क्षमता में सुधार होता है ।

वन्य जीवन में संवर्धन के लिए कार्यवाही करना

1879. **श्री उग्रसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में वन्य जीवन का ह्रास होता जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) देश में वन्य जीवन को बढ़ाने, रक्षा करने तथा संवर्धन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या और विकासात्मक कार्यों के वासस्थान कम होने के कारण वन्य जीवों की कुछ जातियों का ह्रास होता दिखाई देता है। वन्य जीवों की कई अन्य जातियों की संख्या में, हाल के वर्षों में किये गए संरक्षण के उपायों के परिणामस्वरुप वृद्धि हुई है ।

(ग) देश में वन्य जीवों को जिंदा रहने, सुरक्षा और वृद्धि के लिये हाल के वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, (जिसे अब दो राज्यों के सिवाय सभी राज्यों में अपनाया जा चुका है) के 1972 में लागू होने से, संकट में पड़ी जातियों को विशेष वैधानिक संरक्षण दिया गया है और इस अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं के उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

(2) संकट में पड़ी अधिकतर जातियों के निर्यात व्यापार पर नियंत्रण किया गया है, विशेषत: जब से भारत 1976 में वन्य जीव-जन्तु और पेड़ पौधों की संकट में पड़ी जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में साझेदार बना है।

(3) वन्य जीव जन्तुओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु वास स्थानों को अधिक बड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क और आश्रय स्थान बनाकर बढ़ाया जा रहा है, ताकि वहां वन्य जीवों को यथा सम्भव सुरक्षा मिल सके। नौ चुने हुए वास स्थानों में 'प्रोजेक्ट टाइगर' योजना को शुरू किया गया है जिससे कि संकट में पड़ी इस जाति को संरक्षण दिया जा सके।

(4) आश्रय स्थलों, राष्ट्रीय पार्कों और अन्य वन्य जीव क्षेत्रों के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में वन विभागों के अंदर अलग वन्य जीव स्कंध स्थापित किये जा रहे हैं।

जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबन्ध

1880. **श्री उग्रसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जंगली जानवरों की कुछ नस्लों को समाप्त होने से बचाने के लिए उनके शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) 1972 के वन्य पशु (संरक्षण) अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ऐसे जंगली पशुओं तथा पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनका अस्तित्व खतरे में है।

देश में हाथी और गैंडे को बचाने के उपाय

1881. **श्री उग्रसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी और गैंडों को अपनी जीवन-रक्षा में बहुत कठिनाई हो रही है तथा शिकार करने के कारण उनकी जाति समाप्त होती जा रही है,

(ख) देश में लगभग कितने हाथी और गैंडे हैं; और

(ग) उन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में हाथियों और गैंडों की अनुमानित संख्या क्रमशः लगभग 10,000 और 700 है।

(ग) इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) हाथियों और गैंडों दोनों प्रकार के पशुओं को वन्य-प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत लाया गया है, जो उनकी कड़ी सुरक्षा करने में सक्षम है।

(2) हाथियों और गैंडों दोनों प्रकार के पशुओं को वन्य-जीव-जन्तु और पेड़-पौधों की संकटापन्न जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है, जो इन दोनों प्रकार के पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कड़ाई से नियमित करता है।

(3) गैंडों के प्राकृतिकवास को यथासंभव संरक्षण प्रदान करने के लिए असम के काजीरंगा में एक राष्ट्रीय पार्क तथा लखवा आश्रय-स्थल और पश्चिम बंगाल के जालदापाड़ा में आश्रय-स्थल स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश के कोरबेट राष्ट्रीय पार्क, असम के मानस आश्रय-स्थल, तमिलनाडु के मदुमलाई आश्रय-स्थल, बिहार के पालामऊ राष्ट्रीय पार्क, केरल के पेरियार आश्रय-स्थल आदि के आरक्षणों में हाथियों को भी संरक्षण मिलता है।

Loans to farmers of Rajasthan

1882. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to the farmers of Rajasthan by Central Cooperative Banks during 1975-76; and

(b) the amount of loan being given by the Land Development Bank for development in Rajasthan, scheme-wise in 1976-77 ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Central Cooperative Banks in Rajasthan have issued loans of the order of Rs. 69·8 crores to the farmers during 1975-76.

(b) Details of the scheme-wise loans give by the Land Development Bank, Rajasthan in 1976-77 have been called for and a statement will be laid on the Table of the House, on receipt.

कृषि औद्योगिक केन्द्रों के लिये बुल्गारिया की सहायता

1883. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुल्गारिया की सहायता से दो कृषि-औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) . भारत–बुल्गारिया संयुक्त सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार तथा कर्नाटक में बुल्गारिया की सहायता से एक–एक कृषि उद्योग कम्पलेक्स को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस

योजना का लक्ष्य चुने हुये फलों तथा सब्जियों का समुचित उत्पादन परिसंस्करण तथा विपणन करना है। इससे संबंधित क्षेत्रों के आर्थिक सुधार तथा विकास में सहायता मिलेगी। इस योजना के प्रस्तावों पर अभी सरकार ने अंतिम रूप से विचार करना है।

गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों का निर्यात

1884. **श्री डी० डी० देसाई** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सरकार ने चालू वर्ष में गेंहूं और गेहूं के पदार्थों का निर्यात करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है और यह सारा मामला विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में परिवर्तन

1885. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तथा इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन करने के बारे में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल के रोग पर अनुसंधान

1886. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दियों पुराने रोग से नारियल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इस बारे में अब तक किया गया अनुसंधान इस रोग के प्रभाव को पूरी तरह से अभी तक रोक नहीं सका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) (क) जी हां, श्रीमान। नारियल के पेड़ की जड़ों के उक्ठा (विल्ट) रोग के कारण केरल में नारियल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस रोग के प्रभाव से पूरी तरह बचाव करने में अनुसधानों से अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

इस रोग के सही निदान के लिए प्रयत्न जारी है। कुछ वर्षों से इस रोग के पैदा करने में एक विषाणु का हाथ होने का संदेह किया जाता रहा है। अभी हाल ही में नारियल के रोगी पेड़ों की जड़ों में रोगाणु (वक्टेरिया) और नीमाटोड भी प्रदर्शित किये गये हैं। इस रोग के कारकों के सही रूप को निर्धारित करने के लिए केरल में केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के कायनगुलम केन्द्र में गहन खोज हो रही है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस समस्या को हर एक संभव दृष्टिकोण से सुलझाने के लिए केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के कायनगुलम में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को सुदृढ़ कर दिया है। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान में नारियल की बोनी और ऊंची किस्मों में से कुछ ऐसी संकर किस्में मालूम की गई हैं जिन पर इस रोग का बहुत कम असर होता है। रोगी बागानों को नारियल की सुधरी किस्मों के स्वास्थ पौधे लगाकर सुधारने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने सम्मिलित रूप से पायलेट परियोजनाएं आरम्भ की है।

भूमि की जोत का प्रभाव

1887. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से भिन्न-भिन्न आकार की जोतों की संख्या, काश्त, दर्जा, सिंचाई, भूमि की उपयोगिता और फसल ढांचे के बारे में आधारभूत आंकड़े एकत्र करने हेतु कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भूमि की अधिकतम सीमा के प्रभाव को बताने के लिए नमूना सर्वेक्षण प्रस्तुत करने और इस प्रकार तालुका स्तर पर भिन्न-भिन्न आकार की जोतों, उनके फसल ढांचे, सिंचाई आदि के और अधिक वास्तविक तथा उद्यतन प्राक्कलन उपलब्ध करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) जी हां। कृषि वर्ष 1970–71 (जुलाई, 1970–जून, 1971) को संदर्भ वर्ष मानकर देश में पहली कृषि गणना की गई थी। प्रचालन जोत को आंकड़े इकठ्ठे करने की प्राथमिक यूनिट के रूप में लिया गया था। ये आंकड़े कृषि जोतों की आवश्यक विशेषताओं अर्थात् (1) प्रचालन जोतों की संख्या और आकार, (2) भूमि उपयोग, (3) फसलों के क्षेत्र, (4) फसलवार और और स्रोतवार सिंचित क्षेत्र तथा (5) पट्टेदारी विवरणी के आधार पर इकट्ठे किये गये थे। चालू कृषि गणना कृषि वर्ष 1976-77 (जुलाई 1976–77) को संदर्भ वर्ष मानकर नमूना सर्वेक्षण के आधार पर की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिनिधियों पर खर्च की गई राशि

1888. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भगत राम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के उपकुलपति ने विश्वविद्यालय की 1976-77 के लिए बजट-राशि में से, जो विश्वविद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों की डाक्टरी सुविधाओं के लिए थी, 20,000 रुपये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिनिधियों की डाक्टरी देख-रेख पर खर्च की ;

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय के मुद्रित बजट पेपर की पृष्ठ 71 पर यह दिखाया गया है ;

(ग) क्या 24 मार्च, 1977 को इस विश्वविद्यालय के प्रौफेसर आर० सी० पाल के जनता पार्टी की सरकार के शपथ ले नेसे एक दिन पूर्व ही, सेवा काल में तीन वर्ष की वृद्धि दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर): (क) और (ख) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चडीगढ़ प्रशासन ने विश्वविद्यालय के, दिसम्बर, 1975 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान अपने स्वास्थ्य केन्द्र के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने की सलाह दी थी। क्योंकि उस समय दवाइयों का भडार काफी नहीं था। अत: विश्वविद्यालय के कार्यालय ने दवाइया खरीदने के लिए 20,000 रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया था। इस आवश्यकता को 1976-77 के बजट दस्तावेज में दिखाया गया था अन्तत: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंटी के अधिवेशन के दौरान केन्द्र के लिए कार्मिकों तथा दवाइयों की व्यवस्था पजाब सरकार द्वारा की गई थी। केन्द्र ने दवाइयों पर 100 रुपए से कम खर्च किया था। जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में पंजाब सरकार द्वारा कर दी गई थी। 1976-77 के बजट कागजातों में, पाद-टप्पणी द्वारा यह दर्शाया गया था कि संशोधित प्राक्कलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन पर दवाइयों की लागत वहन करने के लिए 20,000 रूपए शामिल है।

(ग) और (घ) पजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार कुलाधिपति द्वारा कुलपति की कार्य-अवधि तब तक बढ़ाई जा सकती है जितनी वह उपयुक्त समझें, किन्तु एक बार में 3 वर्ष से अधिक नहीं। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रो० आर०सी० पाल की कार्य-अवधि, जिन्हें 30 जून, 1977 को सेवा निवृत्त होना था दिनांक 24-3-77 की अधिसूचना द्वारा 3 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी।

फुरेल कीटाणू नाशक औषधि

1889: **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि फुरेल जो (लेप्टोफोस का ट्रेड नाम और जो आर्गेनो-फास्फेटस नामक विष की श्रेणी का है) एक अमरीका निर्मित कीटाणु नाशक औषधि है, उस पर अमरीका में प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा मिश्र में भी इसका प्रयोग नहीं होता है :

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि इस कीटाणू नाशक औषधि को, जिसके कारण मिश्र में सेंकड़ों 'वाटर व्फैलो' को पक्षाघात हो गया था, इस समय टैक्सास, अमरीका में बनाकर उसे भारत में वेचा जा रहा है : और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सूचना मिली है कि विनिर्माण करने वाली अमरीकी फर्म ने स्वेच्छा से ही अपने उत्पादन को निलम्बित कर दिया है। तथापि, कीटनाशी औषधि अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण समिति ने इस रासायनिक का पंजीकरण न करने का निर्णय किया है। सरकार ने भी भारत में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यवाही शुरु की है।

कृषि उत्पादों का वसूली मूल्य

1890. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उपजों तथा विशेषकर चावल का न्यूनतम तथा अधिकतम वसूली मूल्य के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस बात को जानती है कि बहुत कम वसूली मल्य देने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) गत 12 महीनों के दौरान क्या क्या वसूली मूल्य दिए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस वसूली मूल्य को बढ़ाने का है ताकि कृषि संबंधी गतिविधियों में सक्षमता लाई जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और गेहूं के वसूली मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचारों तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर ये मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। एक विवरण संलग्न है (अनुबंध) जिसमें विपणन मौसम 1975–76 के खरीफ के अनाजों के वसूली मूल्यों और विपणन मौसम 1976–77 तथा 1977–78 के लिए गेहूं के वसूली मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) रबी के अनाजों की मूल्य नर्धारण नीति की घोषणा 12 अप्रैल, 1977 को पहले ही कर दी गई है। 1977–78 के लिए खरीफ के अनाजों की मूल्य निर्धारण नीति आगामी खरीफ विपणन मौसम से पूर्व सितम्बर, अक्तूबर, 1977 के दौरान तैयार की जाएगी।

दिल्ली चिड़ियाघर में रेलगाड़ी

1891. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चिड़ियाघर में बच्चा रेलगाड़ी (टाय ट्रेन) चलाया जाना हानिकारक

है और दुर्लभ किस्म के कुछ पक्षी चिड़ियाघर से पहले ही उड़ गये हैं यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने चिड़िया घर में रेलगाड़ी चलाये जाने के प्रभावों के बारे में किन्हीं विशेषज्ञों से परामर्श नहीं किया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चिड़िया घर में रेलगाड़ी चलाना बंद करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अगस्त, 1976 में दिल्ली चिड़ियाघर में चालू हुई बच्चा रेलगाड़ी (टायट्रेन) न होकर सामान्य आकार के डिब्बों से बनी गाड़ी थी जो कालका-शिमला लाइन पर चलने वाले डीजल शन्टिंग इंजन द्वारा खींची जाती है। ऐसी रेलगाड़ी को पिजरों के पास चलाने से पिछली सर्दियों में दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर आने वाले प्रवासी पक्षियों पर कुप्रभाव पड़ा और 'लायन टेल्ड' बन्दर, लंबी पतली टांगों वाले (स्पाईडर) बंदर, प्यूमा, हाथी और शुभ्र बाघ जैसे अनेक पशु विशुब्ध होते देखे गए। आशंका थी कि इस प्रकार के विघ्न से अन्तत: चिड़ियाघर के अंदर प्रजनन क्रिया पर कुप्रभाव पड़ेगा। पूर्वी युरोप के देशों और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी 1961 से लेकर नियमित रूप से दिल्ली चिड़ियाघर पार्क के पास आते रहे हैं। चिड़ियाघर के अंदर रेलगाड़ी चलाने से अक्तूबर के मध्य तक आने वाले लगभग 3,000 प्रवासी पक्षियों की तुलना में पिछले अक्तूबर में केवल लगभग 25 पक्षी उतरे। गत जनवरी के आरम्भ में रेलगाड़ी को बंद करने के पश्चात चिड़ियाघर में लगभग 1,000 पक्षी एकत्रित हो गये।

(ख) और (ग) उपलब्ध रिकार्डों में चिड़ियाघर में गाड़ी चलाने के प्रभाव के बारे में सुप्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञों से सलाह लेने का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि तत्पश्चात ऐसे विशेषज्ञों से प्राप्त हुई सलाह के आधार पर, जनवरी, 1977 में चिड़याघर में रेलगाड़ी का चलना बंद कर दिया गया है।

केरल तट पर मछली पकड़ने की अनुमति

1892. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितनी कम्पनियों को केरल तट पर मछलियां पकड़ने की अनुमति दी है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में मछली उद्योग में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत में मछली उद्योग में भाग लेने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) समुद्र में मछली पकड़ना लाइसेंस योग्य उद्योग के अन्तर्गत नहीं है, अत: पिछले 3 वर्षों के दौरान मछली पकड़ने के लिए केरल के समुद्री तट को उपयोग में लाने के लिए भारत में किसी कम्पनी ने मांग नहीं की है। मछली पकड़ने के लिए विदेशी कम्पनियों को ऐसी इजाजत नहीं दी गई है।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) मैसर्स यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमिटेड, मैसर्स ब्रिटानियां बिस्कुट कं० लिमिटेड, मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, मैसर्स केडबरी प्रा० (इंडिया) लिमिटेड और मैसर्स ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड (29-4-76) से इसका नाम ई० आई० डी० पैरी (इंडिया) लिमिटेड है) को परिष्कृत समुद्री उत्पादों का विनिर्माण करने के आशय पत्र जारी किए गये हैं। मैसर्स कैडबरी प्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर अन्य कम्पनियों को ट्रालरों का आयात करने की इजाजत भी दी गई थी । विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :--

कम्पनी का नाम	स्वीकृत वार्षिक परिसंस्करण क्षमता	ट्रालरों की संख्या जिनके आयात के लिए इजाजत दी गई
1. मैसर्स यूनियन कारबाईड (इंडिया) लिमिटेड	श्रम्प--5000 मीटरी टन अन्य मछलियां--500 मीटरी टन	2
2. मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लिमिटेड .	हिमित समुद्री-खाद्य--99 मीटरी टन मत्स्यचूर्ण--5400 मीटरी टन	2
3. मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटिड .	परिसंस्कृत समुद्री उत्पाद--9000 मीटरी टन	2
4. ई० आई० डी० पैरी (इंडिया) लिमिटेड .	परिसंस्कृत समुद्री उत्पाद--4200 मीटरी टन	2
5. कैडब प्राई (इंडिया) लिमिटेड .	परिसंस्कृत समुद्री उत्पाद--3000 मीटरी टन	कुछ नहीं

देहाती क्षेत्रों में स्कूल खोलना

1893. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देहाती क्षेत्रों में 1-1/2 किलोमीटर के क्षेत्र के लिये स्कूल खोलने की पिछली सरकार की नीति का अनुसरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75, 1975-76 और मार्च 1977 तक देहाती क्षेत्रों में कितने स्कूल खोले गये ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में कितने स्कूल लड़कियों के लिये खोले गये और कितने स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए उनके पैदल चलने की दूरी के अन्दर ही स्कूल स्थापित करने होंगे । पैदल दूरी सामान्यतः 1 से 2 किलोमीटर तक के बीच होती है । सरकार की नीति इस मानक के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने की है ।

(ख) तथा (ग) इन वर्षों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 6—11 आयु वर्ग के 97 प्रतिशत बच्चे पहले ही दाखिल इसके अन्तर्गत शामिल किए जा चुके हैं।

राज्यों की राजधानियों में खेलकूद कम्पलेक्सों का निर्माण करने के लिए अनुदान

1894. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों की राजधानियों में खेलकूद कम्पलेक्सों का निर्माण करने के लिए कुछ धनराशि की मंजूरी दी है।

(ख) यदि हां, तो राज्यों को वितरित किये जाने वाले इस अनुदान की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने खुले और 'इनडोर' स्टेडियम तथा तरण कुंड बनाने के लिये अनुदान में वृद्धि करके उन्हें प्रोत्साहित किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार/राज्य खेल परिषद को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत उपयोगिता स्टेडियमों, तरण-तालों तथा इन्डोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए 1-4-1976 से केन्द्रीय सहायता की सीमा, 50,000 रुपये अथवा, लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, से बढ़ा कर 1,00,000 रुपये अथवा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक कर दी गई है।

स्कूलों में बुक बैंक बनाना

1895. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में, राज्यवार स्कूलों में कितने बुक बैंक स्थापित किये गये हैं ;

(ख) कर्नाटक राज्य में कितने बुक बैंक काम कर रहे हैं ; और

(ग) अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कम आय वाले वर्ग के बच्चों के लिये सरकार ने क्या सुविधाएं देने की व्यवस्था की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) कर्नाटक में लगभग 700 स्कूल पुस्तक बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कम आय वाले वर्गों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, मुफ्त वर्दियां, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन-सामग्री, उपस्थिती छात्रवृत्तियां, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां—मैट्रिक पूर्व तथा उसके बाद छात्रवृत्तियां इत्यादि कुछेक मुख्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके लिए पुस्तक बैंकों की सुविधाएँ भी उपलब्ध है।

विवरण

स्कूलों में पुस्तक बैंकों की स्थापना के बारे में विवरण, 31–5–77 की स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुस्तक बैंकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,333
2.	असम	848
3.	बिहार	—×
4.	गुजरात	2,239
5.	हरियाणा	7,042
6.	हिमाचल प्रदेश	4,299
7.	जम्मू व कश्मीर	—×
8.	कर्नाटक	700
9.	केरल	11,293
10.	मध्य प्रदेश	62,622
11.	महाराष्ट्र	—*
12.	मणिपुर	260
13.	मेघालय	300
14.	नागालैण्ड	42
15.	उड़ीसा	2,117
16.	पंजाब	11,424
17.	राजस्थान	24,828
18.	सिक्किम	37
19.	तमिलनाडु	37,295
20.	त्रिपुरा	1,620
21.	उत्तर प्रदेश	4,632=

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	235
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . . .	205
24.	अरुणाचल प्रदेश . .	41
25.	चंडीगढ़	68
26.	दादर तथा नागर हवेली	--X
27.	दिल्ली	841
28.	गोवा, दमन तथा दीव . .	835
29.	लक्ष द्वीप	शून्य%
30.	मिजोरम	652
31.	पांडिचेरी	120

*स्थानीय निकायों के प्राथमिक स्कलों की I--IV कक्षाओं में पुस्तक बैंक योजना जून, 1976 से आरम्भ की गई है । स्कूलों में पुस्तक बैंकों की सही संख्या मालूम नहीं है ।

=इंटरमीडिएट कालेजों में 1,989 बैंक भी शामिल हैं ।

X सूचना उपलब्ध नहीं है ।

% सभी छात्रों को पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री मुफ्त दी जाती है ।

गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान करने के लिये राज्यों को अनुदेश

1896. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने क्षेत्रों में स्थित कारखानों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान किये जाने की व्यवस्था करे ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे कानून में रूप-भेद करें जिससे कारखानों द्वारा समय पर भुगतान किया जा सके और विलम्ब की स्थिति में ब्याज दिया जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) जी हां ।

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना देने के 14 दिन के अन्दर चीनी फैक्टरियों द्वारा गन्ने के मूल्यों का भुगतान करने की व्यवस्था है । कई राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने देरी से भुगतान करने पर ब्याज देने के लिए कानून बनाया है । ब्याज की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि दरों को एक समान करके 15 प्रतिशत बना दिया जाए जोकि वाणिज्यिक बैंक की दरों के तुल्य है ।

उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था के अलावा, गम्भीर चूक के विशिष्ट मामले संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं ।

विमान द्वारा छिड़काव

1897. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान द्वारा छिड़काव करके फसलों की रक्षा के लिए विमान खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने विमान खरीदे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) 35

श्रीलंका से निकाले गये व्यक्तियों का पुनर्वास

1898. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से निकाले गये कितने व्यक्तियों को अभी पुन: नहीं बसाया गया है ; और

(ख) क्या उनको पुन: बसाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अब तक भारत में आए 62,504 प्रत्यावासी परिवारों (निष्क्रान्त नहीं) में से लगभग 4,700 परिवारों के आवेदन-पत्र निलम्बित हैं ।

(ख) कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु उन्हें यथासंभव पुनर्वास देने की हिदायतें हैं ।

Cases of Market Rent

1899. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) when and on what grounds market rent is charged;

(b) whether any such cases came before the Ministry during the last two years in which a Government employee was charged market rent in spite of the fact that the Director of Estates had given him permission to reside in Government accommodation;

(c) whether it is also a fact that in some cases market rent is being charged by over-looking the recommendations of the Director of Estates; and

(d) if so, the reasons therefor and action proposed to be taken by Government to give relief to such employees ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) Market rent is charged when an officer is declared in-eligible for or is in unauthorised occupation of Government accommodation or when allotments are made or officers are allowed to retain Government accommodation on the specific condition that market rents will be payable. Market rent was also payable by house-owning officers who continued in Government accommodation after the 31st December, 1975.

(b) In any case where the Director of Estates had given permission to an officer to reside in Government accommodation on payment of normal lience fee, there was no question of recovery of market rent from him.

(c) No., Sir.

(d) Does not arise.

कर्मचारियों से बाजार दर पर किराया

1900. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों से बाजार दर से किराया लिया जा रहा है जो अभी सेवा में हैं और वैध रूप से आवंटित क्वार्टरों में रह रहे हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में कितने कर्मचारियों से दंड-स्वरूप बाजार दर से किराया लिया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति दिल्ली में अब भी सेवा में हैं ; और

(घ) उनसे बाजार दर से किराया लिए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार आवास एककों का स्थापित किया जाना

1901. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में केन्द्रीय सरकार के कुछ आवास एकक स्थापित करने की मंजूरी दी है और वे स्थापित किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार को तथा अन्य-सार्वजनिक आवास योजनाओं के लिए अनुदान या ऋण के रूप में अथवा दोनों प्रकार से कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). गुजरात राज्य सरकार योजना स्कीमों में वित्त पोषण के लिए समेकित ऋण व समेकित अनुदान प्राप्त करती है तथा सामाजिक आवास योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता

की राशि को बताना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य को जीवन बीमा निगम की निम्नलिखित राशियों का नियतन किया गया था।

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1974-75	105.00
1975-76	120.00
1976-77	90.00
	315.00

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के तत्वावधान में जिला आनन्द (गुजरात) के वल्लभ विद्यानगर में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण आवास स्कन्ध ने गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के भीमोरा ग्राम में 10 प्रदर्शन मकानों के एक समूह का निर्माण किया। इस प्रयोजन के लिए इस आवास स्कन्ध को 55,000 रुपये का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली ने गुजरात में विभिन्न लोक आवास अभिकरणों की 78 योजनाओं के लिए इस प्रकार से वित्त पोषण किया :—

अभिकरण	स्वीकृत योजनाओं की संख्या
गुजरात आवास बोर्ड	36
बड़ौदा नगर निगम	12
गुजरात औद्योगिक विकास निगम	11
गुजरात गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड	9
गुजरात राज्य सड़क निगम	4
अहमदाबाद नगर निगम	4
राजकोट नगर निगम	1
सूरत नगर निगम	1
	78

इसके अलावा आवास तथा नगर विकास निगम ने मोची को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी राजकोट के लिए भी एक योजना मंजूर की है।

नर्मदा जल का वितरण

1902. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल वितरण प्रयोग को समूचे प्रश्न से संबंधित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अथवा अधिक लघु अथवा बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जिन पर पहले से काम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित मुख्य व्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में संबंधित राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). नर्मदा बेसिन में मध्य प्रदेश में लगभग 50000 हैक्टेयर और गुजरात में 9000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई नहरों और तालाबों से की जाती है ।

इस समय मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में निम्नलिखित दो बृहद् परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है ; योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं का अनुमोदन नर्मदा जल विवाद न्यायाधिरण की स्थापना होने से पहले किया गया था ।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
तवा	79.23	332.0
बर्मा	12.97	63.2

मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा पर बारगी परियोजना के कुछ निर्माण-कार्यों को भी हाथ में लिया है । इस परियोजना पर 124 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आने का अनुमान है और इसमें 5.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ।

सिंचाई राज्य विषय है और राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है और यह किसी विशिष्ठ विकास सेक्टर या परियोजना से सम्बन्धित नहीं होती ।

प्राथमिक शिक्षा

1903. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम को दृढ़ता एवं तेजी से क्रियान्वित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कितनी लागत पर और ऐसा करने की प्रत्याशित अन्तिम तिथि क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । तथापि, केन्द्रीय सरकार देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । मौजूदा सरकार, संविधान की धारा 45 में की गई परिकल्पना के अनुसार देश में प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को यदि जल्दी नहीं, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है । अनुमान है कि यदि 100 प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में लाना है तो इस कार्य पर लगभग 775 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

पटरी पर दुकान लगाने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

1904. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :**
श्री रेणुपद दास :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जामा मस्जिद पटरी हाकर्स यूनाइटेड कमेटी की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो पहली सरकार और दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र से हटाए गए पटरी पर दुकानें लगाने वाले 333 व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र के पटरी वालों को जिन्हें पहले पुनर्वासित नहीं किया गया उनके मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राजधानी में पान की दुकानों द्वारा शराब की बिक्री

1905. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1977 के स्टैट्समैन में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजधानी में पान की अनेक दुकानों पर रात्रि के समय शराब बिकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 7 मई, 1977 को स्टेट्समैन में ऐसी कोई प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई प्रतीत नहीं होती । फिर भी प्रेस के कुछ अन्य भागों में इस सम्बन्ध में सूचना नोटिस में आई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने जांच की है और पान की दुकानों की तीव्र जांच के आदेश दिये हैं और रिपोर्ट दी है कि ऐसा कोई दृष्टान्त नोटिस में नहीं आया है ।

लक्ष्मीबाई नेशनल कालेज आफ फिजिकल एज्यूकेशनल, ग्वालियर में मास्टर आफ फिजिकल एज्यूकेशन के लिए दाखिला

1906. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीबाई नेशनल कालेज आफ 'फिजिकल एज्यूकेशन, ग्वालियर में 'मास्टर आफ फिजिकल एज्यूकेशन' के लिए वे उम्मीदवार दाखिला नहीं ले सकते जिन्होंने संक्षिप्त पाठ्यक्रम पढ़कर और व्यायाम शिक्षा में प्रमाणपत्र प्राप्त कर डिप्लोमा इन फिजिकल एज्यूकेशन प्राप्त किया हुआ है ;

(ख) क्या उपरोक्त डिप्लोमा इन फिजिकल एज्यूकेशन प्राप्त अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतनमान मिल रहे हैं और उनको व्यायाम शिक्षा में स्नातक डिग्री लेने वालों के समान समझा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो व्यायाम शिक्षा में संक्षिप्त पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये डिप्लोमाधारी राज्यों में संस्थाओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय ने, जिसके साथ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज सम्बद्ध है, शारीरिक शिक्षा के मास्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित की हैं :––

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री, अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अथवा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया कम से कम एक साल की अवधि का शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

क्योंकि संक्षिप्त डिप्लोमा-पाठ्यक्रम की अवधि एक साल से कम है, अतः उक्त डिप्लोमाधारी छात्र कालेज में शारीरिक शिक्षा में मास्टर पाठ्यक्रम में दाखिला पाने के लिए पात्र नहीं हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का तिहाड़ सेंट्रल जेल जाना

1907. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ अधिकारी श्री कुक्ला नजरबन्द व्यक्तियों से जिरह करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना विभाग के अधिकारियों के साथ तिहाड़ सेन्ट्रल जेल गया था;

(ख) क्या उसका कार्यालय पुलिस कार्यालय बना दिया गया था और उसने पुलिस को अध्यापकों की, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सूची दी थी;

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार उसके और इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र कल्याण डीन डा० ए० एम० कुक्ला केन्द्रीय जेल, तिहाड़ नहीं गये थे ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार छात्र कल्याण डीन के कार्यालय को पुलिस कार्यालय में नहीं बदला गया था और डा० कुक्ला ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अध्यापकों की कोई सूची नहीं दी थी ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली शहर में मंडियों का हटाया जाना

1908. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली शहर से किन-किन मंडियों को हटाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी दुकानें और कितने कारखाने हटाये गए;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वहां पर नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एसप्लेनेड रोड साइकल मार्कीट, मोतियाखान आयरन डीलर्ज, पुराने मोटर पार्टस तथा लक्कड़-मंडी मार्कीट और पुरानी सब्जी मंडी मार्कीट । इसके अलावा नान-कनफार्मिंग क्षेत्रों से कुछ झुग्गी झोंपड़ी मार्कीट और वाणिज्यिक संरचनाएं एवं वे संरचनाएं जो जामा मजिस्द क्षेत्र में स्थित थीं, हटाई गई थीं ।

(ख) लगभग 4500 दूकानें और लगभग 80 कारखाने ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायतों के माध्यम से बीजों का वितरण

1909. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को बीजों के वितरण में स्थानीय पंचायतों ने क्या भूमिका निभाई है ;

(ख) क्या बीज प्राप्त करने में किसानों को होने वाली कठिनाई और समय की बरबादी के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीज वितरण प्रणाली में स्थानीय पंचायतों को बड़े पैमाने पर काम सौंपने का है; और

(घ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) किसानों को बीज वितरण का कार्य कुछेक राज्य एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बीज निगम स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इन्डिया तथा तराई डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गए अपने विपणन केन्द्रों के माध्यम से प्रमाणित बीज तथा वास्तविक रूप से लेवल चिपकाये बीज वितरित करता है। इन के केन्द्रों में ग्राम स्तर पर पंचायतें शामिल नहीं हैं।

(ख) किसानों को बीज अधि प्राप्ति में हुई कुछ कठिनाइयां सूचित की गई है। किसानों को बैलगाड़ी की दूरी-पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अधीन राष्ट्रीय बीज निगम को देश में 20,000 बीज केन्द्र स्थापित करने हैं जो किसानों को बीज बेचेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अपने राज्य बीज निगम स्थापित करने हैं, जिन्हें प्रमाणित बीजों के उत्पादन और राज्य में अपने बीज केन्द्रों के माध्यम से उनके वितरण के कार्य में लगाया जाएगा।

(ग) व (घ) भाग (क) व (ख) में जो कहा गया है, उसे देखते हुए यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यदि वे ऐसा चाहें तो राज्य बीज निगमों द्वारा उत्पादित बीजों के वितरण में स्थानीय पंचायतों को शामिल कर सकती है।

मान्यता-प्राप्त संवादाताओं के लिये आवास की व्यवस्था

1910. डा० बापू काल्दते : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय में मान्यता-प्राप्त सवादाताओं को क्वार्टर न देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ चुनीदा संवादाताओं को पहले से ही अलाट किए गए क्वार्टर खाली कराये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या पग उठाए गए। जा रहे हैं।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

सरकार ने उन अधिकृत प्रेस प्रतिनिधियों को, जो कतिपय शर्तें पूरी करते हों, सीमित संख्या में रिहयशी मकान अलाट करने का निर्णय किया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में बसे बंगलादेश के शरणार्थी

1911. डा० बापू काल्दते : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बंगला देश के अनेक शरणार्थियों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है ;

(ख) भारत-पाकिस्तान युद्ध में आने वाले शरणार्थियों के बंगला देश को वापस चले जाने के पश्चात भारत में बसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उन शरणार्थियों पर भारत को कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त). (क) 25—3—71 को स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने पर बंगला देश से आए सभी शरणार्थी, जबकि वह देश आजाद हुआ था, वापिस चले गए थे। उनमें से किसी को भी भारत में नहीं बसाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1971—72 और 1972—73 के लेखों की गई लेखापरीक्षा के अनुसार बंगला देश से आए शरणार्थियों की सहायता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कुल 2,89,49,44,937 रुपये खर्च किए गए थे।

सरकारी कृषि फार्मों का कार्य

1912. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी कृषि फार्मों के कार्य और कार्य-परिणाम क्या रहे हैं;

(ख) इन फार्मों में होने वाली प्रमुख फसलों के नाम क्या हैं, खाद, बीज आदि की प्रति एकड़ औसत लागत और औसत उपज कितनी है; और

(ग) प्राइवेट कृषि कार्यों की तुलना में इन फार्मों की आर्थिक स्थिति कैसी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के अधीन कृषि फार्मों के वर्ष 1973—74, 1974—75 तथा 1975—76 के और 1976—77 के चालू वर्ष के लिए कार्य तथा कार्य-परिणामों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण—1 में दी गई है।

(ख) राज्य फार्म निगम के विभिन्न फार्मों में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टार औसत उपज और प्रति हैक्टार आदान लागतें संलंग्न विवरण—2 में दी गई हैं।

(ग) इन फार्मों की अर्थ-व्यवस्था की गैर-सरकारी कृषि प्रचालनों की अर्थ-व्यवस्था के साथ सीधी तुलना करना कठिन है, क्योंकि :—

(1) कृषि फार्म निगम द्वारा उपयोग में लाई गई भूमि प्राय: राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की कई बिना सुधरी हुई या सुधरी हुई अकृस्य या सीमान्त भूमि थी, अतः ये गैर-सरकारी फार्मों की भूमि की तुलना में आमतौर पर घटिया हैं।

(2) निगम की भूमि के काफी बड़े भाग को बढ़िया किस्म के बीच पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बीचउत्पादक फार्मों के आदानों की लागत भी गैर-सरकारी फार्मों की तुलना में अधिक होती है। यद्यपि पहले वर्ग के फार्मों की उत्पादन लागत दूसरे वर्ग की तुलना में अधिक है, तथापि बीज फार्मों के मामले में ऋण प्रचालनों के कारण प्रति हैक्टार उपज कम है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद कुछ व्यावसायिक संस्थाओं से अनुरोध किया गया है/किया जा रहा है कि वे इन फार्मों के साथ गैर-सरकारी फार्मों की सापेक्ष अर्थ-व्यवस्था के बारे में अध्ययन करें।

"विवरण—1"

	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
1. कृषित क्षेत्र (हैक्टार)	23086.80	25486.00	26062.00	27570.80
2. सिंचित क्षेत्र	6757.60	8162.00	8641.60	11364.00
3. फसल का क्षेत्र	25418.80	25198.80	29068.00	31280.40
4. फसल की सघनता	110 प्रतिशत	99 प्रतिशत	111 प्रतिशत	113 प्रतिशत
5. कुल उत्पादन (क्विंटल)				
1) धान	41468	30530	66548	118691
2) कपास	14333	12112	17972	26121
3) गेहूं	59233	84051	172645	†
4) चना	34005	33470	54599	†
6. बीज उत्पादन (क्विंटल)				
1) धान	29558	25361	47194	70450
2) कपास	50	237	1387	9100
3) गेहूं	46736	68792	142228	†
4) चना	30057	22774	40362	†
7. औसतन उपज (क्विटल हैक्टार)				
1) धान	22.40	14.45	30.72	36.80
2) कपास	8.60	7.12	10.10	15.80
3) गेहूं	13.37	21.75	24.35	†
4) चना	6.90	7.72	10.97	†
8. वित्तीय निष्पादन (रु० लाखों में)				
1) आय	452.27	507.07	694.00	†
2) व्यय	343.21	525.51	810.30	†
3) लाभहानि (+) (—)	(+) 109.06	(—) 17.81	(-) 116.30	†

†उपलब्ध नहीं।

"विवरण--2"

1975–76 के संबंध में ग्रांकड़े

फार्म का नाम	उगाई गई प्रमुख फसल	प्रति हैक्टार उपज लागत (रुपए)	प्रति हैक्टार ग्रौसत उपज (क्विंटल)
1. सूरतगढ़ . .	धान	3,054.40	40.95
	गेहूं	3,187.37	25.03
	चना	1,638.27	11.73
2. जेतसर . . .	धान	2,950.30	25.83
	गेहूं	2,731.20	20.85
	चना	1,161.17	7.38
3. लाधोवाल . .	धान	2,120.17	19.65
	गेहूं	2,176.70	31.10
4 कौबिलाबारी . .	धान	3,342.75	10.88
	गेहूं	3,397.32	14.50
5. बहराईच .	धान	1,537.45	22.12
	गेहूं	2,235.80	22.62
6. हिसार . . .	कपास	2,767.87	12.25
	गेंहूं	3,068.25	28.20
	चना (सिंचित)	1,285.92	18.02
7. रायचूर . . .	कपास	7,937.20	11.25
8. चेंगम . . .	मक्का (बीज)	3,421.72	22.83
	भिन्डी (बीज)	4,651.40	6.05
	टमाटो (बीज)	7,305.05	1.20
	बैंगन (बीज)	7,555.80	3.43
9. ग्ररालम रोपण फसलें			
	नारियल काजू रबर काली मिर्च)	रौपर स्थिति के ग्रन्तर्गत यह उत्पादन की स्थिति में नहीं होता है।	
10. मिज़ोरम . .	धान	4,287.12	22.45
11. रायबरेली . .	धान	3,726.78	20.07

समेकित भूमि और जल परिरक्षण संबंधी योजना

1913. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र के परिरक्षण संबंधी योजना के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में समेकित भूमि और जल परिरक्षण संबंधी योजना बहु प्रयोजनीय होगी जिससे कृषि क्षेत्रों में भूमि और जल परिरक्षण के अतिरिक्त वनरोपण, चरागाह बनाने का विकास करने तथा बागवानी का उपलब्ध होगा,

(ख) इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा; और

(ग) क्या योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकारों का भी योगदान होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, हिमालय क्षेत्र में समेकित भूमि और जल परीक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना बहुद्देशीय होगी जिसमें वनरोपण करने, चरागाह विकास करने (अल्पाईन चरागाहों समेत) आवश्यकतानुसार कृषि भूमि को सीढ़ीदार बनाने तथा श्रवण क्षेत्रों में भूमि का समेकित एवं पूर्ण-प्रयोजन सुनिश्चित करने के लिए जल प्रवाहों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनुषंगी कार्यों का समावेश है । यह क्रियान्वयन-एजेंसी पशु-पालन की प्रगति के लिए भी जिम्मेदार होगी ।

(ख) पांचवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए 490 लाख रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है अर्थात् 1977–78 के लिए 200 लाख रुपए तथा 1978–79 के लिए 290 लाख रुपए का प्रावधान है ।

(ग) जी हां । संबंधित राज्य सरकार ही क्रियान्वयन-एजेंसी होगी ।

खरीफ के मौसम के लिये बहुमुखी उत्पादन नीति

1914. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे खरीफ के मौसम में समूचे उत्पादन बढ़ाने और मौसम के दौरान कृषि उत्पादन में घट-बढ़ को कम करने के विचार से बहुमुखी उत्पादन नीति अपनायें,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुक्य बातें क्या हैं; ––

(ग) क्या राज्यों को भेजे गये अनेक केन्द्रीय दलों द्वारा आरम्भ किये उत्पादन कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय मंत्रालय ने यह नीति बनाई है ;

(घ) उनके सुझाव क्या हैं ; और

(ङ) कितने राज्यों ने इस नीति का अनुसरण किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री **सरजीत सिंह बरनाला**) : (क) जी हां ।

(ख) इस नीति की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

1. चावल, ज्वार, बाजरा और मक्की की बहुफसली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाना ।

1941 एल. एस.––7

2. वर्षा, सिंचाई और मृदा की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त प्राद्योगिकी का चयन करना ।

(क) फसलों की उचित स्कीमों का चयन करना । (ख) धान की सामयिक बुवाई करना (ग) धान की सामयिक रोपाई में सहायता देने के लिए सामुदायिक नर्सरियों को बढ़ाना, (घ) खरपतवार आदि को साफ करके, खाद डालकर बोए गए धान की पंक्तिबद्ध बुवाई करना । (ङ) भूमि को उचित ढंग से तैयार करने तथा पंक्तिबद्ध बुवाई करने के लिए सुधरे हुए उपकरणों के प्रदर्शनों का प्रायोजन करना ।

3. चुने हुए जिलों में उर्वरकों के उपयोग की बढ़ाने तथा उचित विधियों को प्रयोग में लाकर उनकी क्षमता में वद्धि करने के लिए विशेष उर्वरक अभियान चलाना ।

4. तुर और मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए फासफेट युक्त उर्वरकों का उपयोग करने के लिए विशेष अभियान चलाना ।

5. कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की हुई नवीनतम प्राद्योगिकी के बारे में विस्तार कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण देना ।

6. बिजली और सिंचाई के जल की सामयिक सप्लाई करने के लिए राज्य सिंचाई और विद्युत विभागों में समन्वय स्थापित करना; और

7. उत्पादन ऋण की व्यवस्था करना ।

(ग) जी हां ।

(घ) विभिन्न राज्यों में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय दल के सुझाव विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत अलग अलग हैं । उनके सुझावों पर आधारित (ख) में उल्लिखित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रमुख नीतियों के बारे में राज्यों को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सुझाव दे दिए गए हैं ।

(ङ) खरीफ उत्पादन की योजनाओं के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के लिए प्रौद्योगिकी भिन्न भिन्न होगी । अत : कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से राज्य कृषि विभागों ने किसानों के हित के लिए पैकेज पद्धतियां विकसित की हैं ।

राज्य सरकारों को खाली भूमि शहरी सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में निर्देश

1915. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि खाली भूमि अथवा सम्पत्ति

के अन्तरण के संबंध में जो दस्तावेज शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के लागू होने से पूर्व लिखे गए और पंजीकरण के लिए पेश किए गए थे, वे अधिनियम, की धारा 26 और 27 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही पंजीकृत कर दिए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए निदेशों की रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों जिनमें नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू है, को यह राय दी गई है कि विक्रय विलेख आदि जिसे अधिनियम के लागू होने से पूर्व पंजीकरण के लिए निष्पादित तथा प्रस्तुत किया गया है और जहां इसे लागू होने से पहले दस्तावेजों के निष्पादन को भी स्वीकार किया गया है, के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 26 और 27 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के अवर डाक्टरों की मांगें

1916. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अवर डाक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल 15 जून, 1977 को अथवा उस तिथि के लगभग शिक्षा मंत्री से मिला था और अपनी मांगें पेश की थीं; यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या है ;

(ख) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के डाक्टरों के साथ वेतन तथा 'इन्टरनों' की छात्रवृत्ति के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों के समान पदों व डाक्टरों की तुलना में भेदभाव होता है; और

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) जी हां । उनकी मुख्य मांग यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ कर 400 रुपए प्रतिमाह कर देनी चाहिए । मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालययों द्वारा अनुरक्षित मेडिकल कालेजों का सम्बन्ध है, वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के मामले में परस्पर कोई भेदभाव नहीं हैं । विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में अंतरंग डाक्टरों की वृत्तिकाएं और वेतनमान संबंधित राज्य सरकारों या संघ शासित प्रशासनों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, दिए जाते हैं ।

Pontoon Bridge Near Shanti Van

1917. **Shri Yagya Datt Sharma** Will the Minister cf **Works and hcusing and Supply and Rehabilitation** be plcased to state :

(a) whether a pontoon brigde is constructed across Jamuna river near Shati Van in Delhi every year keeping in view the need therefcr;

(b) if so, the expenditure incurred thereon every year: ;

(c) whether Government have under consideration a scheme for giving it a permanent shape; and

(d) if so, the action taken so far in accordance with the scheme ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) On an average, an expenditure ranging between Rs. 3 lakhs and Rs. 4 lakhs has been incurred every year on the construction and maintenance of the project.

(c) and (d) A project for the construction of a road bridge over the river Jamuna near the Inter-State Bus Terminal costing about Rs. 10 crores has been formulated by the Public Works Department of Delhi Administration.

Demolition of Houses in Delhi

1918. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of houses demolished and the number of persons resettled in other places in the Union Territory of Delhi during the last two years ;

(b) the number of persons, out of them, displaced from each place ; and

(c) the name of places, out of them, whose resident are proposed to be resettled by Government near their old places ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) and (b): According to the present estimates 1,63,154 Jhuggis semi pucca/pucca structures have been removed during the last two years and about 7 lakh persons have been resettled in resettlement colonies.

(c) The general policy of the Government is to resettle all those who were evicted from residential areas in the same areas or in their vicinity after proper redevelopment.

Allotment of Residential Accommodation by D.D.A. Till March, 1978

1919. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the numberr of applicants out of those from whom applications have been received by Delhi Development Authority, who will be provided residential accommodation till March, 1978; and

(b) the time by which the remaining applicants would get residential accommodation and the number of such persons ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) of the pending number of registered applicants it is likely that, subject to availability of funds, about 6000 persons would be given residential accommodation by March, 1978.

(b) As at present about 31,700 registered persons are to be allotted houses. Subject to availability of funds, it is expected that these persons could be allotted houses in the course of the next 3 to 5 years.

Committee for Self-Supporting System of Education

1920. **Shri Yagya Datt Sharma**
Dr. Laxminarayan Pandeya

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a committee is being constituted by Government to prepare a draft plan for introducing a self-supporting system of education; and

(b) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) There is no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

संगीत शिक्षकों के लिये पी०जी०टी० वेतनमान

1921. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कार्यरत तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले संगीत शिक्षकों को स्नातकोत्तर (पी० जी० टी०) अध्यापकों वाले वेतन-मान नहीं दिए गए हैं और इस प्रकार अन्य विषय के अध्यापकों की तुलना में यह एक गंभीर भेदभाव का मामला है ;

(ख) ऐसे महिला-अध्यापकों तथा पुरुष अध्यापकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अस्थाई प्रबन्धकों के आधार पर दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले संगीत अध्यापक उत्तर स्नातक अध्यापक के वेतनमान के लिए अनिवार्यत: पात्र नहीं होते । भर्ती नियमों के अनुसार, उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 75 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । पदोन्नति उत्तर स्नातक अध्यापक के ग्रेड में स्थानों की उपलब्धता और निर्धारित अर्हताओं तथा अनुभव की शर्त को पूरा करने पर निर्भर करती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों की आय में सुधार

1922. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वसूली मौसम के दौरान सरकारी नीतियों के कारण गेहूं उत्पादक किसानों की आय में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) रबी की नयी नीति किसानों के लिए लाभप्रद है क्योंकि गेहूं के वसूली मूल्य को 105-रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 110-रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है और गेहूं के संचालन पर लगे जोनल प्रतिबन्धों को भी हटा लिया गया है जिससे किसानों को उनके उत्पाद का और अधिक मूल्य मिल सके ।

Recostitution of Agricultural Prices Commission

1923. **Dr. Laxminaryan Paendaya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be please to state :

(a) whether Government propose to reconstitute the Agricultural Prices Commission, and

(b) if so, facts thereof?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Abolition of Sugar Quota System

1924. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to abolish sugar quota system; and

(b) if so, the time by which it would be abolished?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b) The price policy for sugar for the 1976-77 season is at present under consideration. Question of abolition or otherwise of the levy system forms part of such a consideration and a decision will be taken while finalising the policy for the current year.

गोबर गस संयंत्रों के लिये सहकारी क्षेत्र ऋण के लिये सूत्र

1926. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गोबर गैस संयंत्रों हेतु सरकारी क्षेत्र के ऋण की राशि निश्चित करने वाले सूत्र में आमूल परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये हैं ; और

(ग) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण, देश में गोबर गैस संयंत्र लगाने वाले किसानों को कोई सहायता नहीं मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) रिजर्व बैंक ने गोबर गैस संयंत्रों के लिये सहकारी क्षेत्र के ऋण की मात्रा को निर्धारित करने के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

(ख) सहकारी क्षेत्र के ऋण की मात्रा गोबर गैस संयंत्र की पूंजी की अनुमानित लागत और सरकार से प्राप्त होने वाली राजसहायता की राशि पर निर्भर रहेगी । तथापि, गोबर गैस संयंत्रों की वित्तीय व्यवस्था की पहली नीति में हाल ही में कुछ परिवर्तन किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) इस शर्त को हटाना कि गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण मांगने वाले समिति के सदस्य के पास कम से कम कुछ जोत हो । इसका अर्थ यह है कि न केवल पालने वाले कृषक सदस्य परन्तु संयन्त्र के अपेक्षित आकार के लिये आवश्यक पशुओं को पालने वाले भी, तकनीकी और आर्थिक सम्भायता को ध्यान में रख कर संयन्त्र स्थापित करने के लिये वित्त की प्राप्ति के हकदार होंगे ।

(ii) पहले गोबर गैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए मध्यम अवधि का वित्त देने में केवल लघु—अवधि ऋण का ढांचा ही स्वतंन्त्र था । रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए, अन्त:संस्थागत दल की सिफारिशों का अनुसरण करने से लघु—अवधि और बड़ी अवधि दोनों की ऋण व्यवस्थाएं अब मध्यम अवधि के ऋण देने के लिय स्वतंत्र हैं । यह ऋण छोटी अवधि वाली ऋण व्यवस्था के लिये अधिकतम 5 वर्ष और बड़ी अवधि वाली ऋण व्यवस्था के लिय 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिये होगा और संभावित ऋण लेने वाले की अदायगी की क्षमता पर निर्भर करेगा जो केवल उसके संयंत्र द्वारा अर्जित कुल वार्षिक अधिशेष की बजाय उसकी समग्र आर्थिक स्थिति के आधार पर आंकी जाएगी ।

(ग) इसकी नीति में किये गए परिवर्तन (जिसकी रूपरेखा ऊपर (ख) में दी गई है) अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में हैं न कि प्रतिबन्धक के रूप में ।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में बसे शरणार्थियों की दशा

1927. **डा० सरदीश राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के विभिन्न कैम्पों में, जहां बहुधा नकद भुगतान, राशन, कपड़े और अन्य वस्तुओं की सप्लाई, रोक दी जाती है बसे शरणार्थियों की दयनीय दशा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि पात्र प्रवासी परिवारों की स्थिति संतोषजनक है और नकद बेकारी अनुदान राशन इत्यादि नियमित रूप से दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शरणार्थियों के लिये पुनर्वास प्रणाली का पुनर्विलोकन

1928. **डा० सरदीश राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शिविरों में बसे शरणार्थियों के लिए सम्पूर्ण पुनर्वास प्रणाली का पुनर्विलोकन करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शिविरों में शरणार्थीयों के पुनर्वास में संतोषजनक प्रगति हो रही है और पुनर्विलोकन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी को धमकी

1929. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**
श्री मुकुन्द मण्डल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली के तात्कालीन उप-राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट व्यक्ति के दो पुत्रों को दाखिला न देने के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज के प्रिंसिपल को धमकी दी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन ने, कालेज डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय को लिखा था कि दिल्ली प्रशासन, लोक हित में यह आवश्यक समझता है कि श्रीराम वाणिज्य कालेज में, बी०काम० (आनर्स) पाठ्यक्रम में दो छात्रों को दाखिल किया जाए। कालेज डीन ने उक्त पत्र को, आवश्यक कार्रवाई हेतु कालेज के प्रिंसिपल के पास भेज दिया, जिसने दोनों छात्रों को दाखिल कर लिया। अनुचित हस्तक्षेप के उपरोक्त मामले के पश्चात्, विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया कि किसी भी प्रिंसिपल अथवा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन की किसी भी मांग अथवा दबाव में नहीं आना चाहिए।

Central aid to Bihar for Irrigation

1931. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of such irrigation schemes, especially for Bihar for which financial assistance was given by Central Government for implementation during the last three years and which have not so far been implemented;

(b) the reasons therefor; and

(c) the provision for irrigation in the villages under the current Five Year Plan and the extent to which it would succeed in getting their needs for rural development and expenditure being incurred thereon?

The Minister for Agriuclure and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) Irrigation is a State subject and Irrigation Projects are financed by the State Governments. The Central assistance is given in the form of block loans and grants for the State Plan as a whole and is not related to any sector of development or individual project. During 1975-76, however, an advance Plan assistance of Rs. 55.8 crores was provided to accelerate the progress on 18 selected projects in 12 States. This included assistance of Rs. 5 crores for the Gandak Project in Bihar to create an additional potential of 20,000 hectares. During 1976-77 an advance Plan assistance of about Rs. 40 crores was provided to 22 major and 11 medium irrigation schemes in 13 States of which an assistance of Rs 3 crores was provided for Gandak Project in Bihar to create an additional irrigation potential of 15,000 hectares. No such advance plan assistance was provided during 1974-75.

An assistance of Rs. 20 lakhs was also provided to the Bihar Government for Pandarua Reservoir Scheme and Chirkha Reservoir Scheme in Palamau District under the draught-prone area programme during 1976-77.

(c) An outlay of Rs. 255 crores is envisaged in the Fifth Plan of Bihar for major and medium irrigation schemes to create an additional irrigation potential of 5.50 lakh hectares during the Plan period.

An outlay of Rs. 235 crores (excluding private investment) comprising Rs. 95 crores by the State Government and Rs. 140 crores by financial institutions has been envisaged for the minor irrigation schemes in the State to create irrigation facilities to an area of 9.37 lakh hectares.

The Fifth Plan envisages an outlay of Rs. 3,135 crores for major and medium projects to create an additional irrigation potential of 5.8 million ha. during the Plan period. The outlay envisaged for minor irrigation works is Rs. 2254.8 crores (excluding private invvestment) comprising Rs. 792.3 crores in States/Union Territories and Central Sectors and Rs. 1462.5 crores from Financial Institutions to create a gross additional irrigation potential of 7.3 million ha.

Consumers Subsidy out of receipts to Food Corporation of India

1932. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the total amount out of the receipts of Government of India, provided to the Food Corporation of India by way of consumers subsidy and the amount so provided during the last three years, year-wise; and

(b) the basis on which Government provide this subsidy and the extent to which consumer is benefited by this?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The total amount of subsidy provided to the Food Corporation of India during the last three years was as under:—

Financial year	Amount in crore Rs.
1974-75	295
1975-76	250
1976-77	506

(b) The difference between the economic cost of foodgrains of the Food Corporation of India and the Central issue prices is reimbursed to the Corporation as subsidy on foodgrains transactions. In addition, subsidy is also paid for the cost of holding the buffer stocks of foodgrains by the Food Corporation of India. The consumer is benefited to the full extent of the subsidy as otherwise he will be required to pay the price of foodgrains is based on their full economic costs including the cost of holding the buffer.

ग्रामों में हैण्डपम्प

1934. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उन ग्रामों में हैण्डपम्प वितरित करने का है जहां जहां पानी की कमी रहती है ;

(ख) क्या पुनरीक्षित पंच वर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना सम्मिलित करने का विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) देश में अभावग्रस्त तथा सख्त चटटानी क्षेत्र के कठिनाई वाले ग्रामों में अहानिकार पेयजल की सप्लाई यूनी सेफ की सहायता से हैण्डपम्प लगा कर की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने समस्या मूल ग्रामों में जल उपलब्ध करने की समस्या को निपटान के लिए, राज्य क्षेत्र में प्लान नियतन के अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र का एक कार्यक्रम भी बनाया है। निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वियन के लए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। हैण्डपम्पों/नलकूपों तथा नलों द्वारा जल पूर्ति के जरिये, पेयजल की सप्लाई योजना के अन्तर्गत आयेगी।

पब्लिक स्कूलों को रियायतें

1935. **श्रीमती मृणाल गोरे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है कि पब्लिक स्कूलों से निकलने वाले छात्र अच्छे प्रशासक सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक फीस लेने और चन्दा एकत्र करने के मामले में पब्लिक स्कलों को कुछ और रियायतें देने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) जी हां। यह मेरी व्यक्तिगत राय है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विंशिजम और नींदकारा मत्स्य पत्तन, केरल

1937. **श्री वयालार रवि :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विंशिजम और नीदकारा मत्स्य पत्तन परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनपर शीघ्र विचार करने के लिए क्या कबम उठाये जा रहे हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक की सहायता के लिए परियोजनाओं को प्रस्ततुत करने के संदर्भ में परियोजना रिपोर्टों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। नीदकारा मत्स्य पत्तन के बारे में एक संशोधित रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है तथा राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए यह विचारधीन है। विशिनजममत्स्य पत्तन संबंधी प्रस्तावों के बारे में एक संशोधिन रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कृषि-उद्योग

1938. **श्री शशांक शेखर सान्याल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि-उद्योग के अभिप्राय को परिभाषित, सुनिश्चित अथवा स्पष्ट किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल के कृषि–उद्योगों की सूची उपलब्ध करा सकती है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) मोटे तौर पर कृषि–उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से है जो एक ओर तो कृषि के लिए बीज, फार्म मशीनरी औज़ार, उर्वरक तथा कीटनाशी दवाएं आदि मूल आदान उपलब्ध कराते हैं तथा दूसरी ओर ऐसे उद्योग हैं जो उत्पाद के परिसंस्करण या परिष्कृत उत्पाद तैयार करने के लिए मूल कच्ची सामग्री के रूप में कृषि उत्पाद प्रयोग करते हैं।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिये नियतन

1939. **श्री चित्त बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए नियत की गई धनराशियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि योजना परिव्यय के मामले में विशेषकर चालू पंचवर्षीय योजना और आगामी योजना में शिक्षा के लिए प्राथमिकता अनुसूची का पुनरीक्षण किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए आवंटनों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

योजना	प्रतिशतता
प्रथम पंचवर्षीय योजना	7.2
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	6.2
तीसरी पंचवर्षीय योजना	7.5
चौथी पंचवर्षीय योजना	5.2
पांचवीं पंचवर्षीय योजना	3.3

पश्चिम बंगाल में अशरफाबाद कैम्प कालोनी की कठिनाइयां

1940. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशरफाबाद कैम्प कालोनी 24 परगना, पश्चिम बंगाल की कठिनाइयों के बारे में सरकार को हाल में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) भारत सरकार को शिकायतों के बारे में कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कालोनी के 528 परिवारों की सहकारी पुनर्वास समिति के दो दलों के बीच हुए झगड़े के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसकी वे जांच कर रहे हैं।

बेरोजगारी की समस्या के लिये 7–सूत्री कार्यक्रम

1942. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित 7-सूत्री कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख). युवक कार्य में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रमंडल एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़ में 2 फरवरी, 1976 को भारत बंगलादेश तथा श्री लंका के लिए रोजगार नीतियों तथा कार्यक्रमों पर संगोष्ठर का उद्घाटन करते समय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने यह राय व्यक्त की थी कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक 7-सूत्री समेकित कार्यक्रम आरंभ किया जाए। क्योंकि यह विचार के लिए केवल एक सुझाव मात्र था, इसे भावी कार्रवाई के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता।

दिल्ली में दुकानें आवंटित किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया

1943. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में दिल्ली में पहले अपनायी जा रही उपयुक्त प्रक्रिया अपनाए बिना बहुत सी दुकानों का अवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में दुकानों के आवंटन के लिए पहले अपनायी जा रही प्रक्रिया को बदल दिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

आसाम में बाढ़

1944. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण आसाम राज्य में प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में मकान गिर जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के मकान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिन्हें बाढ़ से गिरने के बाद सरलता से पुनः बनाया जा सके;

(ग) क्या सरकार बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ; और

(घ) इन व्यक्तियों के शरणास्थलों के लिए मन्त्रालय क्या सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय के विचारधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ). छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, दैवी आपदा आने पर राज्यों को 1974-75 से विकासात्मक प्रकृति की योजनाओं के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। असम सरकार को क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण /निर्माण के लिए कोई अग्रिम योजना सहायता मंजूर नहीं की गई है।

सस्ते मूल्य पर मकानों का निर्माण

1945. **श्री निहार लास्कर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सस्ते मूल्य पर मकान बनाने की सरकार की कोई योजना थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना पर सरकार अब भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि क्या सरकार स्वयं तथा अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सस्ते मकानों के निर्माण को बढ़ावा देती है। सरकार सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन में कम लागत के मकानों के निर्माण तथा आवास और नगर विकास निगम द्वारा अवासीय गतिविधियों की वित्तीय व्यवस्था करने को बढ़ावा देती है ताकि बनाये गए मकान उन व्यक्तियों की क्षमता के भीतर हो जिनके लिए योजनाएं बनाई गई है। सामान्य पूल में निर्माण के लिए भी सरकार निर्माण की लागत में मितव्ययिता ला रही है।

सरकारी आवास का उपयोग करने वाले ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं

1946. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं बाजार दर पर किराया देकर भी सरकारी अवासों का प्रयोग कर रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में कितने मकान, फ्लैट और अन्य आवास हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकारी क्वार्टरों के आवंटी, जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं, बाजार किराये पर सरकारी क्वार्टर रख सकते हैं। किन्तु संसद् सदस्यों सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, योजना आयोग के सदस्यों जैसे विशिष्ट व्यक्तियों पर अपने मकान होने की शर्त लागू नहीं होती।

(ख) अपने मकान वाले अधिकारी, जो बाजार किराये पर सरकारी आवास को रखे हुए हैं वे अनधिकृत दखलकार नहीं माने जाते।

Teachers suspended by Delhi Administration

1947. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of teachers suspended by Delhi Administration during the Emergency: and

(b) whether suspended teachers were given any charge sheet?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to the information given by Delhi Administration, 57 teachers were suspended.

(b) No, Sir.

Allotment of Government Accommodation to Employees in Lower Cadre

1948. **Shri Shiv Narain Sarsonia.** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether more than 70 per cent of the Government employees in the lower cadre have not so far been given Government quarters in Delhi and other cities nor can they hope to get the same in the near future;

(b) whether all the officers drawing a salary of Rs. 2,000/- and more have been provided with Government quarters;

(c) whether the lower cadre employees have been allotted one-roomed accommodation at places far off from the Secretariat which is far below their requirement and at the same time they have been allotted flats in multi-storeyed buildings which are very inconvenient; and

(d) whether the Ministry propose to lay down a new policy in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) In Delhi and Faridabad, more than 40 per cent employees in lower categories, who are eligible for general pool accommodation, have been provided with Government accommodation. In other cities where there are only about 43% of Central Government employees, more than 70% eligible employees have not been provided government accommodation. It will not be possible in the near future to provide accommodation to all of them.

(b) Only in Faridabad all such officers have been provided with accommodation.

(c) Old quarters in type I have only one room but all new construction in type I provides two rooms. The location of site for construction of quarters depends on availability of land. Allottees of general pool accommodation work in different offices both of the Central Government and the Delhi Administration, and Delhi Administration schools which are scattered all over Delhi. The distance of a quarter from the place of duty is a variable factor. If any allottee finds his allotted quarter too far from his place of duty, he has got the option to apply for a change.

(d) Does not arise.

Radical Changes in mode of Selection of Hockey Teams

1949. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether India was placed in third position in the Asian hockey tournaments held recently; and

(b) whether Government are considering encouraging good players by making radical changes in the mode of selection of the team to be sent abroad from a big country like India?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) This function falls within the purview of Indian Hockey Federation.

माध्यमिक स्कूल अनुदान आयोग के लिये मांग

1950. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक महासंघ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समान ही एक माध्यमिक स्कूल अनुदान आयोग की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।

आवास के लिये मानकीकृत योजना

1951. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास व्यवस्था के लिए मानकीकृत योजनाएं तैयार करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) बने बनाये मकान की सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे बड़े पैमाने पर आवास योजना की क्रियान्विति को सहायता मिल सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पूर्व विरचित भवन के घटकों अर्थात दरवाजों, खिड़कियों, छत के घटकों आदि के मानकीकृत डिजाइनों को बनाने, पूर्व विरचित पद्धति के प्रयोग के लिए वास्तुओं से सीधा सम्पर्क करना, तकनीकी, गैर तकनीकी पत्रिकाओं / प्रकाशनों में विज्ञापन देना, लेख देना, निर्माण अभिकरणों को पूर्व विरचित घटकों के प्रयोग के लिए उन्हें राजी करना, प्रयोगात्मक निर्माण परियोजनाओं का आयोजन करना जिनमें पूर्व विरचित मकानों के घटकों का प्रयोग है, को प्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए गयें हैं।

दिल्ली में सी टाइप क्वार्टरों का गिराया जाना

1952. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने आपात स्थिति के दौरान राजधानी में 'सी' टाइप क्वार्टर गिराकर नगर पालिका के उप-नियमों का उल्लंघन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) ऐसा कोई 'सी' टाइप क्वार्टर नहीं गिराया गया। तथापि, क्वार्टरों के साथ लगी सरकारी भूमि पर कतिपय अनिधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमणों / संरचनाओं को दिल्ली नगर निगम द्वारा गिराया गया था। इस प्रश्न को कि क्या मकानों को वैध रूप से और पर्याप्त औपचारिकताए और प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद गिराया गया था या नहीं, इस प्रयोजन के लिए गठित तथ्य अन्वेषण समिति को सौंपा जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न केवल तब उठेगा जब तथ्य अन्वेषण समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

गृह निर्माण ऋण के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

1953. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण ऋण के लिए लोगों तथा आवास सहकारी समितियों से प्राप्त बहुत से प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े हुए है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार इन ऋणों के लिए स्वीकृति देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न सरकरी कर्मचारियों के सदर्भ में है। सरकार गृह निर्माण अग्रिम अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से देती है चाहे उन्होंने अपनी सहकारी समिति बनाई हो या न बनाई हो। किसी सहकारी समिति को सीधे ही ऋण नहीं दिया जाता। अतः किसी भी सहकारी समिति के आवेदन को निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिलहाल व्यक्तिगत आवेदकों के 6,000 आवेदन निलम्बित हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष के बजट में गृह निर्माण अग्रिम के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष मूल रूप से प्रावधान केवल 10 करोड़ रुपये का था किन्तु बाद में इसे 15 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह बढ़ाया गया प्रावधान निलम्बित आवेदनों के लिए काफी होगा जिन्हें चालू वर्ष में निपटा दिया जाएगा।

देश में सरकारी कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त मकान

1954. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) आवास सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध साधनों के भीतर सामान्य पूल में यथा संभव अधिक रिहायशी एकक निर्माण करने के प्रयास किए जा रहें हैं ।

मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में सूखा

1955. **डा० बापू कालदत्ते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा जनता विकास परिषद', औरंगाबाद ने 30 मई, 1977 को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखा-उन्मुख क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में एक पत्र भेजा था ।

(ख) उक्त पत्र में किन समस्याओं का जिक्र किया गया है ; और

(ग) समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मराठवाड़ा क्षेत्र के तीन जिलों अर्थात औरंगाबाद, भीर तथा औसमानाबाद में 19 तालुकाओं को शामिल न किया जाना ।

(ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सूखा ग्रस्त जिलों को लाने के सम्पूर्ण प्रश्न पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के गठन के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा नियुक्त समन्वित ग्राम विकास सम्बन्धी कार्य दल द्वारा 1973 में विचार किया गया था । कार्यदल ने यह महसूस किया कि चौथी योजना में दी गई सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची को अनावृत करने के लिए कोई बाध और यह सिफारिश की कि उन्हीं इलाकों / जिलों को पांचवीं योजना के दौरान उसी तरह ग्रंगीकृत किया जाए । भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया । तथापि, इस मामले पर ग्राम विकास की केन्द्रीय समन्वय समिति जो योजना आयोग में एक उच्च नीति-निर्माण निकाय है, ने 27 मई, 1976 को हुई अपनी बैठक में पुन: विचार किया था । केन्द्रीय समन्वय समिति ने निर्णय किया कि पांचवीं योजना के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत नए जिलों को प्रवेश देने के प्रश्न की चर्चा न चलाई जाए ।

डी० टी० 14 रूसी ट्रैक्टरों का आयात

1956. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डी० टी० 14 रूसी ट्रैक्टरों का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

साउथ 24 परगना के लिये उठाऊ सिंचाई परियोजना

1957. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है बंगाल को विशेषतया 24 परगना को अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है;

1941 LS—8

(ख) क्या सम्पूर्ण क्षेत्र (साऊथ 24 परगना) में एक ही फसल (बहुत कम पैदावार) होती है जो अत्यधिक गरीबी का कारण है;

(ग) क्या भूतपूर्व मंत्री डा० के० एल० राव ने उक्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए उठाऊ सिंचाई परियोजना स्थापित करने का विचार किया था; और

(घ) क्या वर्तमान सरकार इस मामले पर विचार करेगी और शीघ्र से शीघ्र इसे अन्तिम रूप देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सकल कृषिगत क्षेत्र 77.28 लाख हैक्टेयर है और कुल सिंचित क्षेत्र 20.48 लाख हैक्टेयर है। सकल फसली क्षेत्र के मुकाबले में सकल सिंचित क्षेत्र 26.5 प्रतिशत है जबकि समूचे देश की यह प्रतिशतता 27.4 है।

यह सूचित किया गया है कि 24–परगना का सकल कृषिगत क्षेत्र और सकल सिंचित क्रमशः 8.90 लाख हैक्टेयर और 1.00 लाख हैक्टेयर है; इस प्रकार कृषिगत क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र 11.2 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि 24–परगना जिले के उत्तरी भाग में सिचाई सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर है लेकिन नदी जल में लवणता की मात्रा अधिक होने और भूतल जल की स्थिति कम अनकूल होने जैसी प्राकृतिक असुविधाओं के कारण दक्षिणी भाग इस दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

(ख) सिचाई सुविधाओं के अभाव में 24–परगना के दक्षिणी भाग के काफी बड़े क्षेत्र में एक ही फसल होती है।

(ग) और (घ). उपलब्ध रिकार्ड से यह पता नहीं चलता कि डा० के० एल० राव ने दक्षिणी 24–परगना के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिण 24–परगना के सुन्दरवन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की गयी है जिसमें 526 लाख रुपये से अधिक की पूंजी लगाई जानी है। इस परिव्यय का लगभग 75 प्रतिशत भाग परियोजना के सिंचाई घटक के लिए है जिसमें गहरे सिंचाई नलकूप और भूतल जल निकास स्कीमें और मृदा तथा जल संरक्षण के अन्य उपाय शामिल हैं। इस परियोजना के क्रियान्वयन से इस क्षेत्र की सिंचाई शक्यता में काफी अधिक वृद्धि हो जाएगी। लवणता की मात्रा के अधिक होने के कारण भूतल जल से लिफ्ट सिंचाई करने की गुंजाइश सीमित है।

सन्तरागाची (पश्चिम बंगाल) में भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों की मांगें

1958. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्तरागाची (पश्चिम बंगाल) में भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों की विचाराधीन मांगें क्या हैं; और

(ख) सरकार उन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ख): कर्मचारियों की वेलफेयर क्लब, स्कूल बिल्डिंग, औषधालय भवन, प्रेस पूल के क्वार्टरों के किराये में कमी जैसी मांगें मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

27 जून, 1977 **को उत्तर के लिये मदनगीर स्थित डी०डी०ए० कालोनी में पीने के पानी की कमी**

1959. **श्री सुब्रह्मण्यमस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में मदनगीर स्थित डी०डी०ए० के फ्लैटों में वहां के निवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए निकट भविष्य में कोई उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। पीने का पानी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नलकूपों तथा हैण्डपम्पों के माध्यम से दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Committees etc. in the Ministry

1960. **Shri Jagdambi Prasad Yadav.** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of Committees, Boards, etc. under the Ministry and their number out of them, for which elections are held, to which nominations are made and to which Government officers are nominated;

(b) the number of such Committees, Boards in which old members are still continuing after the expiry of their term or vacancies are lying vacant;

(c) whether Government would lay a list of the Committees, Boards, Managing Committees together with the names of the bodies in other Departments under the Ministry to which representatives from the Ministry are sent; and

(d) whether old members are still continuing in the said Committees, Boards, etc.?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (d) The required information is being collected from the various Departments/Divisions under the Ministry of Agriculture & Irrigation and will be laid on the table of the Lok Sabha as early as possible.

Review of Indian Council of Agricultural Research

1961. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to stat:

(a) whether Government propose to review the working of the Indian Council of Agricultural Research for the last three years in view of the fact that this expensive organisation has not made any significant contribution till now; and

(b) whether appointments held up there for years have not been made even now?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The I.C.A.R. has been re-organised recently on the basis of the decisions of the Government of India on the recommendations of the ICAR Inquiry Committee. It is too early to evaluate the results of this re-organisation. Therefore, it does not appear to be necessary to review the working of the ICAR at present. However, if any specific problems are brought to the

notice of the Government, those will be examined. It would also be incorrect to say that the ICAR has not made any significant contribution till now.

(b) It is not correct to say that appointments held up for years have not been made even now. In fact, the ASRB has recruited 897 scientists through two competitive examinations held in the years 1975 and 1976 and has recruited 476 scientists of various categories including Deputy Director Generals, Assistant Director Generals, Directors of Institutes and senior scientists through open advertisements and interviews. Only 33 old vacancies remain to be filled.

Development on Villages

1962. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the President of the Science Congress held in Waltair made a declaration that now onwards the scientists would give prominence o the development of the villages because the development of the country depends on the development of villages but neither the Department of Agriculture nor the Indian Council of Agricultural Research chalked out any such development programme so far; and

(b) if so, reaction of the Government thereon?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir. It is true that Dr. M. S. Swaminathan in his Presidential address during the Indian Science Congress held at Waltair in January 1976 suggested that the scientists should give prominence to the improvement of rural economy and living.

(b) As a direct consequence of this recommendation of the Science Congress, Govt. of India developed a programme for rural development known as the 'Integrated Rural Development Programme'. Initially the programme will be implemented in 20 selected districts in the country. The responsibility for implementation of this programme has been entrusted to the Deptt. of Rural Development in the Ministry of Agriculture and Irrigation. The ICAR is preparing resource inventories and action plans for this programme.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 181(ङ) जो दिनांक 13 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) आदेश, 1973 जो दिनांक 31 मार्च, 1973 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 187(ङ) में प्रकाशित हुआ था को रद्द किया गया है।

(दो) चीनी (वर्ष 1976–77 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 188(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई / देखिए संख्या एल टी-508177]

भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1973–74 और 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1973–74 और 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन* सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या ,एल टी-509/77]

जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवायें (इन्डिया) लिमिटेड की वर्ष 1975-76 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जल और विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवाएं (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जल और विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवाएं (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये / देखिए संख्या एल टी-510/77]

तमिलनाडु गैर-सरकारी कालेज (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु गैर-सरकारी कालेज (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०ओ०एम० 746 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु गैर-सरकारी कालेज (विनियमन) नियम, 1976 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) ज्ञापन संख्या 132435 रूल्स–डी 1/76–7 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें तमिलनाडु गैर-सरकारी कालेज (विनियमन) नियम, 1976 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई / देखिए संख्या एल टी-511/77)

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1975–76 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

(2) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषायें संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1975–76 के

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये / देखिये संख्या एल टी-512/77]

उड़ीसा में राष्ट्रपति के शासन का निरसन करने सम्बन्धी उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड(2) के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुये उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 26 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा संविधान के अनूच्छेद 356(3) के अधीन उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में 30 अप्रैल, 1977 को उनके द्वारा जारी की गई उदघोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 26 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि0 415 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई / देखिये संख्या एल टी-513/77]

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : महोदय मैं संसद् के चालू सत्र के दौरान दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (रेल, संख्या 2 विधेयक, 1977 सभा पटल पर रखता हूं। पिछली बार विधेयक 13 जून, 1977 को सभा पटल पर रखे गए थे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इण्डियन एक्सप्रेस और फाइनेनशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में तालाबन्दी

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"इण्डियन एक्सप्रेस और फाइनेनशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में 20 जून, 1977 से हुई तालाबन्दी और इससे वहां के कर्मचारियों की जीविका प्रभावित होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): मैंने दिनांक 17 जून, 1977 को अपने वक्तव्य में इस माननीय सदन को यह सूचित किया था कि मैं समाचार पत्र कर्मचारियों की अन्तरिम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में सरकार की अधिसूचनाओं के अकार्यान्वियन के मामले पर इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजेज न्यूजपेपर एसोसिएशन, आल इंडिया न्यूजपेपर इम्प्लाईज़ फेडेरेशन, इंडियन फेडेरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्टस तथा नेशनल यूनियन आफ जरनलिस्टस प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के लिए 22 जून, 1977 को एक बैठक बुलाऊंगा। मैंने उस अपील का भी उल्लेख किया था जो मैंने समाचार पत्र कर्मचारियों से अनिश्चित कालीन हड़ताल न करने के लिए की थी। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि मेरी अपील का बहुत अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और अखबारों के मालिकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22 जून, को सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हुआ। यह स्वीकृत हुआ कि अखबार मालिकों और कर्मचारियों के तीन-तीन प्रतिनिधियों की बैठक बम्बई में 26 जून, 1977 को होगी जिसमें यह विचार किया जायेगा कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं का कार्यान्वियन कैसे कराया जा सकता है। इन वार्ताओं में उनकी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय व श्रम मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सहायता की जाएगी।

2. 22 जून, 1977 को हुई बैठक में इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेनशियल एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण की तालाबन्दी का प्रश्न भी सामने लाया गया। बैठक के पश्चात मैंने कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों से इन दो अखबारों की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी को पक्षकारों से सम्पर्क स्थापित करने और स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस और 'फाइनेनशियल एक्सप्रेस' में हड़ताल 26 जून, के बाद भी जारी रही। प्रबन्धकों ने दिनांक 17 जून के एक नोटिस द्वारा कर्मचारियों से 18 जून, 1977 के 6 बजे पूर्वाह्न की पहली पारी से डयूटी पुन: आरम्भ करने के लिए कहा तथापि श्रमिक डयूटी पर नहीं आये। इस बीच प्रबन्धकों ने सरकार की 14 जून, 1977 की अधिसूचनाओं के कार्यान्वियन के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त किया। प्रवन्धकों ने 18 जून को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि श्रमिकों ने हड़ताल वापस नहीं ली तथा यह कि हड़ताल अवैध और अनुचित है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को यह अन्तिम अवसर दिया गया कि वे सोमवार, 20 जून, 1977 से शुरू होने वाली पहली पारी तक डयूटी पर आ जायें। तथापि, हड़ताल जारी रही। प्रबन्धकों ने 20 जून, 1977 को एक और नोटिस द्वारा यह घोषित किया कि काम पूर्णत: बन्द हो गया है और प्रबन्धकों को मारपीट और सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने का खतरा है। प्रबन्धकों ने यह अधिसूचित किया कि 20 जून से तालाबन्दी घोषित करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।

3. 22 जून को प्रबन्धकों ने एक और नोटिस जारी किया कि चूंकि सब वार्तायें असफल हो गई हैं इसलिए उन्होंने कानूनी औपचारिकताओं के अध्यधीन दिल्ली स्थित प्रतिष्ठान को बन्द करने का निर्णय किया है। यह भी पता चला है कि प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को अलग-अलग पत्र जारी कर दिए है जिनमें उनकी सेवायें 23 सितम्बर, 1977 से समाप्त कर दी गई हैं।

4. तत्पश्चात्, मद्रास, विजयवाड़ा, बंगलौर-कोचीन और मदुराई में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के समाचार-पत्रों के कर्मचारी दिल्ली एकक के हड़ताली कर्मचारियों की सहानुभूति में और

[श्री रविन्द्र वर्मा]

अधिसूचनाओं की पूर्ण क्रियान्विति की उनकी मांगों को स्वीकार करवाने के लिए 26 जून, 1977 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये । प्रबन्धकों और कर्मचारियों को स्वीकार होने योग्य शर्तों पर विचार-विमर्श जारी है । चूंकि विचार-विमर्श इस समय नाजुक स्थिति में है, अतएव उन फार्मूलों के व्यौरों की तह में जाना लाभप्रद तथा उचित नहीं होगा जिन पर गतिरोध को दूर करने के लिए विचार किया जा रहा है । मैं पक्षकारों के साथ सतत सम्पर्क बनाये हुये हूं और इन एककों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए समस्या का हल खोजने हेतु प्रयास करता रहूंगा ताकि इन समाचार-पत्रों का प्रकाशन पुनः शीघ्र ही प्रारम्भ हो सके । आगे की स्थिति के बारे में मैं सदन को अवगत करता रहूंगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह ज्ञात होता है कि सरकार ने इस मामले में समझौता कराने का प्रयास किया था परन्तु साथ-साथ यह भी आभास मिलता है कि सरकार इण्डियन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों के प्रति उदार है । 20 जून को प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की थी और 22 जून को घोषणा कर दी कि दिल्ली के पत्र को बन्द करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है । प्रबन्धकों को इस बात का पता है कि कानून के अनुसार किसी उपक्रम को बन्द करने के लिए तीन महीने के नोटिस की जरूरत होती है, परन्तु इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इसका क्या औचित्य है ?

इण्डियन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों ने कहा है कि वह भुगतान इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि भुगतान करने की स्थिति में नहीं है । जब ऐसी बात है कि चण्डीगढ़ से नया संस्करण निकालने की कैसे सोच रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने चण्डीगढ से एक नया संस्करण निकालने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कार्यवाही करेगी कि जब तक यह विवाद हल नहीं हो जाता, नये संस्करण की अनुमति न दी जाये ? इण्डियन एक्सप्रेस के प्रबन्धकों की इस तर्क में क्या दम है, कि वह भुगतान नहीं कर सकते, जब कि यह निर्णय ऐसे बोर्ड द्वारा दिया गया है जिसमें कर्मचारियों नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे । न्यायाधीश ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद निर्णय दिया था । प्रबन्धक यह भी कह सकते है कि उन्हें घाटा होता रहा है । हो सकता है कि घाटा आपात के दौरान हुआ हो, परन्तु यह भुगतान तो 1 अप्रैल, 1977 के बाद करना है, इसलिए लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं । सर्व प्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार किसी के प्रति उदार नहीं है । हम न किसी के प्रति उदार हैं और न ही किसी के प्रति हमारी दुर्भावना है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मैं कहना चाहता हूं कि जब से कर्मचारियों ने हड़ताल आरम्भ की थी तभी से सरकार समझौते का प्रयास करती रही है । समस्या का मूल कारण अन्तरिम मजदूरी के भुगतान के बारे में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना है । इस प्रश्न पर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला है । मैं सभा में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधिसूचना के प्रति सरकार का दृष्टिकोण ज्यों का त्यों है और हम आशा करते हैं कि सभी समाचार पत्र अधिसूचना को क्रियान्वित करेंगे ।

इण्डियन एक्सप्रेस के मामले में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, प्रबन्धकों ने यह तर्क पेश की है कि मजदूरी बोर्ड ने उन के भुगतान के सामर्थ्य पर पूरी तरह से जांच नहीं

की । मैं केवल सरकार के रवैये के बारे में उत्तर दे सकता हूं तथा इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं कि इण्डियन एक्सप्रैस भुगतान करने की स्थिति में है अथवा नहीं । सरकार का रवैया पहले जैसा है और वह आशा करती है कि अधिसूचना को क्रियान्वित किया जाएगा।

माननीय सदस्य ने पंचाट के बारे में कहा है । निर्णय मजदूरी बोर्ड द्वारा किया गया है तथा किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, हालांकि यह दूसरी बात है कि बोर्ड के अध्यक्ष एक न्यायाधीश थे ।

माननीय सदस्य ने इण्डियन एक्सप्रैस के बन्द किये जाने के बारे में पूछा है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों की जानकारी अवश्य होगी । इस अधिनियम की धारा 25(ण) के अन्तर्गत किसी ऐसे उपक्रम को बन्द करने जिसमें 300 अथवा इससे अधिक कर्मचारी हों की इच्छा के बारे में कम से कम 90 दिन पहले नियोजकों को सम्बन्धित सरकार को प्रार्थनापत्र देना होता है और उस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट करना होता है कि उपक्रम को बन्द क्यों किया जा रहा है । इस मामले में इण्डियन एक्सप्रैस ने दिल्ली प्रशासन को प्रार्थनापत्र भेजा है । दिल्ली प्रशासन इस मामले को निपटाने वाला उचित प्राधिकरण है । वह मामले पर विचार कर रहा है और जहा तक हमें जानकारी है उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : जब अन्य दैनिक समाचार पत्र जैसा कि स्टेट्समैन, हिन्दुस्तान टाइम्स, पेट्रियाट और नवभारत टाइम्स आदि भुगतान कर सकते हैं, तो गोयंका अर्थात् इण्डियन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकता ?

वस्तुत: गोयंका इस समाचार पत्र को अन्यत्र ले जाना चाहता है, जैसा कि मद्रास से चितौड़ और वहां से बंगलौर लाने के मामले में पहले भी किया गया है । मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य कुछ जानकारी दे रहे हैं जो इस सभा के माननीय सदस्यों के लिए नई नहीं है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मामला दिल्ली प्रशासन के समक्ष है तथा दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं लिया है । जहां तक संघ सरकार का सम्बन्ध है, हमारा यह प्रयास जारी है कि हड़ताल बन्द हो जाये, इस समस्या का कोई हल निकल आये तथा सामान्य स्थिति कायम हो जाये और पत्र का प्रकाशन आरम्भ हो जाये । मैं अपना यह प्रयास जारी रखूंगा ।

श्री पी० राजगोपाल रेड्डी : मान लो वार्ता विफल हो जाती है, तो क्या सरकार अनुमति देने से इन्कार कर देगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस प्रश्न के साथ शर्त लगी है, तो इस का स्पष्ट उत्तर क्या हो सकता है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यह कहा गया है कि आपात काल के दौरान हानि होती रही । फिर भी आपात काल के दौरान हैदराबाद से एक नया संस्करण आरम्भ किया गया और मुझे बताया गया है कि कोचीन से भी एक नया संस्करण आरम्भ किया गया है । 1971–74 के आधार पर अन्तरिम सहायता के आंकड़े निकाले गये हैं तथा इण्डियन एक्सप्रैस इस स्थिति में है कि देय राशि का भुगतान कर सके । जब पैट्रियट जैसे समाचार पत्र जिन्हें आपात के दौरान भारी संकट का सामना करना पड़ा

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

है भुगतान कर सकते हैं, तो इण्डियन एक्सप्रैस भुगतान न कर पाये, यह बात समझ में नहीं ग्राती। इस समाचार पत्र के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये। जब ग्रन्य समाचार पत्रों ने ग्रपने कर्म चारियों को ग्रन्तरिम सहायता का भुगतान कर दिया है, तो यह समझ में नहीं ग्राता कि इण्डियन एक्सप्रैस ने क्यों नहीं किया हालांकि यह 2 जुलाई से चण्डीगढ़ से एक नया संस्करण निकालने की स्थिति में है। इस के लिए ग्रनुमति मांगी गई है। मैं माननीय मन्त्री से ग्रनुरोध करूंगा कि इस पत्र के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ग्रौर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए।

दूसरे इस समाचार पत्र के बन्द होने के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, इसे ग्रपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिस से लाभ हो रहा है, ग्रन्यथा ग्रन्य स्थानों से नये संस्करण ग्रारम्भ नहीं किये जा सकते। क्या सरकार इण्डियन एसक्प्रैस ग्रुप के समाचार पत्रों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एक ग्रायोग नियुक्त करेगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्या ने इण्डियन एक्सप्रैस की भुगतान करने की सक्षमता को सिद्ध करने के लिए कई बातें कही हैं। यह उन की ग्रपनी राय है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यह मेरी राय नहीं है। यह मजदूरी बोर्ड की राय है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्या का यह कहना सही नहीं है कि मजदूरी बोर्ड ने विशेष रूप से इण्डियन एक्सप्रैस के भुगतान करने की सक्षमता की जांच की है। उन्होंने सब समाचारपत्रों की क्षमता पर गौर किया था ग्रौर कुछ निष्कर्ष निकाले थे। यह बात नहीं है कि इस मामले में कोई विशेष जांच हुई थी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार मजदूरी बोर्ड के निणय को मानती है ग्रौर इसी लिए ग्रधिसूचना जारी की गई थी। हम चाहते हैं कि सब समाचारपत्रों द्वारा चाहे वह इण्डियन एक्सप्रैस हो ग्रथवा पेट्रियट ग्रथवा नेशनल हैरल्ड ग्रधिसूचना को क्रियान्वित किया जाये। इसीलिये मैंने समाचार पत्रों के प्रबन्धकों ग्रौर समाचार पत्रों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। मुझे बड़ी खुशी है कि 22 तारीख को बड़े सौहार्द पूर्ण ढंग से बातचीत हुई है। कल 26 तारीख को भी बड़े सौहार्द पूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है ग्रौर हमें ग्राशा है कि कोई ऐसा फार्मूला निकल ग्रायेगा, जो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों दोनों को मान्य होगा।

माननीय सदस्या ने पूछा था कि क्या सरकार समाचारपत्रों का ग्रधिग्रहण कर रही है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह प्रश्न किस कारण पूछा है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है देश में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है जिस में सरकार समाचारपत्रों के ग्रधिग्रहण के बारे में सोचे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: मैं जानना चाहती हूं कि क्या इण्डियन एक्सप्रैस ग्रुप के पत्रों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की जायेगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस में सरकार यह समझती है कि ऐसा करना जरूरी है तो ग्रवश्य समिति गठित की जायेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय मैं कई वर्षों से सेठ गोमल रामनाथ गोयंका के कुकृत्यों, कर्मचारियों के साथ उस के दुर्व्यवहार तथा ग्रन्य ग्रनेक ग्रापराधिक कार्यों की ग्रोर सभा का ध्यान दिलाता रहा हूं। मैं ने एक विशेषाधिकार का मामला भी इस सन्दर्भ में उठाना चाहा था। ग्रब सेठ गोयंका जनता के साथ मिल गया है ग्रौर यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस की ग्रोर सरकार की

मिली भगत है। अब सभा में उसे इस प्रकार संरक्षण दिया जा रहा है, जैसा कि वह समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का एकमात्र ठेकेदार हो। सेठ गोयंका ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भुगतान न करके कानून का उल्लंघन किया है। तालाबन्दी गैर-कानूनी है और नोटिस जारी करना भी गैर कानूनी है। महोदय, एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है, जो आदतन कानून का उल्लंघन करने का आदी है। ऐसा शायद इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वह प्रधान मन्त्री की मेजबानी करता है तथा जनता के साथ मिला हुआ है।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इण्डियन एक्सप्रेस ग्रूप के पत्रों की वित्तीय क्षमता का पता नहीं है। यह मामला अनेक बार उठाया जा चुका है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वे मेरे कथन को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब मजूरी बोर्ड औद्योगिक सम्बन्धों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और यदि सरकार ने मजूरी बोर्ड के निर्णय को एक बार स्वीकार कर लिया है तो उसे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिये। चाहे वह रामनाथ गोयंका हो अथवा कोई अन्य।

यदि विवरण को पढ़ा जाये तो उस से ऐसा लगता है कि इस हड़ताल के लिए मजदूर, कर्मचारी तथा पत्रकाल ही जिम्मेदार है।

प्रसिद्ध सर्वोदय नेता रविशंकर महाराज तथा अहमदाबाद के कृष्णवदन जोशी को एक पत्र में श्री गोयंका ने लिखा कि वह वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करेंगे।

जहां तक दिल्ली से निकलने वाले इण्डियन एक्सप्रेस का सम्बन्ध है, उन्होंने मजूरी बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित करने से पूरी तरह मनाही कर दी है। यहां गैर-कानूनी ढंग से प्रेस को बन्द किया गया है।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न पर बोलिए।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको एक्सप्रेस की आर्थिक स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या मन्त्री महोदय भारत सरकार के मुख्य लागत लेखा अधिकारी को एक्सप्रैस ग्रुप की भुगतान करने की क्षमता का पता लगाने के लिए कहेंगे?

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का अर्थ श्रीगोयंका के जीवन तथा उनके कार्यों से लगा रहे हैं ताकि हड़ताल तथा कर्मचारियों की दशा से। दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति के बारे में लम्बा भाषण दिया है जो कि यह सभा में नहीं है। उनके बारे में यह कहना कि उन्होंने प्रत्येक कानून का उल्लंघन किया है तथा हर प्रकार का अपराध किया है। यदि उन्होंने ये आरोप सभा से बाहर लगाए होते तो..... (**व्यवधान**) मैंने तो यह कहा है कि यदि उन्होंने ये आरोप सभा से बाहर लगाये होते तो उसका निर्णय कानूनी ढंग से होता......... (**व्यवधान**) उन्होंने कहा है कि सरकार की इण्डियन एक्सप्रैस से सांठ गांठ है क्योंकि श्री गोयंका जनता पार्टी के विचारों का समर्थक है। कहा गया है कि माननीय सदस्य तर्क संगत बात कर रहे हैं जब कि मैं संगत बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकते..... (**व्यवधान**) चूंकि मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी है, अतः उन्हें भी मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। यदि वह सचाई का सामना नहीं कर सकते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ..... (**व्यवधान**)।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

इण्डियन एक्सप्रैस में किसको निकाला गया है और किसे रखा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने गैर कानूनी तालाबन्दी तथा गैर कानूनी ढंग से प्रैस को बन्द करने की बात की है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि तालाबन्दी अथवा हड़ताल की घोषणा की सूचना 14 दिन पहले दी जानी चाहिए यह तालाबन्दी कानूनी है अथवा गैर कानूनी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा कि इण्डियन एक्सप्रैस की भुगतान करने की क्षमता नहीं है । मैने सभा में बार-बार यह बात दोहराई है कि हमारा किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है ।

Shri Ugrasen (Deoria): The wage Board Award has been accepted by all the news papers except Mr. Goinka Group. They say that they have not paying capacity. But I have got the monthly statement of their income and expenditure. According to the statement their monthly income is rupees 23 lakhs and fifty thousand and their monthly expenditure is rupees 22 lakhs 50 thousand. In this way their monthly saving is of rupees one lakh. We cannot forget their sacrifices. I want to know why the person, who acted against the law, has been called on negotiation table. Income and expenditure statement for the year 1975 is before us. His monthly income is rupees one lakh. Out of this an amount of Rs. 23,000 may be given to the employees.

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने कहा है कि इण्डियन एक्सप्रैस को छोड़कर लगभग सभी समाचारपत्रों ने इसका भुगतान कर दिया है । इण्डियन एक्सप्रैस ने कहा है कि उसके पास यह राशि देने की क्षमता नहीं है । परन्तु सदस्य को मालूम होना चाहिये कि बहुत से समाचारपत्रों ने अधिसूचना का पालन नहीं किया है । कुछ ने इसे लागू किया है और कुछ न्यायालय में गये हैं । अतः यह कहना ठीक नहीं कि केवल इण्डियन एक्सप्रैस ने अधिसूचना का पालन नहीं किया है । हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी पत्र इस अधिसूचना का पालन करें ।

समितियों में निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

MOTIONS FOR ELECTIONS TO COMMITTEES

निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण, परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की कालावधि के लिऐ कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण, परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों

के रूप में चार वर्ष की कालावधि के लिये कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16–10 44–ई III के पैराग्राफ 3 के खण्ड झ (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में 31 जुलाई, 1979 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16–10, 44ई III के पैराग्राफ 3 के खण्ड झ (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में 31 जुलाई, 1979 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी स्कीम के खण्ड 9(1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी स्कीम के खण्ड 9(1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में 15 अगस्त, 1979 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में 15 अगस्त, 1979 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगे, 1977–78—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—contd.

वाणिज्य मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम वाणिज्य मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं। श्रीमती पार्वती कृष्णन अपना भाषण जारी रखेंगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयमम्बटूर) : मैं शनिवार को व्यापार में विश्वास की जनता सरकार की आयात नीति का उल्लेख कर रही थी, जो पहले से समाप्त हो चुका है क्योंकि 500 करोड़ रुपये से अधिक के आयात लाइसेंसों से खाद्य तेलों के आयात कांड से इसका पर्दाफाश हो चुका है। वास्तव में केवल 40 करोड़ रुपये का आयात किया गया क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गत तीन महीनों में प्रति टन 120–150 डालर के हिसाब से मूल्य बढ़ रहे थे। अतः इन लाइसेंसों को देश के भीतर इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे देशों में इस्तेमाल करना अधिक लाभदायक था।

खाद्य तेल वनस्पति यूनिटों को सप्लाई किया जा रहा है ताकि वे कम लाभ कमा सकें। अतः समझ में नहीं आता कि उपभोक्ताओं को आयात, सप्लाई और वितरण के प्रश्न पर सरकार की क्या नीति है। मार्च, 1977 तक के तीन महीनों में नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन 100–130 मिलियन मीटर का कम हुआ जब कि कोटा 230 मिलियन मीटर का था। इसी प्रकार से 1 करोड़ रुपये के इण्डिगों निर्यात कांड भी है।

इसीलिये हम पूछते रहे हैं कि व्यापार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सरकार क्या ठोस नीति अपना रही है। एक ओर तो व्यापार संतुलन सुधर रहा है दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुस्थापित नहीं कर पा रहे हैं।

यह मंत्रालय अभी भी कांग्रेस की उसी नीति पर ही चल रहा है जिसकी हम आलोचना करते रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों अर्थात पटसन, कपड़ा तथा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत समय से की जा रही है। बड़े-बड़े व्यापारी और प्रबन्धक वर्ग इन उद्योगों में काफी समय से मनमानी कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय कपड़ा निगम आदि संस्थानों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। अतः इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। गैर-सरकारी क्षेत्र को आसान किस्तों पर ऋण देने के बदले राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को सहायता दी जानी चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी हथकरघा उद्योग की ओर विशेष ध्यान दें। इस उद्योग के लिये बहुत कम राशि रखी गई है। जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है मंत्री जी को भारतीय काजू निगम में हो रहे कदाचारों की जांच करनी चाहिये।

मेरे राज्य में एक विशेष प्रकार का पौधा पैदा होता है जिसे तमिल में 'नित्यकल्याणी' कहा जाता है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुतायत से पैदा किया जाता है। इसका निर्यात बड़े पैमाने पर होता है और अमरीका, इंगलैंड तथा अन्य देशों में दवाइयां बनाने के काम आता है। अधिकांश निर्यात बड़े जमींदारों और निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अतः हम चाहते हैं कि मंत्रालय इस ओर ध्यान दे। राज्य व्यापार निगम को निर्यात अपने हाथ में लेना चाहिये।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

जहां तक होजरी उद्योग का सम्बन्ध है छोटे पैमाने पर माल बनाने वालों को तो कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई पर जो लोग सिले सिलाये वस्त्र बनाते हैं उन्हें सरकार ने बहुत सुरक्षा प्रदान कर रखी है । इस भेद-भाव को समाप्त किया जाना चाहिये ।

उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये देश में एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना बहुत जरूरी है । जिससे सम्पन्न वर्ग और निर्धन वर्ग दोनों में आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण किया जा सके ।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता सरकार भी कांग्रेस की भांति सेमिनारों पर जोर देने पर लगी है । क्या सेमिनारों से लाखों लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे ? आज 60 करोड़ की आबादी में से केवल 4 करोड़ 50 लाख के लिए उचित दर की दुकानें काम कर रही हैं । इस गति से लोगों को विशेष लाभ नहीं होने वाला । सरकार को केवल नगरों में रहने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी प्रवृत्ति बदलनी चाहिये । उन्हें गांवों में रहने वाले लाखों लोगों की पुकार भी सुननी होगी । खाद्यान्नों के थोक व्यापार को सरकारी अधिकार में लिया जाना चाहिये । कम तोलने की शिकायतें आम हैं । इस कदाचार को भी समाप्त किया जाना चाहिये । देश को इस बुराई के कारण करोड़ों रुपये की हानि हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि वे कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हों तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें जिन पर क्रम संख्या लिखी हो ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : सरकार निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में भारी पैमाने पर निर्यात में सहायता दे रही है । इन प्रोत्साहनों में नकद सहायता, आपूरण लाइसेंसों के रूप में सहायता शामिल है । लेकिन अनेक वस्तुओं पर ये प्रोत्साहन वास्तविक आधार पर नहीं दिए जा रहे हैं । प्रत्येक वस्तु के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उनकी जांच की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि एक समान उद्योगों को तरजीह तथा अधिक प्रोत्साहन की सुविधाएं दी जायें ।

वाणिज्य मंत्रालय का निर्यात और आयात व्यापार से सम्बन्ध होने के कारण विदेशी मण्डियों की खोज करना और उन वस्तुओं का पता लगाना, जिनका आयात हमारे लिए लाभकर हो, इस मंत्रालय का दायित्व है । यदि कुछ वस्तुएं विदेशों में सस्ती मिलती हैं तो उनका आयात करना ही उचित है ।

विकसित देशों में श्रमिक समस्याओं के कारण तैयार माल का मूल्य इतना अधिक होता है कि उपभोक्ता सहन नहीं कर सकता । ऐसे विकसित देश अन्य देशों से तैयार माल के पुर्जों का आयात करते हैं । अतः वाणिज्य मंत्रालय को उद्योग मंत्रालय को यह सलाह देनी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का हमारे देश में ही उत्पादन किया जाये । अपेक्षाकृत लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन कर सकते हैं जैसे पुर्जे, मोटरगाड़ी के पुर्जे, लौह और अलौह कास्टिंग तथा फोर्जिंग का उत्पादन । इसके लिए हमारे व्यापार मिशनों और व्यापार प्रतिनिधियों से मण्डियां तलाश करने के लिए कहा जाये ताकि सस्ती लागत से तैयार सामान अच्छे मुनाफे पर आसानी से बिक सके ।

वाणिज्य मंत्रालय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है । इन पर प्रति वर्ष अत्यधिक धनराशि व्यय करता है । लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई लाभ नहीं होता । पार्टियों तथा

प्रदर्शित वस्तुओं का चयन करने में पक्षपात बरता जाता है। अतः ऐसी वस्तुओं के चयन के समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए।

अच्छी किस्म की वस्तुएं सामान्यतः दर्शाई नहीं जातीं क्योंकि भाई भतीजावाद और पक्षपात बरता जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं कि विदेशों में भेजी जाने वाली प्रदर्शित वस्तुएं बढ़िया किस्म की हों।

व्यापार मेला अधिकारियों और निर्यात परिषद्, उद्योग एवं वाणिज्य मण्डल के बीच पूर्ण तालमेल होना चाहिए। उक्त अधिकारियों की एक समन्वय समिति द्वारा इसका निर्णय किया जाना चाहिए। बढ़िया किस्म का माल तैयार करने वाले लघु उद्योगों तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अच्छे और बढ़िया किस्म का माल बनाने वाली छोटी फर्मों के पास ऐसे मेलों में भाग लेने के लिए साधन नहीं हैं। ऐसी फर्मों के लिए विदेशों में व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं।

खनिज और धातु व्यापार निगम निर्यात शुल्क वापस करने में बहुत समय लेता है। एक निर्यात कोटा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत मालिकों को निर्यात कोटे दिये जाते हैं। इससे खनिज और धातु व्यापार निगम को भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल जाता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

मैंगनीज, फैरो-मैंगनीज तथा सिलिसियस मैंगनीज पिण्ड के बारे में मेरी एक शिकायत है। देश में सिलिसियस की कोई मांग नहीं है फिर भी इसके निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसा क्यों? मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

खली का निर्यात पूर्णतः बन्द कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार झींगा मछली का निर्यात भी बन्द कर दिया जाना चाहिए।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	1	श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन)	काफी और इलायची पर लगाये गये अत्यधिक शुल्क।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	2	,,	नारियल के तेल और खोपरा को खाद्य तेलों और तिलहन की श्रेणी में रखना।	,,
,,	9	,,	रबड़ के लिए न्यूनतम उचित मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	10	श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन)	नारियल के तेल और खोपरा को खाद्य तेल की श्रेणी में रखने सम्बन्धी दिनांक 17-1-1977 को अधिसूचना रद्द करने में असफलता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	11	,,	नारियल के तेल और खोपरे पर आयात शुल्क की छूट के बारे में दिनांक 20-5-1977 की अधिसूचना रद्द करने में असफलता।	
,,	12	श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर)	छोटे किसानों के हितों को, जो भारत में नारियल की कुल पैदावार का 9 प्रतिशत भाग पैदा करते हैं, पूरी तरह नजर-अन्दाज करके खोपरा और नारियल के तेल पर आयात शुल्क घटाने का सरकारी निर्णय।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	13	,,	भारतीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू की गिरी को पर्याप्त मात्रा में आयात करने में असफलता जिसके परिणाम-स्वरूप काजू परिशोधन उद्योग में अभूतपूर्व संकट आ गया है।	,,
,,	14	,,	चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ा कर और आम आदमी के लिये अधिक चाय उपलब्ध करके चाय की मूल्य वृद्धि को रोकने में असफलता।	,,
,,	15	,,	काफी और इलायची पर अत्यधिक निर्यात शुल्क लगाना जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं के उत्पादकों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	16	श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर)	काजू उद्योग के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित काजू गिरी के वितरण में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	17	,,	हथकरघा उद्योग को शक्ति चालित करघा उद्योग की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचाने में असफलता।	,,
,,	18	,,	कपड़े की कतिपय किस्मों के उत्पादन को हथकरघा उद्योग के लिये आरक्षित रखने के निर्णय का कड़ाई से पालन करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप मिलों द्वारा इस प्रकार के कपड़े का बड़े पैमाने पर चोरी छिपे उत्पादन किया जाता है।	,,
,,	19	,,	हथकरघा उत्पाद तथा रबड़ उद्योगों में भारी संकट के समय राज्य व्यापार निगम द्वारा इन वस्तुओं को बड़े पैमाने पर खरीदने में असफलता।	,,
,,	20	,,	कच्चे पटसन की कमी के कारण पटसन उद्योग में आये संकट को रोकने में असफलता।	,,
,,	21	,,	पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने में असफलता।	,,
,,	22	,,	भारतीय पटसन मिल एसोसियेशन द्वारा पटसन मिलों के बन्द किये जाने को रोकने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	23	श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर)	पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
"	24	"	रबड़ निर्माण उद्योग के लिये ढाई महीने तक की आवश्यकता की प्राकृतिक रबड़ रखने को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
"	25	"	रबड़ बोर्ड द्वारा बनाई गई सुरक्षित भंडार योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता।	"
"	26	"	रबड़ उत्पाद और प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में उचित समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	"
"	27	"	कीटनाशी दवाई छिड़कने के लिये राजसहायता की व्यवस्था और इस राज-सहायता को जारी रखने की आवश्यकता।	"
"	28	"	उत्तरी विनाड में रोहीओता काफी बागानों में अंगूरी कीड़े से रोग की समस्या का प्रभावी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता।	"
"	29	"	मुख्य रूप से कन्नोनोर में उत्पादित 'क्रेप' को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता।	"
"	30	"	भारत में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों का तत्काल राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	"
"	31	"	योग्य चाय बागान मालिकों को पुराने चाय बागानों में पुन: बागान लगाने के लिये पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	32	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर ये वस्तुएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	33	,,	रबड़ के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था करने की आवह्येकता।	,,
,,	34	,,	रबड़ निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम की गतिविधियां तेज करने की आवश्यकता।	,,
,,	35	,,	रबड़ को निर्यात की पारम्परिक मदों में शामिल करने की आवश्यकता।	,,
,,	36	,,	हथकरघा कपड़े की एक किस्म क्रेप के लिये विदेशों में नई मंडियों का पता लगाने की आवश्यकता।	,,
,,	37	,,	नारियल जटा के लिये विदेशों में नई मंडियों का पता लगाने की आवश्यकता।	,,
15	41	श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयमबटूर)	तमिलनाडु में माचिस उद्योग में छोटे यूनिटों को नरम लकड़ी खरीदने के लिये रियायत देकर, जो इस समय बड़े यूनिटों को दी जाती है, संरक्षण प्रदान करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	42	,,	तमिलनाडु में हौजरी उद्योग पर भेदभावपूर्ण कर दूर करने में असफलता।	,,
,,	43	,,	हौजरी उद्योग को निर्यात उत्पादों का विकास करने के योग्य बनाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	44	श्रीमती पार्वती कृष्णन	विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये केरल राज्य विधान सभा की सर्वसम्मत सिफारिश को मानने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	45	,,	हौजरी के सामान पर उत्पाद शुल्क कम करने और देश में हौजरी निर्माताओं को संरक्षण देने में असफलता।	,,
,,	46	,,	देश में बन्द कपड़ा मिलों जैसे लोटस मिल, पोडानूर, को अपने हाथों में लेने और पुन: चालू करने में असफलता।	,,
,,	47	,,	राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार और कदाचार समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	48	,,	हथकरघा बुनकरों को बड़ी सोसायटियों द्वारा उनके षोशण से बचाने और उन्हें नियमित रोजगार और आय सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने की आवश्यकता।	,,
,,	49		हथकरघा बुनकरों को करघे खरीदने के लिये पर्याप्त और उचित ऋण दिलाने और निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने के लिये पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता।	,,
..	50	,,	हथकरघा कपड़े के जमा स्टाक की बिक्री के लिये कदम उठाने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	51	श्रीमती पार्वती कृष्णन	हथकरघा बुनकरों को नियंत्रित मूल्यों पर सूत उपलब्ध कराने और सूत के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	52	,,	हथकरघा क्षेत्र में सहकारी समितियों का जाल बिछाने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता।	,,
,,	53	,,	उन सहकारी समितियों पर जो 1 से 4 तक विद्युत् करघों के छोटे यूनिटों में अपने सदस्यों द्वारा अपने विद्युत करघों पर सूती कपड़ा बनवाती हैं, शुल्क कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	54	,,	कृत्रिम जवाहरात निर्माण उद्योग में कदाचार समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	55	,,	कृत्रिम जवाहरात निर्माण उद्योग में निर्यात को विनियमित करने और उसे बढ़ाने में असफलता।	,,
,,	56	,,	छोटे विद्युत् करघा निर्माताओं की कठिनाइयां।	,,
,,	57	,,	विद्युत् करघों के लाइसेंस दिये जाने के मामले को विनियमित करने, छोटे विद्युत करघा निर्माताओं को पर्याप्त संरक्षण देने और कपड़ा उद्योगपतियों द्वारा कदाचारों को रोकने की आवश्यकता।	,,
16	58	,,	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	59	श्रीमती पार्वती कृष्णन:	हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने और इस संबंध में सहकारी क्षेत्र को सहायता देने के लिये उपाय करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
13	10	श्री सी० के० चन्द्रप्पन :	मूल्य वृद्धि का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राष्ट्रव्यापी रूप में लागू करने में असफलता।	,,
,,	11	,,	बाजार में बेची जाने वाली सभी वस्तुओं के निर्धारित मूल्य कड़ाई से लाग करने और उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने में असफलता।	,,
,,	12	श्रीमती पार्वती कृष्णन	सहकारी चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
,,	13	,,	राशन वाले सभी क्षेत्रों और उचित दर की दुकानों में चीनी के राशन में वृद्धि करने में असफलता।	,,
,,	14	,,	लोगों को उचित और नियंत्रित मूल्यों पर अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने में असफलता।	,,
,,	15	,,	तोलने के बाटों की जांच करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये की हानि होती है।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	16	श्रीमती पार्वती कृष्णन	अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये उपाय करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	17	,,	खाने के तेलों को कम मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में असफलता।	,,
,,	18	,,	खाने के तेलों की जमाखोरी और काले बाजार को रोकने में असफलता।	,,

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : कॉफी और इलायची पर लगाये गए शुल्क में कुछ कटौती की गई है। यह उचित कदम है। लेकिन रबड़ के मामले में हमने मांग की है कि इसका उचित मूल्य निर्धारित किया जाये। किन्य कई वर्षों में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

भूमि सुधार के फलस्वरूप लाखों छोटे खेतीहर लोगों को ऐसी भूमि मिली है जहां रबड़ के पेड़ लगाये जा सकते हैं। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रबड़ के लिए उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये।

समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण ने गरीब मछेरों की सहायता के लिए कुछ भी नहीं किया है। विशाल मशीन की किश्तियों से मछलियां पकड़ी जाती हैं जिससे गरीब मछेरे निसहाय हो गये हैं। तेज रफ्तार वाली किश्तियों से समुद्र तट का पहरा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे मशीन-चालित किश्तियां समुद्र के किनारे से पांच मील की दूरी तक मछलियां न पकड़ सकें। तेज रफ्तार से चलाने वाली उन किश्तियों से गरीब मछेरों की उस समय रक्षा की जानी चाहिए जब उनकी किश्तियां समुद्र में उलटने लगें। गरीब मछेरों को मछलियों के विपणन में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

यह बात तो स्वीकार कर ली गई है कि हथकरघा को उचित राहत नहीं दी गई है। ऋण देने के लिए निर्धारित 21 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 5 करोड़ रुपये शीर्षस्थ सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए हैं। यह राशि बहुत कम है। हथकरघे के जमा भण्डारों की समस्या को हल करने के लिए 10 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी जिसकी आधी राशि हथकरघा कपड़े के विक्रय पर विशेष छूट देने के लिए उपयोग में लाई जायेगी।

नारियल उत्पादकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। सरकार ने गोले के तेल और खोपरे को खाद्य तेलों और तिलहनों की सूची में सम्मिलित किया है।

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

किन्तु गोले का तेल केवल केरल में ही खाद्य तेल है अन्य किसी राज्य में नहीं। देश में उत्पादन होने वाले गोले के तेल का 80 प्रतिशत भाग औद्योगिक प्रयोग में आता है। यदि गोले के तेल का आयात कर नारियल का मूल्य कम किया जायेगा तो इससे बम्बई और गुजरात के बड़े उद्योगपतियों को ही सहायता मिलेगी। गोले के तेल और खोपड़े के आयात की अनुमति देकर वित्त मंत्रालय ने 1952 के सीमा-शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गोले के तेल पर छूट दी है। इन रियायतों से गोले के तेल और खोपरे के मूल्य पर और अधिक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे नारियल उत्पादकों को बहुत हानि होगी।

देश में नारियल की पूर्ण खपत का 70 प्रतिशत से भी अधिक नारियल का उत्पादन करने वाले केरल राज्य के लिए तो यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अतः गोले के तेल के मूल्य किसी प्रकार कम नहीं होने चाहिएं और आयात शुल्क की रियायत समाप्त की जानी चाहिए। भारत सरकार को रबड़ बोर्ड की तरह नारियल बोर्ड का गठन करना चाहिए।

जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है, सरकार अभी तक अफ्रीकी देशों से काजू प्राप्त नहीं कर पाई है। उच्च स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने होंगे कि हमें विदेशों से पर्याप्त मात्रा में काजू मिले अन्यथा इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी भूखे मरने लगेंगे। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि इन लोगों के कल्याण का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो देश की एकता भी खतरे में पड़ सकती है।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : मैं वाणिज्य मंत्री और उनके मंत्रालय को वर्ष 1976-77 के दौरान श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए बधाई देता हूं। 1976-77 में इतना अधिक निर्यात हुआ कि 1972-73 के पश्चात हमें अब लाभ हुआ है। 1975-76 में 1243 करोड़ रुपये का घाटा था और एक वर्ष के भीतर यह भारी घाटा लाभ में परिवर्तित हो गया है। निर्यात का भुगतान शेष 23.8 प्रतिशत से बढ़कर 4981 करोड़ रुपये हो गया है। हमने 8.6 प्रतिशत आयात कम किया है और अब हमारे पास कम से कम 72 करोड़ रुपये का लाभ है। यह ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए हमें गर्व करना चाहिए और अब हम इस अवधि में भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो देश के बाहरी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों का नियंत्रण करता है। अतः इसका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रुपये की देश के भीतर क्या क्रय क्षमता होगी इसका निर्णय भी इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय का कार्यभार श्री मोहन धारिया को सौंपा गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में छोड़ा गया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। है हमारा देश एक विकासशील देश है। 1972-73 से लेकर 1976-77 तक निर्यात में तिगुनी वृद्धि हुई है अर्थात् निर्यात 1608 करोड़ रुपये से बढ़कर 4980 करोड़ रुपये हो गया है। क्या यह उपलब्धि नहीं है। विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में हमारे निर्यात प्रयासों की सराहना की है। यह निर्यात सम्पादन अनेक वर्षों के सघन प्रयासों से हुआ है। 4980 करोड़ रुपये की उपलब्धि एक दिन का परिणाम नहीं है। विदेशी मुद्रा अमूल्य होती है यह देश के बच्चे

भी जानते हैं । लेकिन सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस विदेशी मुद्रा को बेकार की मुद्रा कहा है। जब मैं ऐसे सदस्यों के निर्मम और उपेक्षापूर्ण रवैये को देखता हूं तो लगता है अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के जो भी प्रयास हमने इन वर्षों के दौरान किये वह सब बेकार गये।

इंजीनियरी सामानों का निर्यात 1971–72 में 126 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 550 करोड़ रुपए का हो गया है। आशा है दशक के अन्त तक 1000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। जब तक विदेशी हमारा विश्वास नहीं करेंगे वे सामान नहीं खरीदेंगे। अतः हमारे विशेषज्ञों ने उनमें विश्वास पैदा किया है। अतः हमें इंजीनियरी सामान का निर्यात करते रहना चाहिए और इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अंतराष्ट्रीय विश्वास पैदा करना चाहिए। उदाहरण के लिए लिबिया हमसे टरबाइन और जनरेटर खरीद रहा है। कुवेत से हमें 220 करोड़ रुपए की लागत पर 3380 मकान बनाने के लिए कहा है। हमारे विशेषज्ञों ने अन्य देशों में विश्वास पैदा किया है इसीलिए अन्य देशों की प्रतियोगिता होते हुए भी हमारे देश को माल सप्लाई करने के आर्डर प्राप्त होते है।

आजकल 'गांधीवाद' शब्द का प्रयोग बात-बात में किया जा रहा है। गांधीजी भारत को वापिस 17वीं शताब्दी में नहीं ले जाना चाहते थे। निःसंदेह गांधीजी ग्रामों और किसानों को बहुत महत्व देते थे लेकिन आधुनिक खेती में उत्पादन में सुधार करना होगा और इसके लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा।

आप भूतपूर्व सरकार की चाहे जितनी आलोचना कर लें लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि आपातस्थिति के दौरान अनुशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंडी में विश्वास पैदा हो गया था। वाणिज्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ लोगों के उदासीन व्यवहार से विश्वास समाप्त न होने पाए।

मैं नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय का प्रभारी रहा हूं और मैं आवश्यक पदार्थों की समस्याओं से भली भांति अवगत हूं। जहां तक निर्यात संबंधी नीति का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कार्य संचालन और स्वदेशी कार्य संचालन के बारे में समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। इस प्रयास में विनियमन और अनुशासन से काम लेना चाहिए।

नकद सहायता और नकद ऋण का उल्लेख किया गया है। यदि 4980 करोड़ रुपए के कार्य निष्पादन में 240 करोड़ रुपए की राशि नकद सहायता के रूप में दी जाए तो यह केवल 5 प्रतिशत ही होती है। अतः हमें नकद सहायता के औचित्य की पुनरीक्षा करनी चाहिए। हमें दीर्घकालिक निर्यात नीति अपनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा मुख्य निर्यात हमारी निपुणता, हमारी विचारधारा, हमारी जानकारी और हमारी निर्माण क्षमता होनी चाहिए।

जहां तक काफी का संबंध है देश में इसका औसत उत्पादन 100,000 टन है और हमारी आंतरिक खपत 45000 टन अथवा 50,000 है इस प्रकार 50,000 टन हमारे पास फालतू बचता है जिसका हम निर्यात कर सकते है। काफी के निर्यात से पिछले वर्ष हमको 100 करोड़ रुपए की आय हुई लेकिन निर्यात शुल्क को बार-बार लगाने अथवा

[श्री ए० सी० जार्ज]

हटाने से कुछ फायदा नहीं होगा अतः हमें यह बात ध्यान में रखकर कि अन्ततः हमें निर्यात करना ही है अपनी नीतियां बनानी चाहिए तथा निर्यात शुल्क और अन्य बातों का निर्धारण करना चाहिए।

जहां तक चाय के निर्यात का संबंध है हमें अंतर्राष्ट्रीय मंडी के लिए समूचित योजना बनानी चाहिए। दीर्घकालिक संबर्द्धन निर्यात नीति नहीं त्यागनी चाहिए।

जहां तक समुद्री उत्पादों का सम्बंध है इससे हमें इस वर्ष 190 करोड़ रुपए की आय हुई है। 10 वर्ष पूर्व इस से केवल 11 करोड़ रुपए की आय होती थी। इस क्षेत्र में 10 वर्षों के भीतर काफी प्रगति की है। कल मैंने 'इक्नामिक टाइम्ज' में पढ़ा कि सरकार ने गहरे समुद्र में 'मछली पकड़ने के लिए सहयोग के लिए नए प्रस्ताव मंगाए हैं। 1971 में मैंने भी इसी तरह की पेशकश की थी लेकिन यह प्रस्ताव पार नहीं उतरे और अब श्री मोहनधारिया ने नए प्रस्तावों की पेशकश की है। कृषि मंत्रालय इसे कभी सफल नहीं होने देगा। मेरा अनुरोध है कि इन प्रस्तावों को कृषि मंत्रालय को न भेजा जाए वरना खनन मंत्रालय की सहायता से इनकी तलाश करनी चाहिए।

हमारे देश में 8 समुद्री सीमा वाले राज्य हैं—गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल इनके अतिरिक्त अण्डमान और निकोबार लक्षदीप और गोआ संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। इतना लम्बा तटवर्ती क्षेत्र और यह बड़ी सम्पदा आपकी नीति के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है।

8 वर्ष पूर्व हमारा देश रबड़ का आयात करता था लेकिन आज हम रबड़ के मामले में आत्म-निर्भर हो गए हैं और हमारे पास 55,000 टन अतिरिक्त रबड़ है। आटोमोबाइल टायर बनाने वाली कम्पनियों ने टायरों की लागत 10,000 रुपए प्रति टन रखी है और हाल ही में उन्होंने मूल्य बढ़ाने की धमकी दी है। लेकिन आपने वक्तव्य दिया है कि सांविधिक मूल्यों में वृद्धि के लिए हम सहमत नहीं होंगे मूल्यों में वृद्धि काफी अरसा पहले की जानी चाहिए थी। यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आठ अथवा 9 वर्ष पहले हम इसका आयात कर रहे थे और अब हमारे पास अतिरिक्त रबड़ है इसलिए वर्तमान स्थिति को न छेड़ा जाए। मेरा सुझाव है आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

जहां तक नारियल के तेल का संबंध है केरल सरकार ने एक अभ्यावेदन भेजा था कि 20 मई, 1977 को आयात शुल्क समाप्त करने के बारे में मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना राज्य के तथा नारियल उत्पादकों के हितों के विपरीत जाती है। केरल में 27 लाख परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। नारियल के तेल के मूल्य में वृद्धि होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो अपनी फसल के लिए अच्छे दाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि आयात शुल्क को पुनः लगा दिया जाए।

Shri Mahi Lal (Bijnore) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demand of grants of the Ministry of Commerce, Civil Supply and Cooperation. It is gratifying that this department has been entrusted to a competent man Shri Mohan Dharia is an ideal fearless and matured person.

Prices of cement and other essential commodities are rising. Businessmen have no scruples and adopted all nafarious practices to become rich quickly. The Minister should deal the business community with a heavy hand if he wants to control prices leniency with them will not pay.

In rural area people do not get sugar at controlled price. The sugar meant for them is sold in black market. The Minister should take immediate steps to check this black market. Dual pricing policy of sugar should also be changed. There should be only one price of sugar.

In cities ration shop keepers have a profit margin of Rs. 1 per bag of sugar. This profit is meagre and shopkeepers are compelled to resort to corrupt pratices. This matter should be looked into.

Farmers, who produced sugarcane, have to purchase sugar in black market. The Government should take steps to see that a farmer get sugar direct from the mill at controlled price to meet his requirement for a year against a part of the price he has to receive for his sugarcane.

The Government should encourage Khandsari Industry. Khandsari should be used for indigenous consumption and sugar should be exported to earn valuable foreign exchange, if Khandsari industry is given protection canegrowers will get proper price for their produce because of competition between Khandsari and sugar industries.

Cooperative movement has to play an important role in national reconstruction. But certain clever people are taking advantage of the movement and exploiting people through cooperatives. These should be a law enacted so that cooperative movement progresses on uniform lines throughout the country. The Minister should take stern steps to root out corrupt practices prevalent in the Co-operative movement. The Government should have control over this movement.

Our cattle do not get proper fodder. There is shortage of oilcake in the country and it is being exported. Export of oil cake should be stopped. If you want to make Gobar Gas plant popular in the country, you will have to make our cattle-strong. We should not export fodder because it is already in short supply in the country. In order to make our cattle more strong, we should make fodder available at cheap rates.

In Moradabad Small Scale Industry earns valuable foreign exchange, but artisans do not get raw material. There is shortage of raw material in our country Moradabad City earns 12 crores rupees of foreign exchange every year. The Government should import those raw materials which are in short supply and export finished products.

The farmers do not get reasonable prices for their products. In order to protect farmers from being exploited, the middle men should be eliminated. You have fixed the procurement price of wheat, but due to lack of transport facilities, the farmers can not sell their wheat at purchasing centres, because these purchasing centres are quite far from the villages.

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : हैदराबाद में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान करने के लिए एक संस्थान है। सहकारिता मंत्रालय को इसमें रुचि लेनी चाहिए ताकि खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला यह संस्थान उन्हें सहकारी समितियों को चलाने का कार्य भी सिखा सके।

वस्त्र उद्योग रुग्ण हो गया है तथा इसकी भारतीय रूई निगम तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा सहायता किये जाने की आवश्यकता है। ये उद्योग लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन उद्योग को सुव्यवस्थित तथा वाणिज्यिक ढंग से नहीं चला पाते और फिर इस उद्योग को रुग्ण करके राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप देना चाहते हैं। सरकार को वस्त्र उद्योग के मामले में उचित देखभाल करनी चाहिये और एक राष्ट्रीय वस्त्र नीति तैयार करनी चाहिए।

विद्युत करघा तथा हथकरघा उद्योग के भाग्य को सूती धागे बनाने वालों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जनता के लिए आवश्यक कपड़ा तैयार करने हेतु प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशे की प्रतिशतता के बीच कुछ समन्वय होना चाहिए।

[श्री पूर्ण सिन्हा]

विदेशी मुद्रा कमाने के लिए चाय का निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक भी है, किन्तु साथ ही आन्तरिक खपत की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि चाय के निर्यात करने से देश में इसका मूल्य बढ़ जाता है।

चाय उच्छिष्ट को कैफीन बनाने के काम में लाया जाता है जो कि सिरदर्द बुखार तथा दर्द के लिए अच्छी होती है। चाय उच्छिष्ट से कैफीन तैयार करने का एक काफी लम्बा तरीका है। चाय उच्छिष्ट नियंत्रण आदेश 1959 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि चाय बागानों के मालिक उच्छिष्ट पदार्थ को कैफीन तथा अन्य दवाइयां बनाने के लिए बचा सकें।

निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सरकार के पास मदों की काफी लम्बी सूची है। निर्बाध सामान्य लाइसेंस 4 के अन्तर्गत जो मदें दिखाई गई हैं, वे भारत में उपलब्ध हैं और व्यापार एजेंसियां अधिकांशतः सरकारी निगम हैं। जो चीजें, जैसे चीनी, नमक, सीमेंट आदि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका निर्यात पड़ौसी देशों को किया जा सकता है। वे वस्तुएं निर्बाध सामान्य लाइसेंस 4 अथवा निर्बाध सामान्य लाइसेंस 3 की सूची से हटाई जानी चाहिए और इन वस्तुओं के व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।

राज्य व्यापार निगम एक बहुत बड़ा संगठन है। यह छोटे उपभोक्ताओं की बजाय बड़े उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य निगम होने के नाते इसकी नीति छोटे उपभोक्ताओं की उपेक्षा करने की नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नही करना चाहिए जिससे उपभोक्ता यह शिकायत कर सके कि राज्य व्यापार निगम ने मेरी उपेक्षा की है।

Shri Padamacharan Samantsinhar (Puri): There is need to run Cooperatives in a democratic manner. A particular individual should not be allowed to hold office in a Cooperative Institution for more than two terms. A suitable legislation should be enacted to make this provision.

Civil Supplies Departments and Revenue Departments do not give liences to Cooperatives for distribution of commodities needed by Common people. Cooperatives can distribute these things in a better way. So Cooperatives should be given all facilities in this regard.

Cooperative Marketing Societies, Consumer Cooperative Societies and Industrial Cooperative Societies etc. take loans from Cooperative Banks. Banking Department should therefore be under the Control of the Minister of Cooperation.

There are certain short comings in this Cooperative Movement. It does not mean that Cooperative Movement is bad and has to be discarded. These shortcomings have to be removed. Cooperatives have to play an effective role in economic transformation of our society.

Reserve Bank do not give adequate loan to Cooperative Societies in Eastern region. More attention has to be paid towards the development of backward areas. Therefore sufficient loans should be given to Cooperatives in Eastern region.

Reference is made to vested interests in the Cooperative Movement and nepotism in making certain appointments. Persons who occupy high positions in Cooperatives should not be allowed to appoint their own kith and kin on jobs in Cooperatives. There should be a uniform law for Cooperatives throughout the country.

There is no arrangement for giving proper training to those who work in the Cooperative Movement. National Cooperative Union and State Cooperative Unions should be given funds for providing necessary training.

Rate of interest on Cooperative loans have been increased. This has caused hardship to small farmers. Rate of interest for small farmers should be reduced.

At present essential commodities like sugar, cement and edible oils are exported although internal demand for these things is not fully met. We should export only those commodities which are not needed in the country, or which are in surplus after meeting internal demand.

The Government should export cloth manufactured by handloom industry. This will help poor people.

Farmers do not get proper price for their produce. They on the other hand get things which they need at higher price. It should be ensured that farmers get proper price for their produce.

There should be only one price for sugar. Sugar should be decontrolled. Conrols lead to corrupt practiees and hardships to people. Therefore the Government should remove all controls.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल): तमिलनाडु में हथकरघा धागा, रेशमी धागा तथा कृत्रिम रेशमी धागे के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री महोदय को देश के तमाम 16 लाख बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। अकेले तमिलनाडु में ही लगभग 7 लाख बुनकरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। वहां लगभग 50 प्रतिशत बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। इस सम्बन्ध में हमने 6-2-77 तथा 10-3-77 को अध्यावेदन पेश किया है। वहां के राज्यपाल ने इस मामले पर विचार करने का वचन दिया था किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस ओर अपना ध्यान दें।

बुनकरों की रक्षा करने के लिए सरकार को रेशमी धागे तथा कृत्रिम रेशमी धागे का मूल्य घटा देने चाहिएं। आपात स्थिति समाप्त होने से पूर्व रेशमी धागे का मूल्य 7.50 पैसे से 9.00 पैसे प्रति किलो था जो अब बढ़ कर 15 रुपये से साढ़े 17 रुपये प्रति किलो हो गया है। आपात-स्थिति समाप्त होने के बाद इसका मूल्य बढ़ गया।

करोड़ों रुपये के हथकरघा कपड़ों का स्टाक अनबिका पड़ा हुआ है। सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से या सीधे केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से गैर-सरकारी तथा सरकारी सोसाइटियों से स्टाक खरीद सकती है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार हथकरघे से निर्मित कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन दे।

सरकार को धान की वसूली मूल्य बढ़ा देना चाहिए। वसूली मूल्य के निर्धारण के मामले में गेहूं और धान के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए। सरकार आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर कपड़े और औषधि के मूल्यों में कमी क्यों नहीं कर रही है? इनके मल्यों में कमी की जानी चाहिए। इसी तरह चावल, चीनी, मिट्टी के तेल तथा सभी प्रकार के तेलों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। इनके मूल्यों को भी बढ़ने से रोका जाना चाहिए।

दवाइयां भी इतनी ही जरूरी हैं जितनी कि अन्य आवश्यक वस्तुएं। वस्तुतः दवाइयां अन्य आवश्यक वस्तुओं से भी जरूरी हैं। गरीब लोग दवाइयां न मिलने के कारण मर जाते हैं। किसी भी सरकार ने चाहे वह ब्रिटिश सरकार की, कांग्रेस सरकार अथवा वर्तमान सरकार दवाइयों के मूल्यों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा गया था कि मूल्य गिर गये। परन्तु वास्तव में मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आई। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कपड़ा, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

[श्री के० मायातेवर]

कांग्रेस सरकार ने और चाहे कितनी ही गलतियां की हैं, लेकिन एक मामले में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी और वह थी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि आपात के 19 महीनों में मुद्रा स्फीति पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अब स्थिति पुनः खराब हो गई है। तस्करों, जमाखारों तथा मुनाफाखोर को फिर रिहा कर दिया गया है। मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जन साधारण परेशान हैं। अतः सरकार को मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए विशेष कार्यवाही करनी चाहिए और तस्करों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

Shrimati Chandrawati (Bhiwani) : Mr. Chairman. Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Civil Supplies and Co-operation.

Firstly, I would like to point out that our packing and carriage system is very defective and out of date. Be it eatables, cloth, ghee or other essential' commodities, the packing system is such that it results in wastage and delay. The handling of food grains and other articles results in damage and destruction of largequantities of food grains. I would request the hon. Minister to pay special attention to this aspect.

The packing system is so defective that even in respect of packed articles of daily use the consumers nether get the full quantity nor the standard quality. For instance I have seen tooth paste tubes which contain only air and nothing else. The quantity of the contents is not displayed on the packings of the tubes. It is a very sorry state of affairs. The fact is that consumer goods like tooth-paste, soap and hair oil etc. are found short in weight or quantity and are also below standard. So I would request the Government to ensure that the consumers get full value of the rice they pay.

Our Civil Supplies Department has avery vital and important role to play in the economy of the country. It is vital for the well-being of the nation, because it affects the daily life of the millions of our people. The functioning of this department should be streamlined.

Generally it is said that truck drivers are dishonst and careless people. I am defending these that all of them are responsible and honest. But I must say that they alone should not be blamed. They have to face various difficulties and unless corruption is rooted out, we can say that only the truk drivers are responsible for the delay in the transportation of perishable goods. Every effort should be made to see that the perishable goods like vegetable and fruits reach consumers expeditiously. Police department and Government official to harass the transporters, as a result of which these articiles are detained and sometimes damaged. Steps should be taken to see that such perishable goods reach their destination without undue delay.

During recent years, the Cooperative Sector has de-generated considerably. The reason is that it is no longer managed by sincere and selfless workers. The General practice is that most of the members are nominated, who have their own axe to grind. Therefore the functioning of the Co-operatives must be improved.

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : सभापति महोदय मैं वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री द्वारा पेश की गई अनुदानों की मांगों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्य इन मांगों पर बोल चुके हैं तथा मैं अपनी टिप्पणियां कुछ विषयों तक ही सीमित रखूंगा।

हम कह सकते हैं कि निर्यात के क्षेत्र में 1976–77 का वर्ष विस्मरणीय है। निर्यात आयात से अधिक हुई है तथा हमारा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है। इस सफलता के लिए मैं वाणिज्य मंत्री को बधाई देता हूं।

कर्नाटक का देश के निर्यात में मुख्य योगदान है। देश से निर्यात की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं कर्नाटक से होती हैं। ईरान का 75 लाख टन लौह अयस्क निर्यात करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1976–77 में 4 करोड़ 20 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 1 करोड़ 60 लाख टन स्वदेशी खपत के लिए तथा 2 करोड़ 60 लाख टन निर्यात के लिए होगा। मैं इस प्रगति से प्रसन्न हूं। फिर भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि परियोजना में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री मायातेवर ने रेशमी धागे के मूल्य में वृद्धि की आलोचना की थी और कहा था क इस से हथकर्घा उद्योग को भारी हानि हुई है। मैं उनकी बात से सहमत होते हुए उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कर्नाटक के शहतूत उत्पादकों की दुदर्शा को देखें। शहतूत के कीड़ों द्वारा तैयार की जाने वाली रेशम के कुल निर्यात का 80 प्रतिशत कर्नाटक से होता है लेकिन खेद की बात है कि रेशम उत्पादक क्षेत्र मौनसून पर निर्भर है। उत्पादकों को अच्छे बीज भी नहीं मिल पाते। उन्हें सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने तथा अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं। मेरा सुझाव है कि फसल बीमा शुरू किया जाए ताकि किसानों को नुकसान न हो।

कर्नाटक सरकार ने कोकन का व्यापार आरम्भ कर दिया है जिसमें सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन गैर सरकारी क्षेत्र उत्पादक किसानों को तत्काल नकद भुगतान नहीं कर पाता जिससे किसानों को लाभ नहीं होता। उत्पादकों तथा डीलरों के हितों की रक्षा करने को दृष्टि से कर्नाटक सरकार ने इनको कर्नाटक विकास विपणन संस्था के माध्यम से बंगलौर में रेशम बैंक खोलने का सुझाव दिया है। उन्होंने केन्द्र से वित्तीय सहायता के लिए मांग की है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए तथा उपरोक्त बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। यह खुशी की बात है कि विश्व बैंक ने कर्नाटक के शहतूत उत्पादक क्षेत्रों की कुछ सिंचाई योजनाओं के लिए वित्त पोषण की बात स्वीकार कर ली है। योजनाओं पर काम जल्दी शुरू कराने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

कर्नाटक 1,05,000 टन काफी का उत्पादन करता है। 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात होता है तथा शेष की खपत देश में होती है। निर्यात शुल्क में कमी करने के लिए बड़ी जोरदार मांग की गई थी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने निर्यात शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया है। यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

पुनः रेशम उद्योग का उल्लेख करते हुए रेशम उद्योग को दी गई प्रशुल्क सुरक्षा केवल 1978 तक जारी रहेगी। जब तक इस उद्योग के लिए अगले 10 वर्षों तक यह सुरक्षा जारी नहीं रखी जाती, तब तक इस उद्योग को सुरक्षा नहीं मिल सकती।

जहां तक कुछ खाद्य वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है चोकर और खली का निर्यात बन्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है दक्षिण राज्यों में पैदा होने वाली लेवी चीनी और उत्तर के राज्यों में पैदा होने वाली लेवी चीनी के मूल्य में अन्तर है। यदि हम चीनी उद्योग

1941 एल० एस०—10

[श्री वी० राचैया]

का विकास करना चाहते हैं और दक्षिण में उत्पादिकता को ऊंचे स्तर पर रखना चाहते हैं तो हमें मूल्यों के अन्तर को कम करना होगा।

फलों के निर्यात की भी काफी गुंजाईश है और इसके लिए किसानों को ऋण तथा आवश्यक सामग्री सस्ती दर पर उपलब्ध करा के प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस की जांच की जानी चाहिए।

Shri Jagdambi Prasad Yadav (Godda) ; While supporting the Demands or Grants of the Ministry. I would like to know from the Hon. Minister as to the changes being made by the new Government in the Co-operative Policy. It is known to all that the Co-operatives have to play an important role in every aspect of our social and economic life. The importance of the roles to be played by the Co-operatives in our national life can not be under estimated. But it is regrettable that corruption has taken deep roots in this field which has severely damaged the functioning of our Co-operatives. The situation has come to such a pass that it is better to disperse with the Co-operatives if the corruption which is prevalent therein is not rootet out. Therefore taking into consideration the importance of the co-operative Societies and also the Corruption which is rampant in this sphere. I would like the Minister to enlighten the House as to what is the policy of Janta Party in regard to the Co-operatives and what changes he has proposed to introduce in this system so as to make it more effective. I would suggest that in order to make Co-operatives a more popular and effeciive instrument in our economy, Co-operation should be introduced as a subject of study in our Schools.

My next suggestion is that Secretaries of the Cooperative Societies should alwaes be paid employees. This system exists in some States and same societies, but all cooperative Societies are not in a position to employ a Secretary. But it has been seen and observed from the past experience that Hon. Secretary is much more expensive than a paid Secretary. It is also a proven fact that the chancees of corruption would be far less when he is a paid employee than when he is an honorary worker.

In some States Cooperative movement has become popular, but in many States like Bihar, it has lagged behind. In Bihar, the backward and the undeveloped belt of Chota Nagpur has very few cooperatives. This region is inhabited by tribals who belong to the poorer sections of our society. Effective steps should be taken to see that the Co-operative movement is developed in that region also, so that those people could be benefited.

There are large number of people in Bihar and Orissa who are in debt. Steps must be taken to see that they get relief from debt.

I would request the Government to formulate a policy and guidelines for the State Governmets to implement the same so that people may get relief from payment of loan.

***श्री एस० जी० मुरुगय्यन** (नागपट्टिनम) : सभापति महोदय आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जमाखोर और सट्टेबाज ही ऐसा कर रहे हैं। और सरकार मौन धारण किए यह सब देख रही है।

जब तक आवश्यक वस्तुओं के मल्य स्थिर नहीं किए जायेंगे और समान वितरण प्रणाली सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक सरकार देश में एकता बनाने में सफल नहीं होगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को सम्पूर्ण खाद्य व्यापार अपने हाथों में ले लेना चाहिए। सरकार को किसानों को लाभप्रद मूल्य देना उनका सारा अनाज खरीद लेना चाहिए और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनानी चाहिए जिससे आम जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकें।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation if the speech delivered in Tamil.

अत्यन्त खेदजनक बात है कि यह नई सरकार पिछली सरकार के पद चिन्हों पर चल रही है। किसानों को लाभप्रद मूल्य देने का आश्वासन तो दे रही है लेकिन ऐसा वास्तव में कर नहीं रही है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य दिया जाए।

तमिलनाडु में आवश्यक वस्तुओं का सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण किया जाता है। अतः मूल्य वृद्धि से जनता को बचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण कराया जाना चाहिए । उचित दर की दुकानें देश के चारों भागों में खोली जानी चाहिएं । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लोगों की शिकायतों का निराकरण कभी नहीं होगा।

सुपर बाजार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलने चाहिएं। ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिकाधिक जनता दुकानें खोली जानी चाहिएं ।

बड़े खेद का विषय है कि गन्ना, मूंगफली, कपास, पटसन, काली मिर्च, रबड़ इत्यादि वाणिज्यिक फसलों, जिनके द्वारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि इन वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जिनका इन वस्तुओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । अतः इन वस्तुओं के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने के लिए सरकार को इनका समस्त आयात-निर्यात व्यापार अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तभी उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाया जा सकता है ।

तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियां बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। सरकार को ऐसी समितियां अन्य राज्यों में भी बनानी चाहिएं ताकि हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयां दूर की जा सकें। तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कपास और धागे का मूल्य बड़े बड़े उद्योगपति निर्धारित करते हैं जिससे हथकरघा बुनकरों को बहुत कठिनाई हो रही है । उन्हें उचित मूल्य पर धागा, कपास नहीं मिलता है। इससे बड़े बड़े उद्योगपति धोखाधड़ी और चोरबजारी कर रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि कपड़े की कुछ विशेष किस्मों का निर्माण केवल हथकरघा क्षेत्र में ही कराया जाना चाहिए।

मेरी यह भी मांग है कि सहकारी क्षेत्र को अधिकाधिक धनराशि दी जानी चाहिए। शिवरमन समिति द्वारा 1973 में की गई सिफारिशें तुरन्त कार्यान्वित की जानी चाहिएं । महाराष्ट्र में आवास समितियां अच्छा कार्य कर रही हैं। ऐसी समितियां देश के अन्य सभी राज्यों में बनाई जानी चाहिएं।

किसान को सहकारी ऋण समितियों को 12.50 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की यह दर बहुत ऊंची है, इसे घटाया जाना चाहिए। यदि किसान ऋण नहीं दे पाता है तो उसके गाय बैल आदि उठा लिए जाते हैं तथा बीज आदि कुरक कर लिया जाता है। इस तरह उससे जबरन ऋण वसूल किया जाता है। इसलिए ब्याज की दर घटाई जानी चाहिए।

[श्री एस० जी० मुरुगय्यन]

हरिजनों और खेतिहर मजदूरों को उपभोक्ता ऋण देने का प्रावधान है ताकि वे आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। लेकिन इस प्रावधान को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हरिजनों और खेतिहर मजदूरों को उपभोक्ता ऋण मिल सकें।

तमिलनाडु मत्स्य सहकारी समितियां उचित कार्य नहीं कर रही हैं। इनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इससे गरीब मछेरों को राहत मिलेगी और उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी।

देश की सामान्य जनता को सहायता देने की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र को सुदढ़ किया जाना चाहिए।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : This is the first time after many years that we have been able to overcome our trade deficit and we are in a surplus portions.

But the prices are rising this question of price rise has not yet been resolved. Various cases have been given in the Ministry's Report for this trend of rising prices. But the two most important causes have not been mentioned in the Report. They are collection of huge amount of money from the businessmen by way of donations and the problem of black money. The only way to do away with the problem of black money is to resort to demonetisation.

There is great need to formulate a national price policy. We would have to calculate the cost of production and fix the margin of profit. Those who violate this should be strictly dealt with. So long as this is not done, all efforts of checking rising trends in prices would become futile.

The question of prices is interlinked with public distribution system. So long as distribution system is not strengthened inflation can not be controlled. There is great need to eradicate the corrupt practices resorted to by the Shopkeepers and a Campaign should be launched against the hoarders and profiteers which should be the joint endeavour by the Government and the General Public.

The problem of adulteration has assumed large proportions and requires immediate attention. There is adulteration in every commodity. Vegetable Oil should be coloured so that people may get pure Vegetable Oil.

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : Even the Dalda is adulterated.

DR. RAMJI SINGH : So far as village industries are concerned, some of the items are covered under the Ministry of Commerce and some of them are under the Ministry of Industry. This is very strange phenomenon. There should be a separate Ministry for Village Industries and all these items should be brought under that Ministry.

There are several malpractices in the field of trade. Forward trading is one of the gross abuse in trade and Commerce. Although Forward Contracts Act was passed in 1952 forward trading has not yet stopped. It should be stopped early. Enquiry Commission should be set up for Foreign Trade. The Ministry of Foreign Trade has been the biggest Centre of Corruption for the last ten years. With the setting up of the enquiry Commission Corruption rampant in the Ministry of Foreign Trade would be eliminated to a large extent and corrupt persons will be brought to book.

So far as the question of exports and imports is concerned, it has become imbalanced. It should be looked into we should also establish Foreign Trade Bank, and only then we can look into the malpractices in the Foreign Trade. We should also strengthen Cooperative movement in the Country.

There are 12,000 handlooms and powerlooms in Bhagalpur area. The prices of Yarn have been rising but the prices of Cloth are static. Therefore, due to the rise in the prices of yarn the measures are in great difficulty. Government should consider this grave matter and ensure that yarn is made available to the measures at cheaper prices.

I, however, support the demands for grants.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सर्व प्रथम मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह तेल आयात कांड और घोटाले में शामिल लोगों के नामों आदि का ब्यौरा दें। इस मामले में सदन को विश्वास में लेना चाहिये और देश को हानि पहुंचाने वाले लोगों का ब्यौरा देना चाहिए ।

निर्यात की तीव्र प्रवृत्ति आर्थिक उपनिवेशवाद का दूसरा नाम है । दुर्भाग्यवश सरकार ने इसे महसूस नहीं किया है । जो कुछ भी हम विदेशों से आयात करते है वह यहां के विक्रय मूल्य पर खरीदा जाना चाहिये और हमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचना चाहिये । निर्यात प्रवृत्ति की यह स्थिति है कि एक ओर गाय भूख से मर रही है और दूसरी ओर खली का निर्यात किया जा रहा है । विदेशों से ऊंचे मूल्य पर दूध पाउडर का आयात किया जा रहा है । मछलियां तो बाजार से गायब ही हो गई हैं । मछलियों का इतने बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाना राष्ट्र के लिए घातक है । वे देश के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं । निर्यात प्रोत्साहन सबसे बड़ी धांधली है । हमने लोकलेखा समिति में इसके पूरे ब्यौरे प्राप्त करने का प्रयास किया । मुझे पता है कि उन्होंने राजकोष को 400 करोड़ रुपये का धोखा दिया है : हमें इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है । इसकी जांच के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय से कोई सहयोग नहीं मिला है ऐसा लगता है आज हमारे देश को प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है बल्कि विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता है ।

मारूति लिमिटेड ने यह आश्वासन दिया था कि तकनीकी जानकारी या मशीनरी का आयात किये बिना ही कार बनाई जायेगी । मंत्री महोदय यह बतायें कि मारूति ने स्टाक तथा बिक्री के आधार पर आयातित मशीनरी कैसे प्राप्त की । उन्हें लाइसेंस कैसे मिला ?

चीनी का निर्यात भी घोटाला है । विनोद प्रकाश के स्विटजरलैण्ड के खाते में कितना रुपया है । क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया है ?

जहां तक चांदी के निर्यात घोटाले का सम्बन्ध है; चांदी के निर्यात के मामले में दो फर्मों को पूर्णाधिकार दिया गया था । ऐसा क्यों किया गया ? क्योंकि इन फर्मों ने कुछ लोगों को भारी रिश्वत दी थी । और बहुत से घोटाले प्रकाश में आये हैं ।

चिथड़ा कांड के मामले में लोकलेखा समिति ने कहा है कि उच्चशक्ति प्राप्त आयोग को इसकी जांच करनी चाहिये । ताकि इस बात का पता लग सके कि सीमा शुल्क जुर्माना बचाने तथा कम कीमत के बीजक बनाकर राजकोष को कितना घाटा पहुंचाया गया । इस मामले में क्या हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ है ।

चाय ब्यापार निगम 1970 में इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया था कि पैक की गई चाय का निर्यात किया जाये ताकि उपभोक्ता मूल्य की क्षति पूरी की जाये । लेकिन इस निगम को बन्द पड़े चाय बागानों का प्रबन्ध सम्भालने तथा सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चाय की खरीद का काम सौंपा गया है । क्या यह उचित है ? सरकार ने काफी बोर्ड पर निर्यात शुल्क कम कर दिया है । क्या इससे काफी का स्वदेशी मूल्य नहीं बढ़ेगा ?

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

पटसन मिल मालिकों ने 80,000 मजदूरों की जबरी छुट्टी कर दी है । बज बज पटसन मिल ने 750 श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी है । मंत्री महोदय को चाहिये कि वह मालिकों को इन मजदूरों को नौकरी पर वापस बुलाने के लिए विवश करे । सरकार और कोका कोला के बीच क्या प्रेम सम्बन्ध है ? इसे इतने अधिक लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं ? बागान मजदूरों के लिए सरकार ने क्या किया है ? चाय उद्योग के मालिकों को करोड़ों रुपये की बचत होती है । चाय पर केवल 5 रुपये का ही उत्पाद शुल्क लगाया गया है जो बहुत कम है ।

जहां तक सरकार के वस्त्र उद्योग के प्रति रवैये का सवाल है, वह निश्चय ही खराब है । पश्चिम बंगाल ने 3 लाख के करीब मुसलमान दर्जी हैं । यह बड़ी ही विचित्र बात है कि सरकार एक ओर तो बिचौलियों को निर्यात प्रोत्साहन दे रही है जब कि दूसरी ओर यही बिचौलिये गरीब दर्जियों को लूटते चले जा रहे हैं । इन गरीब लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता है । सरकार को इस उद्योग की ओर उचित ध्यान देना चाहिये ।

मैं इण्डियन टोबाको कम्पनी के बारे में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस समय उस तम्बाकू के लदान की स्थिति क्या है जिसे विदेशों में रद्द कर दिया गया था । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कितने कम मूल्य के बीजक बनाये गये । मेरी यह मान्यता है कि कम मूल्य का बीजक बनाना देश के साथ शत्रुता करना है । आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश को प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये की हानि कम बीजक बनाने के कारण ही होती है । सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं है जो इसकी जांच कर सके या इस पर नियंत्रण रख सके । सरकार के पास इस कार्य के लिए एक खुफिया विभाग होना चाहिये, हमारे देश में अनेक प्रसिद्ध कम्पनियां ऐसी हैं जो कि कम मूल्य के बीजक तैयार करती है, इनमें ग्रामोफोन बनाने वाली 'हिज मास्टर वायस' 'यूनियन कार्बाइड' तथा 'इण्डियन टोबाको' आदि के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते है परन्तु यह बड़ी ही विचित्र बात है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । उत्पाद मदों सम्बन्धी सांविधिक बोर्ड में निहित स्वार्थों का बोलबाला है । लोक लेखा समिति ने यह ठीक ही सुझाया है कि काफी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ।

लोक लेखा समिति ने एक जोरदार सिफारिश यह भी की है कि काफी के क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये । नैसल्स प्रोडक्ट एक राष्ट्रीय संगठन है तथा इसने नई दिल्ली में इंस्टेन्ट काफी का मूल्य 34 रुपये से 95 पैसे प्रति किलो रखा हुआ है परन्तु यह बड़ी ही अजीब बात है कि 50 ग्राम काफी का डिब्बा 7 रुपये में बेचा जाता है । इस ओर सरकार को उपयुक्त ध्यान देना चाहिये । काफी बोर्ड के कर्मचारियों की गत अनेक वर्षों से उपेक्षा की जा रही है । काफी बोर्ड के कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । लोक लेखा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जिन शहरों या बड़े नगरों की जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक है, वहां काफी हाउस होने चाहिये । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ? काफी के बारे में यह एक अच्छी व्यवस्था है कि जैसे ही उसका बीज तैयार होता है, उस पर काफी बोर्ड का स्वामित्व हो जाता है । मेरा सुझाव यह है कि चाय के बारे में भी इसी

प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जैसे ही चाय का ड्रायर (शोषक) बाहर आये, वह सरकार की सम्पत्ति बन जाये । देश में बागान कार्य काफी बढ़ गया है, अतः यह अच्छा ही होगा यदि सरकार इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दे । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्यों के बारे में सदन में आश्वासन दे और यदि ऐसा न किया गया तो पटसन के खेतों में चावल की खेती होनी आरम्भ हो जायेगी ।

Shri R. L. P. Verma (Koderma) : Sir, I while supporting the Demands of Shri Dharia's Ministry want to say a few words about Mica trade. It is a matter of concern that Mica Trade is on the decline The defective policies of the previous Government have lead to the closure of hundreds of mica mines, As a result of this several thousands of workers were rendered jobless and the business of about five thousand dealers too has come to an end. I am sorry to point out that about twenty thousand workers have been retrenched in Christian Mica Industry Ltd. Similarly about two to there thousand workers of Bihar Mica Syndicate, an undertaking of Bihar Government too have been thrown out of jobs. So this trade is in a precarious condition.

I take this opportunity to remind the House that Mica Trading Corporation was formed to protect the interests of weaker sections and Mica Trade. But I amsorry to point out that due to wrong purchase policy, the business of about five thousand small mica dealers in Giridih, Kodarma and other areas which produced mixed or semi-mixed Mica has come to standstill.

I want to draw the attention of the House towards this fact that at one time Mica Industry used to fetch more than 40 crores in the form of foreign exchange but now only Rs. 10 crores are being earned by this trade that is why a representation has been made by mica trade associations for changing the trade policy. I am of the opinion that a seminar should be arranged in which the Minister of Mines, the Commerce Minister and the Labour Minister should sit together to devise the measures for revitalising the Industry.

In this connection I would also like to suggest that Mica Trade Corporation should adopt a policy under which only crude Mica should be sold to the dealers. It is also necessary to take necessary steps for bringing stability in Mica market. It will be helpful if mica is purchased by the Government from small dealers for stock piling.

In 1975 when M.I.T.C.O. was set up, it was decided that an institute should be set up for derising measures for earning foreign exchange. It is a matter of pity that no steps have been taken by the Government for setting up such an institute. The Mica Advisory Board and the Liaison Committee are still under the dominance of Capitalist Mica - Magnates and weaker sections are not getting any protection. So lastly I want to suggest that the representatives of weaker sections should be associated with these Committees.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : यह मेरे लिए सन्तोष का विषय है कि मेरे मंत्रालय सम्बन्धी मांगों की चर्चा में सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने काफी रुचि दिखाई है । मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि सभी सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे सकूं । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, निश्चय ही हम अपने देश के लिए केवल निर्यात पर आधारित नीति को देश के विकास को आधार नहीं बना सकते । अतः हम निर्यात आधारित विकास नहीं चाहते अपितु निर्यात में वृद्धि चाहते हैं । जिससे हमारा देश आत्म-निर्भरता की दिशा में और आगे बढ़ सके । इस समय हमारी सन्तुलन स्थिति सन्तोषजनक है अतः निर्यात नीति इस प्रकार बनानी चाहिये कि जिससे देश के उपभोक्ता को विशेषकर आम जनता को कुछ परेशानी न हो और इसीलिये आम जनता द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को हमने ध्यान में रखा है । इन आवश्यक वस्तुओं में वह कच्चा माल भी शामिल है जिसका प्रयोग इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने में होता है ।

हमें दो मुख्य बातों को ध्यान में रखना है । एक है विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम और दूसरी है लागत जिसे समाज को वहन करना है । देश के जिस भी उद्योग को, चाहे वह

[श्री मोहन धारिया]

कृषि के क्षेत्र में है अथवा उद्योग में, हम सुरक्षा देंगे । हम यह देखेंगे कि उसके द्वारा अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा एक ओर राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण होने के साथ दूसरी ओर निर्यात भी बढ़े ।

यह आरोप लगाया गया है कि नई सरकार सरकारी क्षेत्र को अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहती है । सरकारी क्षेत्र में हमारी पूरी आस्था है । अर्थव्यवस्था के उच्चतम शिखरों पर नियंत्रण पाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि सरकारी क्षेत्र का विकास हो हमें हर सम्भव सावधानी बरतनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र को उच्चतम स्थान प्राप्त हो सके । हम एकाधिकारियों को यह देश तबाह नहीं करने देंगे । यह सच है कि इसमें कुछ कमियां हैं । सरकारी क्षेत्र की खामियों को दूर करना होगा । हमने अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट को उन आधारभूत उद्देश्यों का अध्ययन करने के लिए कहा, जिनके लिए राज्य व्यापार निगम, खनिज धातु व्यापार निगम और उनकी आनुषंगिक संस्थाओं की स्थापना की गई है और इन संगठनों के कार्यकरण में कहां तक दोष है और किस प्रकार वह अपने कार्य में अधिक कुशल हो सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में प्रभावी भूमिका अदा करनी है और इस उद्देश्य हेतु जो सुधार आवश्यक है वह किए जायेंगे । लेकिन इन संस्थाओं की भर्तसना करना बहुत अनुचित होगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने जो अच्छा काम किया है उसके महत्व को कम करके आंकना भी उचित नहीं है । राज्य व्यापार निगम ने खासकर उस वक्त बहुत अच्छा काम किया जब कि वे फर्में जिन्हें कि खाद्य तेलों के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया था अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सकी थीं ।

उन लोगों के लाइसेंस, जिन्होंने कि तेल का आयात नहीं किया अथवा कोई स्थायी करार नहीं किया, रद्द कर दिए गए हैं । उन पार्टियों के विरुद्ध जिन्होंने कि खाद्य तेलों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किये थे और जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया है, कार्यवाही की जा रही है । 13 पार्टियों के मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विस्तृत जांच हेतु सौंपे गये हैं ।

जब हम निर्यात तथा आयात की बात करते हैं तो उस समय हमें देश की मूल्य स्थिति को भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा । हमें देश के उत्पादन तथा देश की आन्तरिक आवश्यकता को भी दृष्टिगत रखना होगा ।

इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आन्तरिक गतिविधियों के साथ साथ इस मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । संयुक्त राष्ट्र व्यापार, तथा विकास सम्मेलन आदि विभिन्न एजेन्सियां इस क्षेत्र में पहले ही कार्य कर रही हैं । इसके साथ ही एशिया में आर्थिक तथा सामाजिक आयोग जैसी अनेक परिषदें भी कार्यरत हैं । अतः हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिक प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए सदा अग्रसर रहें । यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहा हमें न केवल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है

अपितु हमें तकनीकी सहयोग की भी आवश्यकता है। यह हमारे देश के लिए सौभाग्य तथा गौरव की बात है कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों की ख्याति देश भर में है। हमें उनकी सेवाओं का उपयोग देश के लिए करना चाहिये । बाहर की परियोजनाओं में भी पर्याप्त कार्य किया जा सकता है । यह सच है कि वर्ष 1975-76 फसलों की दृष्टि से अच्छा था परन्तु वर्ष 1976-77 तिलहनों, कपास, पटसन और दालों की दृष्टि से अच्छा नहीं रहा । हमारे देश में तेल का उत्पादन 33 लाख टन है और आवश्यकता 36 लाख टन की । इसे पूरा करने के लिए 3 लाख टन तेल का आयात किया जाता है । दुर्भाग्यवश मूंगफली के तेल के उत्पादन में भी कमी आई है और इसका आयात करना पड़ रहा है । गत 12 वर्षों से दालों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है ।

इन कमियों के कारण मूल्य रेखा पर बुरा असर पड़ा है । अतः शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है हमने अपनी ओर से सब सम्भव कार्यवाही की है । यदि सरकार के पास सुरक्षित भंडार होता तो मूल्यों में कमी की जा सकती थी। हम सुरक्षित भंडार बनाने की ओर प्रयास कर रहे हैं और तरे के तेल का 28,000 टन, सोयाबीन तथा अन्य तेलों का 65,000 टन स्टाक इकट्टा हो गया है और अब शुद्ध तेल की कीमत साढ़े आठ रुपये प्रति किलो हो गई है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : वर्ष 1975-76 में सरकार ने मूंगफली पैदा करने वालों और कपास पैदा करने वाले किसानों के साथ अलग अलग व्यवहार किया ।

श्री मोहन धारिया : मैं इस पर श्री डी० डी० देसाई से सहमत हूं कि जब हम तेल के आयात पर इतना व्यय कर सकते हैं तो अपने किसानों को अच्छा मूल्य क्यों नहीं दे सकते ? मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम किसानों को अधिक से अधिक मूल्य दिलाने का प्रयत्न करेंगे ।

चाय और कपास के सम्बन्ध में भी समान कदम उठाये गये हैं । जहां तक चाय का सम्बन्ध है, चाय पर निर्यात शुल्क लगाया गया है और उन्हें उत्पादित चाय का 80 प्रतिशत मंडी में लाने के लिए कहा गया है । चाय की उतनी मात्रा ही निर्यात की जा रही है जितनी कि पिछले वर्ष की गई थी । ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि चाय बाजार में उचित मूल्य पर मिल सके। सचिवों की एक छोटी सी समिति बनाई जा रही है जिससे कृषि योजना, वित्त और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिवों के अतिरिक्त बाहर के कुछ विशेषज्ञ भी होंगे जो कि कपास, तिलहन, दालों और पटसन इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि के उपायों को सुझाने के साथ साथ यह भी बतायेंगे कि किस प्रकार उनके मूल्यों को कम किया जा सकता है ।

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : यह अच्छी बात है कि सचिवों की समिति बनाई जा रही है—हमारी सरकारी नीतियां कुछ नहीं कर सकती जब तक किसान को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

श्री मोहन धारिया : मैं मानता हूं कि यदि हम उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं तो हमें किसानों को प्रोत्सहान मूल्य देना होगा ।

1941 एल. एस.—11.

[श्री मोहन धारिया]

भारत जैसे 65 करोड़ की जनसंख्या वाले बड़े देश के लिए मूल्य वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए और आम जनता की जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी प्रणाली की आवश्यकता है । इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन, वसूली, भंडारण, परिवहन और वितरण सभी बातों की ओर समुचित ध्यान देना होगा । इस प्रकार की वृहद प्रणाली ही केवल इस समस्या का समाधान कर सकती है और सम्भवतः यह इस समस्या का स्थायी हल है ।

अकेले सरकार का इस समस्या को हल करना सम्भव नहीं। केन्द्र सरकार, राज्यों सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के समाज वैज्ञानिकों को मिलकर इस पर विचार करना होगा । हमें उत्पादन से लेकर वितरण तक एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी और हम सब इसमें भागीदार हैं ।

गत कुछ वर्षों से सहकारिता आन्दोलन को भारी धक्का पहुंचा है । इस आन्दोलन में राजनीतिक तत्व घुसे हुए हैं और सरकारी हस्तक्षेप किए जाते हैं । यदि हम चाहते हैं कि यह आन्दोलन सशक्त हो और देश में सफलता प्राप्त करे तो हमें इसके लिए एक वायदा करना होगा । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन संस्थानों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा तथा सरकारी हस्तक्षेप से बचाया जाएगा ।

Shri Lalji Bhai (Salumbur): I raise on a point of order. The Government have adopted liberal policy towards import and export., but no effective policy has been adopted against smuggling. Smuggling is going on in clandastine manner. What action Government is taking against this?

Shri Mohan Dharia : I shall look into it.

Shri Lalji Bhai : Pric: spiral is still going on.

श्री मोहन धारिया : यदि हम लोकतांत्रिक समाजवाद कायम करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए और सहकारिता आन्दोलन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ताकि देश में लोकतांत्रिक शक्तियों को उचित रूप से शक्तिशाली बनाया जा सके । मैं चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन में कमजोर वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि सहकारी समितियों को हर सम्भव सहायता देने की आवश्यकता है । चीनी कपड़ा इत्यादि कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में बनाई गई सहकारी समितियों को सुचारू बनाया जाना चाहिए । यदि कोई दोष दिखाई दे तो उसे सुधार देना चाहिए । हमें आन्दोलन को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए ।

अमरीका ने हमारे देश के हथकरघा वस्त्रों के निर्यात पर कोटा प्रतिबन्ध लगा दिया है । हम इस मामले पर उनसे बातचीत कर रहे हैं । हमारी बहुत कोशिश के बावजूद अमरीका सरकार ने हथकरघा वस्त्रों के कोटे के सम्बन्ध में लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने की बात मंजूर कर दी है । अतः अब अमरीका को निर्यात किए जाने वाले हथकरघा वस्त्रों पर कोटे का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जहां तक नारियल के तेल के आयात का सम्बन्ध है, आयात की मात्रा में भारी कमी करने का निर्णय किया गया है । आयात शुल्क कुछ इस प्रकार लगाया गया है जिससे आयातित तेल का मूल्य बाजार में विद्यमान स्वदेशी मूल्यों से कम नहीं हो सकता । इससे देश में नारियल उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा ।

जहां तक रबड़ का सम्बन्ध है सरकार रबड़ उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए रबड़ के मूल्य नियत करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । आशा है कि सरकार कुछ ही सप्ताहों के भीतर रबड़ के न्यूनतम मूल्य को नियत कर देगी । काफी पर निर्यात शुल्क 1300

रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था लेकिन अब यह फिर 11,00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निरन्तर नजर रख रही है और जब कभी राहत देने की आवश्यकता पड़ी राहत दी जाएगी । कृत्रिम रेशम के धागे का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो की दर से घटा दिया गया है । बुनकरों को अभी कताई वालों से धागे का कोटा प्राप्त करना है । मुझे उन पर भरोसा है । यदि कोई उस विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर बेईमानी करने की घोषणा करेगा तो उसे आड़े हाथों लिया जाएगा । मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित संसदीय परामर्शदात्री समिति पांच भागों में विभक्त की जाएगी---विदेश व्यापार, बागान, वस्त्र तथा पटसन, नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता । इन पांच विभागों को अत्याधिक महत्व और मंत्रालय का पूरा सहयोग दिया जाएगा । मैं संसद सदस्यों को भी कई मामलों में विश्वास में लूंगा ।

महाराष्ट्र में एकाधिकार वसूली योजना है । अगर कृषकों को न्याय दिलाना है तो बिचोलियों को समाप्त करना होगा । हम या तो सहकारी संस्थाओं को प्रोत्सहान देंगे अथवा सहकारी एजेन्सियां बनाई जाऐंगी । मैं सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार करता हूं कि कृषकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा सम्बन्ध होना चाहिए । उपभोक्ता, उत्पादक और औद्योगिक उत्पादक के बीच सीधा सम्बन्ध होना चाहिए । बिचौलिए सारा लाभ ले जाते हैं । उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए । हालांकि हमारे सामने कई बाधाएं तथा कठिनाईयां हैं फिर भी मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के बीच बातचीत हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : : अब मैं वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The Cut Motions were put and Negatived.

अध्यक्ष महोदा द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1977-78 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
15	वाणिज्य मंत्रालय	97,01,000	--
16	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	2,77,65,39,000	1,77,19,87,000

अध्यक्ष महोदय : मैं नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय के अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The Cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय, द्वारा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष, 1977–78 की अनुदानों की निम्न-लिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
13	नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	24,53,000	—
14	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	15,27,48,000	14,19,32,000

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 जून, 1977/7 अषाढ़ 1899 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, June 28, 1977/Asadha 7, 1899 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III—1941 एल०एस०—13-9-77—200